जिला घरेलू उत्पाद में वृद्धि हेतु

''उत्प्रेरक तथ्य''

अर्थ एवं संख्या प्रभाग

राज्य नियोजन संस्थान,नियोजन विभाग

उत्तर प्रदेश

Website: http://updes.up.nic.in

E-mail : upesd@nic.in

फोन न0 – 0522–2238969

उत्तर प्रदेश

उत्तराखण्ड
नेपाल
हरियाणा
राजस्थान
मध्यप्रदेश
झारखण्ड
छत्तीसगढ़
दिल्ली
पश्चिमांचल
मध्यांचल
पूर्वांचल
बुन्देलखण्ड

प्रस्तावना

नियोजन प्रक्रिया एवं नीति निर्धारण हेतु राष्ट्रीय आय एवं राज्य स्तर पर राज्य आय अनुमान आधार स्तम्भ है। प्रचलित एवं स्थाई भावों पर तैयार राज्य आय अनुमान, एक वर्ष की अवधि में राज्य की भौगौलिक सीमाओं के अन्दर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के परिमाण का मापक है। राष्ट्रीय एवं राज्य आय अनुमानों की भाँति राष्ट्रीय साँख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित रीति विधान के अनुरूप आँकड़ों की उपलब्धता के आधार पर, प्रदेश में जनपद स्तर पर जिला घरेलू उत्पाद का आंकलन (अर्थव्यवस्था के केवल वस्तु उत्पादन खण्डों से) वर्ष 1960–61 के आंकलन से प्रारम्भ किया गया। कालान्तर में वर्ष 1997–98 से अर्थव्यवस्था के सभी खण्डों से जिला आय अनुमान तैयार किये जा रहे है। यद्यपि समस्त आर्थिक गतिविधियों की जनपदवार आँकड़ों के पर्याप्त उपलब्धता न होने के कारण जिला घरेलू उत्पाद का यह आंकलन सांकेतिक रूप से जनपद की आय का एक अनुमान प्रस्तुत करता है। इस आंकलन में प्राथमिक खण्ड हेतु जनपदवार उपलब्ध आँकड़ों का प्रयोग किया जाता है, परन्तु अन्य खण्डों यथा द्वितीयक एवं तृतीयक खण्डों के लिए जनपद स्तर पर समुचित आँकड़े उपलब्ध न होने के कारण राज्य स्तर पर उपलब्ध आँकडों को कतिपय संकेतांकों के आधार पर जनपद स्तर पर वितरित करने की प्रक्रिया प्रयोग में है।

प्रदेश की राज्य आय को वन ट्रिलियन डालर अर्थ व्यवस्था का मूर्त रूप देने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक जनपद स्तर पर, जनपद विशेष की संभावनाओं का समुचित चिन्हांकन करते हुए उनके विकास के लिये प्रयास किया जाय। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में जनपदों की संख्या एवं उनकी विषमताओं के दृष्टिगत प्रत्येक जनपद स्तर पर संसाधनों की उपलब्धता एवं उनकी क्षमताओं को दृष्टि में रखते हुए, जनपद स्तर पर नवाचार एवं नवोन्मेषी विधियों/क्रियाओं के आधार पर उपलब्ध संसाधनों का समुचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करते हुए, जिला घरेलू उत्पाद में सापेक्षित वृद्धि के प्रयास किये जाने अपेक्षित है।

जनपद स्तर पर किये जाने वाले उक्त अपेक्षित प्रयासों को साकार करने हेतु वर्ष 2018–19 के जिला घरेलू उत्पाद के जनपदवार आंकलन की खण्डवार विवेचना करते हुए जनपद विशेष की स्थिति एवं उपलब्ध संसाधनों के दृष्टिगत कतिपय महत्वपूर्ण संभावित प्रयासों के संदर्भ में तैयार की गई प्रस्तुत पुस्तिका जनपद विशेष के लिये उपयोगी होगी।

मुझे आशा है कि प्रस्तुत संकलन, नीति निर्धारकों, प्रशासकों एवं शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगें, साथ ही संकलन को और उपयोगी बनाने हेतु तकनीकी रूप से व्यवहारिक सुझावों का समावेश करने हेतु हम सदैव तत्पर है।

28/7/20

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
निदेशक

लखनऊः दिनांकः 28.07.2020

प्रकाशन से सम्बन्धित अधिकारी एवं सहायक

श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय	निदेशक

प्रावैधिक मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण

श्रीमती मालोविका घोषाल	संयुक्त निदेशक
श्रीमती शालू गोयल	उप निदेशक

पाण्डुलिपि संरचना, समन्वय एवं परिनिरीक्षण कार्य

श्री जीत लाल	अपर साँख्यिकीय अधिकारी
श्रीमती सोमना वशिष्ठ	अपर साँख्यिकीय अधिकारी
श्री ज्योति कुमार पाल	अपर साँख्यिकीय अधिकारी

टंकण

श्रीमती आभा	कनिष्ठ सहायक

पुस्तिका संरूपण एवं कवर पृष्ठ डिजाइन

श्री अरविन्द सिंह	ग्राफ आर्टिस्ट
श्री मोहन सिंह	वरिष्ठ सहायक

विषय सूची

क्र.सं.	मद	पृष्ठ संख्या
1	भूमिका	1-5
	जिला घरेलू उत्पाद अनुमान(औद्योगिक स्रोतानुसार) प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) खण्डवार संक्षिप्त विवरण सहित जनपदवार वृद्धि हेतु उत्प्रेरक तथ्य	**6-232**
2	**पश्चिमांचल सम्भाग**	**6-95**
2.1	जनपद–सहारनपुर	6-8
2.2	जनपद–मुजफ्फरनगर	9-11
2.3	जनपद–शामली	12-14
2.4	जनपद–बिजनौर	15-17
2.5	जनपद–मुरादाबाद	18-20
2.6	जनपद–सम्भल	21-23
2.7	जनपद–रामपुर	24-26
2.8	जनपद–अमरोहा	27-29
2.9	जनपद–मेरठ	30-32
2.10	जनपद–बागपत	33-35
2.11	जनपद–गाजियाबाद	36-38
2.12	जनपद–हापुड़	39-41
2.13	जनपद–गौतमबुद्ध नगर	42-44
2.14	जनपद–बुलन्दशहर	45-47
2.15	जनपद–अलीगढ़	48-50
2.16	जनपद–हाथरस	51-53
2.17	जनपद–मथुरा	54-56
2.18	जनपद–आगरा	57-59
2.19	जनपद–फिरोजाबाद	60-62
2.20	जनपद–एटा	63-65
2.21	जनपद–कासगंज	66-68
2.22	जनपद–मैनपुरी	69-71
2.23	जनपद–बदायूँ	72-74
2.24	जनपद–बरेली	75-77
2.25	जनपद–पीलीभीत	78-80
2.26	जनपद–शाहजहाँपुर	81-83
2.27	जनपद–फर्रूखाबाद	84-86
2.28	जनपद–कन्नौज	87-89
2.29	जनपद–इटावा	90-92
2.30	जनपद–औरैया	93-95
3	**मध्यांचल सम्भाग**	**96-125**
3.1	जनपद–खीरी	96-98
3.2	जनपद–सीतापुर	99-101
3.3	जनपद–हरदोई	102-104
3.4	जनपद–उन्नाव	105-107

क्र.सं.	मद	पृष्ठ संख्या
3.5	जनपद– लखनऊ	108-110
3.6	जनपद–रायबरेली	111-113
3.7	जनपद–कानपुर देहात	114-116
3.8	जनपद–कानपुर नगर	117-119
3.9	जनपद–फतेहपुर	120-122
3.10	जनपद–बाराबंकी	123-125
4	**बुंदेलखण्ड सम्भाग**	**126-146**
4.1	जनपद–जालौन	126-128
4.2	जनपद–झाँसी	129-131
4.3	जनपद–ललितपुर	132-134
4.4	जनपद–हमीरपुर	135-137
4.5	जनपद–महोबा	138-140
4.6	जनपद–बांदा	141-143
4.7	जनपद–चित्रकूट	144-146
5	**पूर्वांचल सम्भाग**	**147-232**
5.1	जनपद–प्रतापगढ़	147-149
5.2	जनपद–कौशाम्बी	150-152
5.3	जनपद–प्रयागराज	153-156
5.4	जनपद–अयोध्या	157-159
5.5	जनपद–अम्बेडकरनगर	160-162
5.6	जनपद–सुल्तानपुर	163-165
5.7	जनपद–अमेठी	166-168
5.8	जनपद–बहराइच	169-171
5.9	जनपद–श्रावस्ती	172-174
5.10	जनपद–बलरामपुर	175-177
5.11	जनपद–गोण्डा	178-180
5.12	जनपद–सिद्धार्थनगर	181-183
5.13	जनपद–बस्ती	184-186
5.14	जनपद–संतकबीरनगर	187-189
5.15	जनपद–महाराजगंज	190-192
5.16	जनपद–गोरखपुर	193-195
5.17	जनपद–कुशीनगर	196-198
5.18	जनपद–देवरिया	199-201
5.19	जनपद–आजमगढ़	201-204
5.20	जनपद–मऊ	205-207
5.21	जनपद–बलिया	208-210
5.22	जनपद–जौनपुर	211-213
5.23	जनपद–गाजीपुर	214-216
5.24	जनपद–चन्दौली	217-219
5.25	जनपद–वाराणसी	220-223
5.26	जनपद–भदोही	224-226
5.27	जनपद–मीरजापुर	227-229
5.28	जनपद–सोनभद्र	230-232
6	**परिशिष्ट–1 :**	**233-242**
6.1	सकल जिला घरेलू उत्पाद वर्ष 2018–19(अनन्तिम) अवरोही क्रम में	233-234

क्र.सं.	मद	पृष्ठ संख्या
6.2	निवल जिला घरेलू उत्पाद वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) अवरोही क्रम में	235-236
6.3	प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) अवरोही क्रम में	237-238
6.4	सकल जिला घरेलू उत्पाद (प्रतिशत अंश) प्रचलित भावों पर, वर्ष 2016–17, वर्ष 2017–18 व वर्ष 2018–19(अनन्तिम)	239-240
6.5	निवल जिला घरेलू उत्पाद(प्रतिशत अंश) प्रचलित भावों पर वर्ष 2016–17, वर्ष 2017–18 व वर्ष 2018–19(अनन्तिम)	241-242
7	**परिशिष्ट–2 :** जिला घरेलू उत्पाद, उत्तर प्रदेश	243-245
8	**परिशिष्ट–3 :** आर्थिक जोनवार जनपदों का विवरण	246

❄❄❄❄

भूमिका

उत्तर प्रदेश, देश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान रखता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8.8 प्रतिशत के योगदान के साथ महाराष्ट्र व तमिलनाडु के बाद प्रदेश तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2018–19 में उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद 16.68 लाख करोड़ (0.234 ट्रिलियन डॉलर) अनुमानित है तथा प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 5.3 प्रतिशत है जिसके सापेक्ष देश की सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष की तुलना में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई।

जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16 प्रतिशत अंश उत्तर प्रदेश में निवास करता है। जनसंख्या बाहुल्य होने के बावजूद प्रदेश में कार्य सहभागिता दर 32.9 प्रतिशत है जो कि देश की कार्य सहभागिता दर 39.8 प्रतिशत से कम है। संभवतः इसका मुख्य कारण प्रदेश में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर कम (16.7 प्रतिशत) होना है।

सरकार द्वारा किये गये प्रयास यथा–इन्वेस्टर्स समिट, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, डिफेन्स कॉरीडोर, ओ0डी0ओ0पी0, स्किल इण्डिया, स्टार्टअप इण्डिया इत्यादि ने आर्थिक विकास में उत्प्रेरक का कार्य किया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015–16 (वर्ष 2018–19 को छोड़कर) से राज्य की विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से अधिक रही।

वर्तमान परिदृश्य में राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक खण्ड का योगदान 25.8 प्रतिशत, माध्यमिक खण्ड का योगदान 27.0 प्रतिशत तथा तृतीयक खण्ड का योगदान 47.2 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि तृतीयक खण्ड का योगदान प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक है। खण्डवार वृद्धि दर की निम्न तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश निरंतर विकास की ओर अग्रसर है–

तालिका–2.01 : खण्डवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	खण्ड	2017–18	2018–19
1.	प्राथमिक	9.1	2.1
2.	माध्यमिक	4.2	4.5
3.	तृतीयक	8.3	7.6
4.	जीएसडीपी	7.2	5.3

प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास के उत्प्रेरक (ग्रोथ इंजन)

ग्रोथ इंजन अर्थव्यवस्था के सतत् विकास दर को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। प्रदेश में तकनीकी उन्नयन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलवमेंट, कृषि तथा विनिर्माण में विकास, कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार सृजन एवं निवेश इत्यादि के सम्बन्ध में उचित नीतिगत निर्णय द्वारा कम समय में लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ जा सकता हैं। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। अधिकांश जनसंख्या कृषि तथा सम्वर्गीय क्रियाकलापों एवं सूक्ष्म व लघु उद्योगों में कार्यरत है। अतः कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र, एम0एस0एम0ए0ई0, पर्यटन, अवस्थापना विकास, ऊर्जा, आई0टी0 एवं स्र्टाटप्स इत्यादि प्रदेश के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में अर्थव्यवस्था को लक्ष्य तक पहुँचाने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार प्रमुख संभाव्यता वाले क्षेत्र निम्नवत हैः–

1. कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं पशुपालन खण्ड का योगदान लगभग 23 प्रतिशत है तथा कुल कर्मकरों का लगभग 50 प्रतिशत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ा हुआ है। प्रदेश में कृषि खण्ड असंगठित विनिर्माण क्षेत्र, सेवा खण्ड, परिवहन, भण्डारण एवं संचार खण्ड का मुख्य संचालक है। कृषि खण्ड के विकास में पशुधन, मत्स्य एवं खाद्य प्रसंस्करण की

महत्वपूर्ण भूमिका है। उक्त के अतिरिक्त कृषि खण्ड के सतत् विकास हेतु ड्रिप सिंचाई, यंत्रीकृत कृषि, वार्टिकल फार्मिंग, सगन्ध व औषधीय कृषि एवं ऑरगेनिक/कामर्शियल फार्मिंग अधिक उपजदायी किस्म के उन्नतिशील बीजों का ससमय वितरण, मृदा स्वास्थ्य में गिरावट को रोकना, सौर ऊर्जा चालित ट्रैक्टर्स/पम्पसेट्स/ट्यूबवेल्स का प्रयोग, कृषि जलवायु क्षेत्र अनुकूल फसल चक्र अपनाना, अधिक से अधिक पशुचिकित्सालयों की स्थापना एवं मत्स्य विकास नीति का प्रभावी कार्यान्वयन इत्यादि को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

यद्यपि प्रदेश में कृषि उत्पादन प्रादेशिक जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उच्च स्तर पर है परन्तु अन्य प्रदेशों पंजाब व हरियाणा की तुलना में प्रदेश में उत्पादकता कम है जैसाकि निम्न सारणी से स्पष्ट है–

तालिका–2.02 : प्रमुख फसलों की उत्पादकता वर्ष 2016–17 (क्रि0ग्रा0/हेक्टेयर)

क्र0सं0	राज्य/मद	गेहूँ	धान	तिलहन	गन्ना
1	पंजाब	4704	3998	1386	81273
2	हरियाणा	4514	3213	1832	80618
3	उत्तर प्रदेश	3113	2295	876	64893

स्रोत– कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

कृषि से सम्बद्ध क्षेत्र–रेशम निदेशालय के प्रयासों से प्रदेश में कच्चे रेशम हेतु कीट पालन क्षेत्र में विकास हो रहा है। वर्ष 2018–19 में प्रदेश का कुल कच्चा रेशम उत्पादन लगभग 300 मीट्रिक टन और कोया उत्पादन लगभग 26000 था। रेशम कीट विकास योजना, रेशम अनुसंधान एवं विकास योजना, उष्णकटिबंधीय टसर के लिए नर्सरी पौध उत्पादन की योजना के माध्यम से रेशम कीट पालन उद्योग को प्रोत्साहित करके राज्य में रेशम उत्पादन बढ़ाते हुये जिला घरेलू उत्पाद में वृद्वि सुनिश्चित होगी।

पशुधन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश एक समृद्ध राज्य है। देश के कुल पशुधन का 13.4 प्रतिशत पशु सम्पदा उत्तर प्रदेश में है। गोवंशीय पशु, महिषमंशी पशु, बकरी, भेड़ सूकर, कुक्कुट व अन्य पशुधन आदि के स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, टीकाकरण आदि कार्य प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे है, जिससे उच्च प्रजनन क्षमता एवं उत्पादन में बढ़ोत्तरी से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को व्यापक गति मिल सके। पशुपालन सीधे किसानों के हित से जुड़ा है अतः पशुओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के व्यवसाय किये जा सकते है और इससे वर्ष 2022 तक किसानों के आय को दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। पशुधन क्षेत्र में विकास हेतु व्यावयासिक बटेरपालन, ब्रायलर पालन, चारा उत्पादन हेतु बाजरे व बरसीम की खेती, कुक्कुट पालन, भेड़, बकरी व सुकर पालनके माध्यम से दूध, अण्डा, मांस व ऊन इत्यादि पशुउत्पाद में वृद्धि की जा सकती है।

कुक्कुट पालन योजना, जोखिम प्रबन्धन एवं पशु धन बीमा आदि योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है जिससे प्रदेश में जनपद स्तर पर आर्थिक विकास को गति दिया जा सके। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में जहाँ उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है वहीं भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है। **''सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य होने के उपरान्त भी संगठित क्षेत्रों द्वारा दुग्ध प्रसंस्करण 12 प्रतिशत से भी कम हो पा रहा है जबकि भारत का औसत दुग्ध प्रसंस्करण 17 प्रतिशत है। सर्वाधित दुग्ध प्रसंस्करण गुजरात में 49 प्रतिशत है।''*(स्रोत–एन.डी.डी.बी.)*** इस क्षेत्र में जिला घरेलू उत्पाद में वृद्वि की असीम संभावनाएं है।

कृषि में उत्पादन के साथ कृषकों की आय बढ़ाने के लिये **मधुमक्खी पालन** को प्रोत्साहन अतिआवश्यक है मधुमक्खी पालन से अनाज व फल उत्पादन में परागण(पालीनेशन) के कारण अच्छी वृद्धि की संम्भावना है, जिससे जिले की आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी। साथ ही मधुमक्खी

पालन से मिलने वाले उपउत्पाद जैसे वेनम पालन, रायल जेली, प्रोपेलिस, शहद तथा वैक्स कृषकों की आय में निश्चित तौर पर वृद्धि में सहयोगी होंगे।

जल संचयन को विशेष प्राथमिकता देते हुये उपलब्ध तालाबों को संरक्षित करते हुये नये तालाबों का निर्माण भी जिला आय में वृद्धि की करने की क्षमता से परिपूर्ण है। सिंचाई में सहयोग के साथ तालाब में मछली उत्पादन (कुक्कुट पालन के साथ), सिंघाड़ा व कमल के फूल की खेती को प्रोत्साहित कर आय में वृद्धि की जा सकती है। जनपद स्तर पर **मत्स्य पालन** कम लागत का उद्योग होने के कारण मछली पालन में रोजगार के अवसर असीमित है। पर्यावरणीय पर्यटन के रूप में भी मत्स्य उद्योग में असीम सम्भावनायें है। सजावटी मछलियों की बढ़ती मांग के चलते भी इस उद्योग में सीमा से अधिक विस्तार की सम्भवना है। इसके लिए आवश्यक है कि गुणवत्तायुक्त बीज मत्स्य पालकों को उपलब्ध कराया जाये तथा स्थानीय स्तर पर ही उत्पादकता के अनुरूप विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये इस हेतु बहुउद्देशीय कोल्ड स्टोरेज, जो फल, फूल, सब्जी, दूघ मांस आदि के लिए भी प्रयुक्त हो सके, की स्थापना से उत्पादों को सुरक्षित रखने की समस्या दूर होगी। मत्स्य पालन के साथ–साथ मत्स्य प्रसंस्करण को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिसके अन्तर्गत मछली का अचार, तेल, फिश मील (खाद) आटा, ग्लू आदि का निर्माण छोटे स्तर पर करते हुए जिला घरेलू आय में वृद्वि सुनिश्चित की जा सकती है।

2. एम0एस0एम0ई0

देश के कुल विनिर्माण उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 8 प्रतिशत है एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्यात में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। एमएसएमई सेक्टर कृषि के बाद सबसे कम पूंजी में रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है। देश में सर्वाधिक (अनुमानतः 14.2 प्रतिशत) एम0एस0एम0ई0 उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात में उत्तर प्रदेश प्रमुख राज्य है जिसमें–हस्तशिल्प उत्पाद, इंजिनियरिंग गुड्स, रेडीमेड गारमेंन्ट्स, जरदोजी, कालीन, चर्म उत्पाद, सिल्क उत्पाद इत्यादि सम्मिलित है। प्रदेश सरकार द्वारा ओ0डी0आ0पी0 स्कीम की सहायता से अगले कुछ वर्षों में एम0एस0एम0ई0 उत्पादों के निर्यात को बढ़ाकर 5 ट्रिलियन रूपये तक करने का लक्ष्य है।

भविष्य में बाजार की मांग के आधार पर पाठयक्रम और व्यापार कौशल प्रदान करने हेतु कम एच0डी0आई0 वाले जनपदों में माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ डिप्लोमा स्तर के तकनीकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और कौशल विकास मिशन के माध्यम से दिव्यांग, महिलाओं और व्यक्तियों के लिए कौशल/नौकरियों के नए सेट डिजाईन किये जाने का लक्ष्य है। कौशल विकास को शत–प्रतिशत रोजगार तथा स्वरोजगार से जोड़कर सभी के लिए काम की परिस्थितियां पैदा की जा सकती है।उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में एम0एस0एम0ई0 खण्ड के अन्तर्गत जिला आय में वृद्धि की असीम सम्भावनायें है।

वर्तमान कोरोना संक्रमण काल में **माइग्रेटेड लेबर** की लिस्ट उनके स्किल को मैप करते हुये जनपद स्तर पर तैयार करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस स्किल्ड श्रम शक्ति को जनपद, अर्न्तजनपदीय विभिन्न प्रदेशों में व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग के अनुरूप संक्षिप्त प्रशिक्षण देते हुये नियोक्ता की भूमिका निभा कर जनपद व उन श्रामिकों दोनो की आय में वृद्धि के साथ रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा।

3. पर्यटन

वर्ष 2018 में आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या के अनुसार प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान तथा विदेशी पर्यटको की संख्या के अनुसार देश में तृतीय स्थान रहा। पर्यटन खण्ड न केवल 2.28 लाख लोगो को रोजगार प्रदान करता है बल्कि विदेशी मुद्रा अर्जन का भी प्रमुख स्रोत है।

पर्यटन में **पेंइगगेस्ट योजना** (किसी निजी मकान मालिक द्वारा अपने घर का एक हिस्सा (कुछ कमरे) पर्यटकों को किराये पर उपलब्ध कराते हुए नाश्ता/भोजन की भी सुविधा उपलब्ध करा सकेगा एवं कमरे का किराया एवं भोजन आदि के लिये आवश्यक निर्धारित धनराशि पर्यटकों से प्राप्त कर सकेगा), **इन्क्रेडेबिल इंडिया के अन्तर्गत बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना** (विदेशी पर्यटकों को भारतीय परिवार के साथ रहने उनकी संस्कृति का अनुभव व परंपराओं को समझने और भारतीय व्यजानों के स्वाद के लिये एक उत्कृष्ट अवसर के रूप में) तथा **रूरबन विलेज** (The Rurban village) को प्रोत्साहन कर जिला आय में वृद्धि की जा सकेगी।

4. अवस्थापना विकास

अवस्थापना सुविधाओं के अन्तर्गत परिवहन, संचार, ऊर्जा तथा पेयजल विकास संबंधी भौतिक सुविधाओं का विस्तार शामिल है। इन सुविधाओं की सुदृढ़ एवं व्यापक व्यवस्था के बिना समग्र आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। अवस्थापना सुविधाओं पर किया जा रहा निवेश, कृषि, उद्योग तथा व्यापार के विकास हेतु उत्प्रेरक का कार्य करता है। राज्य में परिवहन एवं संचार व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं उपयोगी बनाने की दृष्टि से प्रदेश में सड़क मार्गों, एक्सप्रेस वेज, रेल मार्गों, वायु मार्गों, जल मार्गों एवं मेट्रो रेल के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है। अवस्थापना विकास हेतु प्रदेश में **डिफेंस कॉरिडोर**, (आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झॉसी, कानपुर एव लखनऊ)**गंगा एक्सप्रेस–वे** (मेरठ, अमरोहा, बुलन्दशहर, बदाँयू, शाहजहाँपुर, फर्रूखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज कुल 12 जिले), **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे** (गोरखपुर, आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, संतकबीर नगर कुल 4 जिले), **पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे** (लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुलतानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर कुल 9 जिले), **बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे** (चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावाकुल 7 जिले), **स्मार्ट सिटी मिशन**(उत्तर प्रदेश में 12 शहरों यथा मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा, रामपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किया गया है) आदि परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे** न केवल प्रदेश के अवध और पूर्वांचल क्षेत्रों को जोड़ेगा, बल्कि इसके निर्माण से पूर्वी क्षेत्र प्रदेश की राजधानी के साथ **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे** तथा **यमुना एक्सप्रेस–वे** के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से भी जुड़ जाएगा।

वायु परिवहन के क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं है। गौतमबुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट तथा अलीगढ़, आजमगढ़, बरेली, चित्रकूट, झांसी, मुरादाबाद, सोनभद्र–म्योरपुर, श्रावस्ती में एयरपोर्ट विकसित किये जा रहे है।

जल परिवहन के क्षेत्र में विकास की असीम सम्भावना है, राष्ट्रीय जल मार्ग–1 प्रयागराज से शुरू हो कर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक जाता है। यह प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर तथा बलिया से हो कर गुजरता है, जल परिवहन इनवायरमेण्ट फ्रैण्डली, इम्प्लायमेण्ट ओरिएण्टेड, इकोनामिक व फ्यूल एफीशिएण्ट है। इसके अतिरिक्त ऐसे शहरों को जहाँ सम्भव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थ्रू स्टीमर या क्रूज विकसित कर आय के साधन व ट्रेफिक प्रबन्धन के नये आयाम प्रारम्भ किये जा सकते है। उदाहरण के तौर पर लंदन के वाटरवेज टेम्स नदीया फ्रांस के वाटरवेज ल्वायर नदी (फ्रांस की सबसे बड़ी नदी) के तर्ज पर।

उपर्युक्त अवस्थापनागत विकास से रोजगार सृजन के अतिरिक्त पर्यटन, व्यापार, विनिर्माण, निर्माण, स्थानीय उत्पाद तथा अन्य सेवा क्षेत्रों में भी समग्र विकास के साथ ही जिला घरेलू उत्पाद में वृद्वि की असीम संभावनाएं सृजित होंगीं।

5.ऊर्जा

अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में ऊर्जा की आधारभूत आवश्यकता है। कृषि, औद्योगिक विकास, चिकित्सा एवं शिक्षा आदि क्षेत्रों में अभिवृद्धि के लिए विद्युत की उपलब्धता महत्वपूर्ण घटक है। उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं आपूर्ति मे सुधार के साथ ऊर्जा के गैर–परंपरागत स्रोतों का उपयोग सुनिश्चित करते हुए ग्रिड संयोजित सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाएं, मिनी–ग्रिड सोलर पावर प्लान्ट परियोजना कार्यक्रम, रूफटाप ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी पावर प्लाण्ट का क्रियान्वयन, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के माध्यम से स्थानीय मांग की आपूर्ति के साथ जिला घरेलू उत्पाद में वृद्वि सुनिश्चित होगी।

6.आई0टी0 एवं स्टार्टअप्स

आई0टी0 इन्ड्रस्ट्रीज, स्टार्टप्स, अवस्थापना, मानव संसाधन विकास और प्रभावी नीतियों द्वारा उत्तर प्रदेश आई0टी0 सेक्टर के विकास हेतु निरंतर प्रयासरत है। उक्त के क्रम में पी0पी0पी0 माडल पर लखनऊ में आई0टी0 सिटी की स्थापना की गयी है। इसी प्रकार आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली आदि स्थानों पर प्रस्तावित आई0टी0 पार्क का निर्माण करते हुये जिला घरेलू उत्पाद में वृद्वि की ओर अग्रसरित हुआ जा सकता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों यथा अवस्थापना, ऊर्जा, नागरिक उड्डयन, चिकित्सा, एम0एस0एम0ई0, ओ0डी0ओ0पी0, रक्षा उद्योग, टेक्सटाइल हब, आई0टी0 सिटी एवं खाद्य प्रसंस्करण सहित अनेक क्षेत्रों में विकासपरक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इस दिशा में प्रदेश निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसरित है। प्रदेश सरकार के इन प्रयासों के फलस्वरूप निश्चित ही इसका प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर स्थायी रूप से पड़ेगा। इसका एक पहलू यह भी है कि क्षेत्रीय स्तर पर सम्बन्धित जनपद में सहायक यूनिट के विकास को भी मदद मिलेगी जो जनपद के लिये एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हुये जिला घरेलू उत्पाद की वृद्धि में सहायक होगी, साथ ही जिला घरेलू उत्पाद अनुमान वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) का खण्डवार विस्तृत विवरण प्रभाग की वेबसाइट पर पुस्तिका के रूप में उपलब्ध है।

जिला घरेलू उत्पाद वर्ष 2018–19 के इन अनुमानों का खण्डवार आंकलन करते हुये जनपद के लिये सुझावात्मक रूप से कतिपय उत्प्रेरक तथ्यों का संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण आगामी पृष्ठों में प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के जनपदों की आर्थिक स्थिति व भौगोलिकता को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश को चार आर्थिक क्षेत्रों (परिशिष्ट–2) क्रमशः पश्चिमांचल (30 जनपद), मध्यांचल (10 जनपद), बुन्देलखण्ड (07 जनपद) एवं पूर्वांचल (28 जनपद), में विभाजित किया गया है। अतएव आर्थिक क्षेत्र के जनपदों का प्रस्तुतीकरण अग्र पृष्ठों पर वर्णित है–

क्रमशः .....

पश्चिमांचल सम्भाग

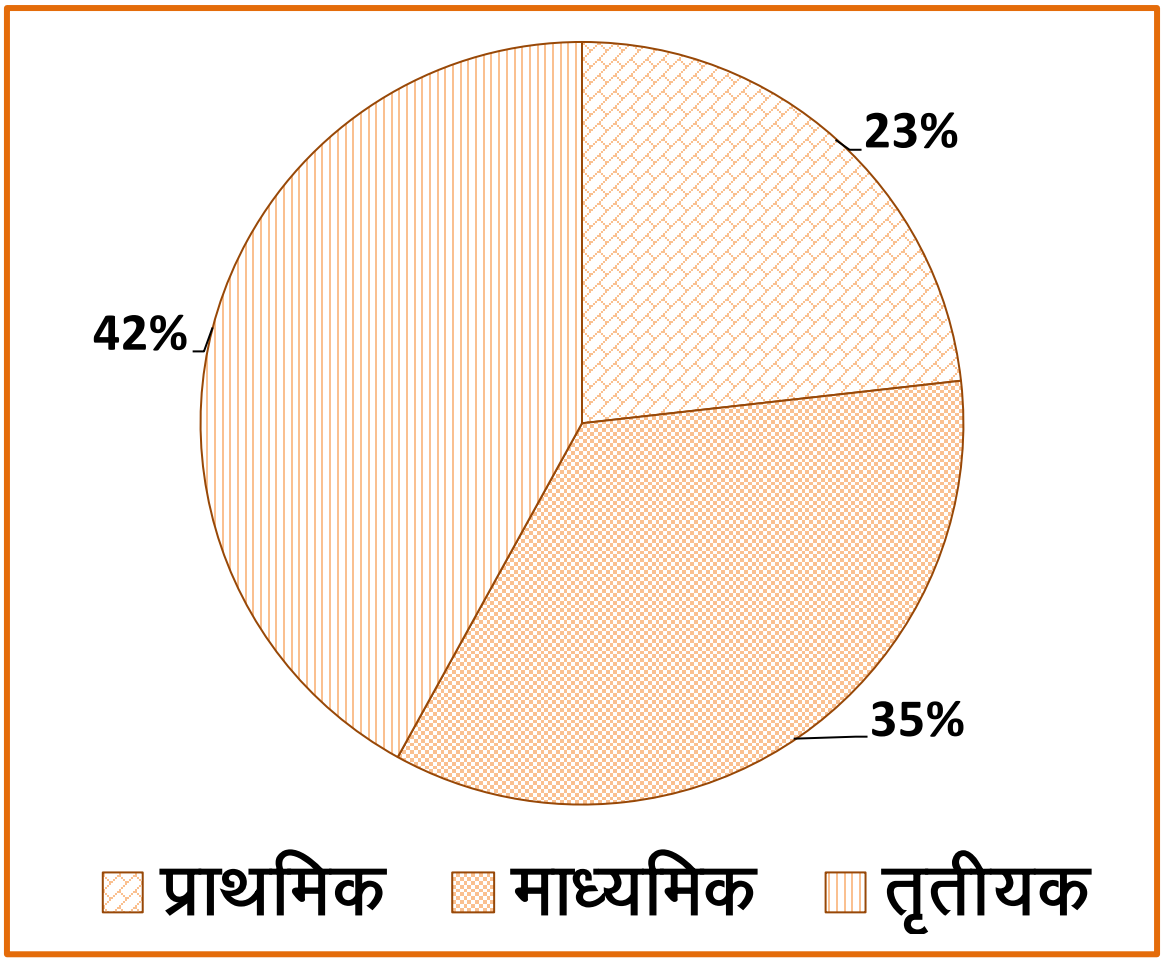

जिला घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार स्थिति

सहारनपुर

1	क्षेत्रफल–363791 (हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 362265	2401
	नगरीय–	हेक्टेयर 1526	1067
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत(वर्ष 2011)		25.46
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत(वर्ष 2011)		47.91
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		268.59
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		158.70
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		259.07
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		406.13
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		159.1
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		29.8
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 2.43 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 27.06 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 29.58 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक–17.93 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		97.38
12	वन क्षेत्रफल–हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		33313
13	एक जिला एक उत्पाद		काष्ठ शिल्प (वुड कार्विग)

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 27403.95 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 9930.68 करोड़ (36.24 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 4731.91 करोड़ (17.27 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 12741.37 करोड़ (46.49 प्रतिशत) का योगदान करता है।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 72153 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी है।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 6003.68 करोड़ है, जिसमे लगभग 65 प्रतिशत अंश में क्रमशः गन्ना 42 प्रतिशत, आम 23 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3304.31 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 78 प्रतिशत, 06 प्रतिशत एवं 01 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 4731.91 करोड़ है, जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 1803.03 करोड़ (6.58 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 2564.55 करोड़ (9.36 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 364.32 करोड़ (1.33 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 12741.37 करोड़ अनुमानित किया गया है, जनपद के सकल मूल्य वर्धन में व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 3032.47 करोड़ (11.07 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1720.25 करोड़ (6.28 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 783.68 करोड़ (2.86 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 4350.37 करोड़ (15.87 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 1093.73 करोड़ (3.99 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 1761.05 करोड़ (6.43 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्वि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासो के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1–कृषि क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

गन्ना एवं आम उत्पादन में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा) तिलहनी (सरसों) सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलत करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैश मल्चिग का प्रयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति,जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारो खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- जनपद में जल दोहन का 120 प्रतिशत तक स्तर होने के कारण जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) की वृद्धि की निरन्तरता सुनिश्चित रखने हेतु जल संरक्षण की नितांत आवश्यकता है।

2–MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद व जी0आई0 टैग युक्त उत्पाद–काष्ठ शिल्प (वुड कार्विग) तथा टेक्सटाइल्स, फाउण्ड्री, लेदर फुटवियर क्लस्टर को प्रोत्साहन।
- यहां आम भी एक प्रमुख फसल है। इसकी प्रोसेसिंग (मैंगों जूस, पल्प, कैंडी, स्क्वैश,अमावट, अचार, मुरब्बा, जैम, पना इत्यादि) तथा इनके निर्यात को प्रोत्साहन।
- ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 116885 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 453 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 62वें व 41वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में शाकुम्भरी देवी का प्रसिद्ध मन्दिर तथा क्राफ्ट/हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाइल सर्किट जो पर्यटन क्षेत्र का एक भाग है, अतः इससे संबंधित सेवाओं का प्रोत्साहन ।

4–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली, कोटा जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

❄❄❄❄

मुजफ्फरनगर

1	क्षेत्रफल–293815 (हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 285654	2025
	नगरीय–	हेक्टेयर 8161	805
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		26.20
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		51.52
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		215.60
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		106.63
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		213.63
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		319.42
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		149.5
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		52.8
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 26.97 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –25.66 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 27.49 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक– 19.87 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		95.03
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		24054
13	एक जिला एक उत्पाद		गुड़ उत्पाद

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 24275.87 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 8664.93 करोड़ (35.69 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 4600.95 करोड़ (18.95 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 11009.99 करोड़ (45.35 प्रतिशत) का योगदान करता है।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 78329 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 5481.11 करोड़ है, जिसमे लगभग 70 प्रतिशत अंश गन्ने का है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2899.87 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस का योगदान क्रमशः 82 प्रतिशत, 07 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 4600.95 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 1788.35 करोड़ 7.37 प्रतिशत, विनिर्माण खण्ड रू0 2284.12 करोड़, (9.41 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 528.47 करोड़ 2.18 प्रतिशत का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 11009.99 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 2659.12 करोड़ (10.95 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान 1285.30 करोड़ (5.29 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 746.77 करोड़ (3.08 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 2774.13 करोड़ (11.43 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 2434.69 करोड़ (10.03 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 1109.97 करोड़ (4.57 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1–कृषि के अपेक्षित कार्य–

यह जनपद गन्ना उत्पादन में प्रदेश में मुख्य स्थान रखता है। इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा), तिलहनी (सरसों) सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलत करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैशमल्चिंग का प्रयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के गन्ना किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित गन्ना शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा गन्ने के खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- यहॉ गुड़ होल सेल की बड़ी मंडी है। अतः गुड़ उत्पाद के निर्यात हेतु प्रोत्साहन।
- वुडेन फर्नीचर, मैट, एग्रीकल्चर इक्विपमेण्ट्स क्लस्टर को प्रोत्साहन।
- ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

- वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 971301 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 163 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 37वें व 49वें स्थान पर है।
- इस जनपद में स्थित शुक्रताल तथा हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सैंच्युरी को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

4–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसा विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

❄❄❄❄

शामली

1	क्षेत्रफल–127683 (हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 118808	928
	नगरीय–	हेक्टेयर 8875	386
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		24.7
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		106.01
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		63.75
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		105.99
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		169.74
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		160.1
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		37.2
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 0 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 0 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 0 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक– 0 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		98.52
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		5484
13	एक जिला एक उत्पाद		रिम एवं धुरा (एक्सेल)

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 9713.01 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 4422.79 करोड़ (45.53 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 1660.11 करोड़ (17.09 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 3630.11 करोड़ (37.37 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 71969 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2749.94 करोड़ है, जिसमे लगभग 75 प्रतिशत अंश में क्रमशः गन्ना 58 प्रतिशत, धान 5 प्रतिशत एवं गेहूँ 12 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1459.07 करोड़ ह, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 86 प्रतिशत, 03 प्रतिशत एवं 01 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1660.11 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 763.92 करोड़ (7.86 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 638.15 करोड़ (6.57 प्रतिशत), विद्युत गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 258.04 करोड़ (2.66 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3630.11 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1205.71 करोड़ (12.41 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान 451.71 करोड़ (4.65 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 266.91 करोड़ (2.75 प्रतिशत) स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 1246.35 करोड़ (12.83 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 42.51 करोड़ (0.44 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0 416.92 करोड़ (4.29 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

गन्ना उत्पादन में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा), तिलहनी (सरसों) सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलत करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैश मल्चिग का प्रयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति ,जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के गन्ना किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित गन्ना शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा गन्ने के खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- जनपद में जलदोहन का 109 प्रतिशत तक स्तर होने के कारण जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) की वृद्धि की निरन्तरता सुनिश्चित रखने हेतु जल संरक्षण की नितांत आवश्यकता है।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद रिम एवं धुरा हेतु क्लस्टर का विकास व प्रोत्साहन।
- ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

- विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।
- रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

❄❄❄❄

बिजनौर

1	क्षेत्रफल–464545 (हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 451371	2758
	नगरीय–	हेक्टेयर 13174	925
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		22.80
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		50.27
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		332.33
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		78.46
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		325.36
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		388.89
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		123.6
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		50.0
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 32.54 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –29.25 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 25.78 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक– 12.42 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		95.80
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर(वर्ष 2015–16)		54451
13	एक जिला एक उत्पाद		काष्ठ शिल्प (वुड क्राफ्ट)

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 27967.98 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 9334.98 करोड़ (33.38 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 6157.17 करोड़ (22.02 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 12475.82 करोड़ (44.61 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 69934 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 6494.58 करोड़ है, जिसमे लगभग 80 प्रतिशत अंश में क्रमशः धान 5 प्रतिशत, गेहूँ 12 प्रतिशत एवं गन्ना 63 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1568.25 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस का योगदान क्रमशः 80 प्रतिशत, 5 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 6157.17 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 2695.45 करोड़ (9.64 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 2919.70 करोड़

(10.44 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 542.03 करोड़ (1.94 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 12475.82 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 2976.94 करोड़ (10.64 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1486.59 करोड़ (5.32 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 789.36 करोड़ (2.82 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 3675.38 करोड़ (13.14 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 1703.32 करोड़ (6.09 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 1844.24 करोड़ (6.59 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1–कृषि के अपेक्षित कार्य–

यह जनपद गन्ना उत्पादन में मुख्य स्थान रखता है तथा गन्ना एवं गेहूँ उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा) तिलहनी (सरसों) सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलत करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैशमल्चिंग का प्रयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, खेत में कब निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2–MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद काष्ठ शिल्प (वुड क्राफ्ट), बेंत और बॉस तथा पेंटिग ब्रश इण्डस्ट्रीज, मेटल यूटेन्सिल्स के क्लस्टर का विकास एवं प्रोत्साहन।

➢ गेहूँ के पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।

➢ गेहूँ की फसल के उपउत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 2524086 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 258 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 16वें व 47वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित विदुरकुटी, पत्थरगढ़ (नजीबुद्दौला का किला), दरगाह आलिया जोगीपुरा तथा हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सैंच्युरी को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

4–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

❄❄❄❄

मुरादाबाद

1	क्षेत्रफल–223920(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 215312	1914
	नगरीय–	हेक्टेयर 8608	1201
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		23.16
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		49.81
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		173.10
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		137.89
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		168.07
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल–हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		254.67
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		179.7
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		15.5
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 38.05 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 25.99 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 24.20 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक–11.77 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		97.07
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		64
13	एक जिला एक उत्पाद		धातु शिल्प

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 26641.84 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 4306.22 करोड़ (16.16प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 9942.02 करोड़ (37.32 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 12393.60 करोड़ (46.52 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 74510 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3235.18 करोड़ है, जिसमे लगभग 70 प्रतिशत अंश में क्रमशःगन्ना 31 प्रतिशत, धान 20 प्रतिशत एवं गेहूँ 19 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 798.01 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 84 प्रतिशत, 07 प्रतिशत एवं 01 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 9942.02 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 2567.33 करोड़ (9.64 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 7028.70 करोड़ (26.38 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 345.99 करोड़ (1.30 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 12393.60 करोड़ अनुमानित किया गया हैजिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 2748.63 करोड़ (10.32 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 2123.37 करोड़ (7.97 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 928.50 करोड़ (3.49 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 2844.15 करोड़ (10.68 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 2321.76 करोड़ (8.71 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 1427.80 करोड़ (5.36 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1–कृषि के अपेक्षित कार्य–

गन्ना, धान एवं गेहूँ उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा) तिलहनी (सरसों) सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलत करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैशमल्चिंग का प्रयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति,जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, खेत में कब निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2–MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण का प्रमुख केन्द्र होने के कारण इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद धातु शिल्प (जी0आई0टैग युक्त), मेंथा के उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रसंस्कृत उत्पाद तथा ब्रासवेयर, ब्रास ऑर एल्युमिनियम इनगॉट मेकिंग, हैण्डलूम, आरर्टिस्टिक दरी–रग्स वूलेन, जीन्स और रेडीमेड गारॅमेण्ट, ऐडिबल आयल, लेदर शू एण्ड चप्पल, हॉर्न एण्ड बोन क्लस्टर का विकास एवं निर्यात को प्रोत्साहन।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवडा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग बिजली बनाने हेतु।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 552176 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 2146 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 48वें व 28वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में क्राफ्ट/हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाइल सर्किट जो पर्यटन क्षेत्र का एक भाग है, अतः इससे संबंधित सेवाओं को प्रोत्साहन ।

4–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

❄❄❄❄

सम्भल

1	क्षेत्रफल–245330 (हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 238797	1731
	नगरीय–	हेक्टेयर 6533	468
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		24.6
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		192.53
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		179.76
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		180.32
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		274.96
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		193.4
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		13.1
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 0 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 0प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर–0 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक– 0 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		96.78
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		232
13	एक जिला एक उत्पाद		सींग एवं अस्थि उत्पाद

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 13094.83 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 4635.31 करोड़ (35.40 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू03017.31 करोड़ (23.04 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 5442.21 करोड़. (41.56 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 53289 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3381.34 करोड़ है, जिसमे लगभग 55 प्रतिशत अंश में क्रमशः गेहूँ 25 प्रतिशत, गन्ना 19 प्रतिशत, धान 8 प्रतिशत एवं आलू 3 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1129.97 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस का योगदान क्रमशः 76 प्रतिशत, 06 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3017.31 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 1636.50 करोड़ (12.50 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 1161.90 करोड़

(8.87 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 218.91 करोड़ (1.67 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 5442.21 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1405.28 करोड़ (10.73 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 777.90 करोड़ (5.94 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 440.11 करोड़ (3.36 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 1993.56 करोड़ (15.22 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 36.53 करोड़ (0.28 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 788.83 करोड़ (6.02 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1–कृषि के अपेक्षित कार्य–

गन्ना आलू तथा गेहूँ उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा), तिलहनी (सरसों), सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलत करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैशमल्चिंग का प्रयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति,जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2–MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद सींग एवं अस्थि (ज्वैलरी, किचनवेयर, लकड़ी की छड़ी) उत्पाद का विकास एवं निर्यात को प्रोत्साहन।

➢ कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनाने हेतु प्रोत्साहन।

➢ बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।

➢ गेहूँ के पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 1839599 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 106 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 20वें व 54वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित कल्कि विष्णु मंदिर तथा क्राफ्ट/हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाइल सर्किट जो पर्यटन क्षेत्र का एक भाग है, अतः इससे संबंधित सेवाओं को प्रोत्साहन।

❄❄❄❄

रामपुर

1	क्षेत्रफल–235726(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 226812	1747
	नगरीय–	हेक्टेयर 8914	589
2	कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		24.16
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		59.99
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		187.42
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		165.20
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		183.79
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		303.48
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		188.1
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		8.0
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 31.82 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 27.00 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 25.23 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक– 15.95 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		97.75
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		6611
13	एक जिला एक उत्पाद		पैचवर्क

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 19559.07 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 5252.38 करोड़ (26.85 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 6585.89 करोड़ (33.67 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 7720.81 करोड़ (39.47 प्रतिशत) का योगदान करता है।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 75852 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3829.53 करोड़ है जिसमे लगभग 65 प्रतिशत अंश में क्रमशः धान 26 प्रतिशत, गेहूँ 24 प्रतिशत एवं गन्ना 15 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1257.05 करोड़ है जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः80 प्रतिशत, 05 प्रतिशत एवं 01 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 6585.89 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 4105.36 करोड़ (20.99 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 2298.47 करोड़

(11.75 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 182.06 करोड़ (0.93 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 7720.81 करोड़ अनुमानित किया गया है जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1827.30 करोड़ (9.34 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 892.95 करोड़ (4.57 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 562.21 करोड़ (2.87 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 2241.38 करोड़ (11.47 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 924.33 करोड़(4.73 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 1272.65 करोड़ (6.51 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1–कृषि के अपेक्षित कार्य–

गन्ना, धान एवं गेहूँ उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा, तिलहनी (सरसों), सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैशमल्चिंग का प्रयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्रमें एक जिला एक उत्पाद (पैचवर्क) मेन्था, राइस मिल और रेडीमेड गारमेन्ट, हैण्डलूम एण्ड हैण्डमेड कारपेट के क्लस्टर हेतु विकास एवं प्रोत्साहन।

➢ गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवडा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग बिजली बनाने हेतु।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 525156 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 692 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 50वें व 36वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित रामपुर रजा लाईब्रेरी (रामपुर का किला) तथा क्राफ्ट/हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाइल सर्किट जो पर्यटन क्षेत्र का एक भाग है, अतः इससे संबंधित सेवाओं को प्रोत्साहन ।

❄❄❄❄

अमरोहा

1	क्षेत्रफल–216879 (हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 212331	1382
	नगरीय–	हेक्टेयर 4548	459
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत(वर्ष 2011)		24.65
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		58.70
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		175.06
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		104.86
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		172.04
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		244.40
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		159.9
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		30.0
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 36.53 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –24.49 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 23.98 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक– 15.00 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		97.23
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		21001
13	एक जिला एक उत्पाद		वाद्य यंत्र (ढोलक)

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 20251.03 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 5572.93 करोड़ (27.52 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 7676.91 करोड़ (37.91 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 7001.19 करोड़ (34.57 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 99422 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3332.39 करोड़ है, जिसमे लगभग 60 प्रतिशत अंश में क्रमशः गन्ना 42 प्रतिशत, गेहूँ 13 प्रतिशत एवं धान 5 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2074.00 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 76 प्रतिशत, 04 प्रतिशत एवं 01 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 7676.91 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 3887.71 करोड़ (19.20 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 3447.46 करोड़ (17.02 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 341.74 करोड़ (1.69 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 7001.19 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 2191.22 करोड़ (10.82 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 869.94 करोड़ (4.30 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 545.17 करोड़ (2.69 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 1863.44 करोड़ (9.20 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 598.00 करोड़ (2.95 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 933.42 करोड़ (4.61 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1–कृषि के अपेक्षित कार्य–

गन्ना एवं गेहूँ उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा, तिलहनी (सरसों), सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैशमल्चिंग का प्रयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- जनपद में जलदोहन का 105 प्रतिशत तक स्तर होने के कारण जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) की वृद्धि की निरन्तरता सुनिश्चित रखने हेतु जल संरक्षण की नितांत आवश्यकता है।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2–MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद (वाद्ययंत्र ढोलक) तथा जैकेट गॉरमेण्ट, टेक्सटाइल्स, लेड एसिड बैटरी के क्लस्टर हेतु विकास एवं प्रोत्सहन।

➢ गेहूँ की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 978753 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 600 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 36वें व 38वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में वासुदेव मंदिर, शाह विलायत शाह दरगाह तथा हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सैंच्युरी को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के क्षेत्रों, का विकास।

4–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

❄❄❄❄

मेरठ

1	क्षेत्रफल–273005(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 257239	1685
	नगरीय–	हेक्टेयर 15766	1759
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत(वर्ष 2011)		25.87
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		32.35
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		196.54
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		104.50
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		196.53
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		301.03
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		153.2
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		46.6
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम–32.16 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 24.51 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 25.73 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक– 17.60 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		95.03
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		21314
13	एक जिला एक उत्पाद		खेल का सामान

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 46950.21 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 9351.58 करोड़ (19.92 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 17779.61 करोड़ (37.87 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 19819.01 करोड़ (42.21 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 128667 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 5086.31 करोड़ है, जिसमे लगभग 70 प्रतिशत अंश में क्रमशः गन्ना 58 प्रतिशत, गेहूँ 10 प्रतिशत एवं धान 2 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3448.05 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस का योगदान क्रमशः 88 प्रतिशत, 03 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 17779.61 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 10118.74 करोड़ (21.55 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 6497.94 करोड़ (13.84 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 1162.94 करोड़ (2.48 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 19819.01 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 3858.11 करोड़ (8.22 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 2943.89 करोड़ (6.27 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 1237.99 करोड़ (2.64 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 6116.57 करोड़ (13.03 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 3754.40 करोड़ (8. 00 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 1908.04 करोड़ (4.06 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1–कृषि के अपेक्षित कार्य–

गन्ना,गेहूँ एवं आलू उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा, तिलहनी (सरसों), सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैशमल्चिंग का प्रयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण का प्रमुख केन्द्र होने के कारण इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद (खेल का समान) जी0आई0 टैग युक्त कैंची, ग्लास एवं वुडेन बीड्स, इम्ब्रायडरी, आर्टिफिशियल ज्वैलरी, गैस पैट्रोमेक्स एण्ड स्पेयर मैन्यूफैक्चरर, लेदर गुड्स एण्ड इक्विपमेण्ट्स एवं बैण्ड बाजा हेतु अलग–अलग क्लस्टर का विकास और प्रोत्साहन।

➢ कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनाने हेतु प्रोत्साहन।

➢ बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।

➢ गेहूँ की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 1905036 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 3412 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 19वें व 23वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में परीक्षितगढ़, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सैंच्युरी को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

4–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ सरकारी सहायता या पी0पी0पी0 माडल पर साफ्ट लाइब्रेरी केन्द्रों की विकसित करना जिससे उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, शोध संस्थानोंसे सम्बन्धित छात्र ऑनलाइन जर्नल्स में प्रकाशित अधुनान्त शोध पत्रों के माध्यम से लाभान्वित हो सके।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

❄❄❄❄

बागपत

1	क्षेत्रफल–134983(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 127443	1028
	नगरीय–	हेक्टेयर 7540	275
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत(वर्ष 2011)		25.67
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		48.40
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		107.38
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		66.17
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		107.33
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		173.70
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		161.6
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		45.3
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 30.87 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 25.21 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 27.60 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक– 16.32 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		95.53
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		1629
13	एक जिला एक उत्पाद		धरेलू सजावटी सामान

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 10664.91 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 4800.95 करोड़ (45.02 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 1470.60 करोड़ (13.79 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 4393.37 करोड़ (41.19 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 79563 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2209.70 करोड़ है, जिसमे लगभग 70 प्रतिशत अंश में क्रमशः गन्ना 58 प्रतिशत एवं गेहूँ 12 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2262.95 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस का योगदान क्रमशः 88 प्रतिशत, 03 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1470.60 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 346.20 करोड़ (3.25 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 912.79 करोड़ (8.56 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 211.61 करोड़ (1.98 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 4393.37 तृतीयक करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1355.67 करोड़ (12.71 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1160.79 करोड़ (10.88 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 366.29 करोड़ (3.43 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 1141.15 करोड़ (10.70 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 48.93 करोड़ (0.46 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 320.54 करोड़ (3.01 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1–कृषि के अपेक्षित कार्य–

गन्ना एवं गेहूँ उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा, तिलहनी (सरसों), सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैशमल्चिंग का प्रयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2–MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण का प्रमुख केन्द्र होने के कारण इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद घरेलू सजावटी समान के क्लस्टर हेतु विकास और प्रोत्साहन।
- गेहूँ की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

❄❄❄❄

गाजियाबाद

1	क्षेत्रफल–92658 (हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 69393	591
	नगरीय–	हेक्टेयर 23265	2753
2	कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		26.76
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		17.80
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		50.79
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		26.82
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		50.76
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		77.59
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		152.8
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		57.3
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 34.61 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 27.86 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 25.19 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक–12.34 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		83.64
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		1824
13	एक जिला एक उत्पाद		यांत्रिकी उत्पाद

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 40843.16 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 2749.59 करोड़ (6.73 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 19041.71 करोड़ (46.62 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 19051.85 करोड़(46.65 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 92196 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 967.35 करोड़ है, जिसमे लगभग 60 प्रतिशत अंश में क्रमशः गन्ना 41 प्रतिशत, गेहूँ 14 प्रतिशत एवं धान 5 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1363.00 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 94 प्रतिशत, 04 प्रतिशत एवं 01 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 19041.71 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 4155.96 करोड़ (10.18 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 14477.73 करोड़

(35.45 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाए रू0 408.03 करोड़ (01 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 19051.85 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 4184.53 करोड़ (10.25 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 3184.41 करोड़ (7.80 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 1286.26 करोड़ (3.15 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 6731.07 करोड़ (16.48 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 2113.05 करोड़ (5.17 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0 1552.53 करोड़ (3.80 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद अभियांत्रिकी सामग्री (इंजीनियरिंग एण्ड ऑटो कम्पोनेन्ट्स) हेतु क्लस्टर का विकास व इनके निर्यात को प्रोत्साहन।
- ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।
- जनपद में जलदोहन का 128 प्रतिशत तक स्तर होने के कारण जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) की वृद्धि की निरन्तरता सुनिश्चित रखने हेतु जल संरक्षण की नितांत आवश्यकता है।

2– सूचना एवं संचार–

- जनपद विशेष में स्थापित आई0टी0 आधारित उद्योगों (आई0टी0 सिटी)द्वारा अपने कार्य के साथ, आस–पास स्थित तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत विधार्थियों के कौशल विकास में सहायता हेतु प्रोत्साहित करना, जिससे सूचना एवं संचार आधारित उद्योगों के कुशल संचालन एवं राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रति स्पर्धात्मक वातावरण में उद्योग व उद्योग में काम करने वाले पेशेवर व्यक्तियों द्वारा इस खण्ड में अधिक से अधिक सहभागिता प्राप्त करते हुये जनपद विशेष की आय में वृद्वि को और सुदृढ किया जा सके।
- सहायक संस्थानोंका विकास आई0टी0 सिटी के आस–पास सुनिशिचित किया जाये।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- सरकारी सहायता या पी0पी0पी0 माडल पर सा¶ट लाइब्रेरी केन्द्रों की विकसित करना जिससे उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, शोध संस्थानोंसे सम्बन्धित छात्र ऑनलाइन जर्नल्स में प्रकाशित अधुनान्त शोध पत्रों के माध्यम से लाभान्वित हो सके।
- रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली, कोटा जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

4– पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 1210766 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 15734 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 27वें व 13वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में धौला कुआं, लक्ष्मीनारायण मंदिर, मोदी नगर, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सैंच्युरी एवं ओखला सैंच्युरी को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के क्षेत्रों को पर्यटन हेतु प्रोत्साहन।

❄❄❄❄

हापुड़

1	क्षेत्रफल–114276 (हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 114276	940
	नगरीय–	हेक्टेयर –0	398
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		25.0
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		–
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		86.88
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		58.58
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		86.88
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		142.69
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		167.4
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		28.7
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम–0 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –0 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर–0 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक–0 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		92.76
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		846
13	एक जिला एक उत्पाद		घरेलू सजावटी सामान

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 13458.19 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 3739.77 करोड़ (27.79 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 3958.22 करोड़ (29.41 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 5760.20 करोड़ (42.80 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 92942 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1763.41 करोड़ है, जिसमे लगभग 65 प्रतिशत अंश में क्रमशः गन्ना 42 प्रतिशत, गेहूँ 14 प्रतिशत एवं धान 9 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1796.72 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 80 प्रतिशत, 03 प्रतिशत एवं 0.2 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3958.22 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 1458.32 करोड़ (10.84 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 2386.80 करोड़

(17.73 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 113.10 करोड़ (0.84 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 5760.20 तृतीयक करोड़ अनुमानित किया गया है,जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1488.34 करोड़ (11.06 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0599.08 करोड़ (4.45 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 371.97 करोड़ (2.76 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 2617.65 करोड़ (19.45 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 81.78 करोड़ (0.61 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 601.38 करोड़ (4.47 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1– कृषि के अपेक्षित कार्य–

गन्ना उत्पाद के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा, तिलहनी (सरसों), सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैशमल्चिंग का प्रयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- जनपद में जलदोहन का 107 प्रतिशत तक स्तर होने के कारण जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) की वृद्धि की निरन्तरता सुनिश्चित रखने हेतु जल संरक्षण की नितांत आवश्यकता है।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद (होम फर्निशिंग) तथा लैमिनेटेड फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, फैन्सी आइटम, टेक्सटाइल प्रिन्टिग, फैबीक्रेशन और जनरल इंजीनियरिंग के क्लस्टर का विकास व निर्यात हेतु प्रोत्साहन।
- बैंककबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4– पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 17610 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 71वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित गढ़मुक्तेश्वर व आस–पास के पर्यटक क्षेत्रों हेतु प्रोत्साहन।

❄❄❄❄

गौतमबुद्ध नगर

1	क्षेत्रफल–125422(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 124260	674
	नगरीय–	हेक्टेयर 1162	974
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		27.82
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		19.31
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		52.93
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		50.48
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		52.91
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		100.39
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		195.4
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		1.3
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 44.13 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –23.07 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 19.60 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक–13.19 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		75.08
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		1869
13	एक जिला एक उत्पाद		सिले–सिलाये वस्त्र

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 135518.19 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 2078.79 करोड़ (1.53 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 90123.42 करोड़ (66.50 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 43315.99 करोड़ (31.96 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 671209 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 550.85 करोड़ है, जिसमे लगभग 60 प्रतिशत अंश में क्रमशः गेहूँ 40 प्रतिशत, धान 16 प्रतिशत एवं गन्ना 04 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1277.25 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 90 प्रतिशत, 04 प्रतिशत एवं 0.2 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 90123.42 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 19975.33 करोड़ (14.74 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 63367.94 करोड़

(46.76 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 6780.14 करोड़ (5.00 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 43315.99 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 15922.21 करोड़ (11.75 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 2573.23 करोड़ (1.90 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 1379.97 करोड़ (1.02 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 20822.97 करोड़ (15.37 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 138.96 करोड़ (0.10 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 2478.65 करोड़ (1.83 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण का प्रमुख केन्द्र होने के कारण इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद रेडीमेड गारमेन्ट व टेक्सटाइल्स उत्पाद, इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर साप्टवेयर, सिरेमिक उत्पाद और होम फर्निशिंग इत्यादि उत्पादों हेतु क्लस्टर का विकास व इनके निर्यात को प्रोत्साहन ।
- जनपद में जलदोहन का 110 प्रतिशत तक स्तर होने के कारण जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) की वृद्धि की निरन्तरता सुनिश्चित रखने हेतु जल संरक्षण की नितांत आवश्यकता है।
- ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

2–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- सरकारी सहायता या पी0पी0पी0 माडल पर सा¶ट लाइब्रेरी केन्द्रों की विकसित करना जिससे उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, शोध संस्थानोंसे सम्बन्धित छात्र ऑनलाइन जर्नल्स में प्रकाशित अधुनान्त शोध पत्रों के माध्यम से लाभान्वित हो सके।
- रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।
- विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली, कोटा जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

3–सूचना एवं संचार–

- जनपद विशेष में स्थापित आई0टी0 आधारित उद्योगों (आई0टी0 सिटी) द्वारा अपने कार्य के साथ, आस–पास स्थित तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत विधार्थियों के कौशल विकास में सहायता हेतु

प्रोत्साहित करना, जिससे सूचना एवं संचार आधारित उद्योगों के कुशल संचालन एवं राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रति स्पर्धात्मक वातावरण में उद्योग व उद्योग में काम करने वाले पेशेवर व्यक्तियों द्वारा इस खण्ड में अधिक से अधिक सहभागिता प्राप्त करते हुये जनपद विशेष की आय में वृद्वि को और सुदृढ किया जा सके।

- सहायक संस्थानोंका विकास आई0टी0 सिटी के आस–पास सुनिशिचित किया जाये।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 335511 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 10030 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 56वें व 18वें स्थान पर है।
- इस जनपद में स्थित दनकौर, ओखला सैंच्युरी, एफ0वन0 ट्रैक एवं गोल्फ कोर्स को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटक क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

बुलन्दशहर

1	क्षेत्रफल–364974 (हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 364974	2632
	नगरीय–	हेक्टेयर 0	867
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		25.30
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		48.54
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		299.10
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		206.67
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		299.09
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		505.79
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		169.1
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		13.5
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 34.49 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 28.23 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 23.19 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक–14.08 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		96.96
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		8448
13	एक जिला एक उत्पाद		चीनी मिट्टी के बर्तन (पॉटरी)

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 32240.44 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 11735.11 करोड़ (36. 40 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 8276.88 करोड़ (25.67प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 12228.45 करोड़. (37.93 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 84860 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 5312.03 करोड़ है, जिसमे लगभग 60 प्रतिशत अंश में क्रमशः गेहूँ 24 प्रतिशत, गन्ना 20 प्रतिशत, धान 14 प्रतिशत एवं मक्का 02 प्रतिशत है।
2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 5844.22 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 88 प्रतिशत, 03 प्रतिशत एवं 0.2 प्रतिशत है।
3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 8276.88 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 3250.77 करोड़ (10.08 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 4560.42 करोड़ (14.15 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 465.69 करोड़ (1.44 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 12228.45 करोड़ अनुमानित किया गया है जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 3958.63 करोड़ (12.28 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1508.22 करोड़ (4.68 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 667.27 करोड़ (2.07 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 3363.75 करोड़ (10.43 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 1289.44 करोड़ (4.00 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 1441.15 करोड़ (4.47 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1–कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ के उत्पादन में प्रदेश में प्रमुख स्थान रखता है, तथा गन्ना, धान एवं गेहूँ के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा, तिलहनी (सरसों), सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैशमल्चिंग का प्रयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2–MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद (पॉटरी) तथा डेरी प्रोसेसिंग, सिरेमिक, स्टील पाइप, आई0टी0 उद्योग, रेडीमेड गारमन्टस (जींस), ट्रासफार्मर, इन्शूलेटर, क्रॉकरी, बाथरुम टॉयलेट्स आइटम इत्यादि के उत्पादों हेतु क्लस्टर का विकास व इनके निर्यात को प्रोत्साहन।
- बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।

➢ गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवडा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग बिजली बनाने हेतु।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 1174595 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 314 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 30वें व 43वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में कर्णवास तथा क्राफ्ट/हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाइल सर्किट स्थित है, जो पर्यटन क्षेत्र का एक भाग है। अतः इससे संबंधित सेवाओं का विकास ।

❄❄❄❄

अलीगढ़

1	क्षेत्रफल–371261 (हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 359328	2399
	नगरीय–	हेक्टेयर 11933	1275
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		23.57
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		46.00
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		305.63
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		259.93
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		303.60
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		485.09
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		185.0
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		8.9
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 25.74 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 25.12 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर–28.56 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक–20.58 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		94.89
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		2577
13	एक जिला एक उत्पाद		ताले एवं हार्डवेयर

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 28383.77 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 9250.82 करोड़ (32.59 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 6786.82 करोड़ (23.91 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 12346.13 करोड़(43.50 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 69361 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 4169.99 करोड़ है, जिसमे लगभग 60 प्रतिशत अंश में क्रमशः गेहूँ 30 प्रतिशत, धान 14 प्रतिशत, आम 5 प्रतिशत, आलू 6 प्रतिशत, गन्ना 3 प्रतिशत एवं सरसों 02 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 4276.06 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 64 प्रतिशत, 22 प्रतिशत एवं 0.4 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 6786.82 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 2532.74 करोड़ (8.92 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 3546.86 करोड़

(12.50 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 707.22 करोड़ (2.49 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 12346.13 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 3034.34 करोड़ (10.69 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1527.09 करोड़ (5.38 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 831.95 करोड़ (2.93 प्रतिशत) स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 3394.16 करोड़ (11.96 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 2173.40 करोड़ (7.66 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 1385.19 करोड़ (4.88 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1–कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ, धान, तिलहन एवं आलू के उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण का प्रमुख केन्द्र होने के कारण इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद लॉक्स (जी0आई0 टैग युक्त्त) एण्ड हार्डवेयर, ¶लोरमिल, जरी के क्लस्टर का विकास व निर्यात हेतु प्रोत्साहन।
- कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनाने हेतु प्रोत्साहन।
- बैंक एबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।
- गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवडा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग बिजली बनाने हेतु।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 3428111 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 15364 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 12वें व 15वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित सिद्धपीठ श्री खेरेश्वर धाम मंदिर, जो पर्यटन क्षेत्र का एक भाग है। अतः इससे संबंधित सेवाओं का विकास ।

❄❄❄❄

हाथरस

1	क्षेत्रफल–180155 (हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 180155	1232
	नगरीय–	हेक्टेयर 0	333
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		21.56
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		55.98
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		149.23
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		105.36
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		146.70
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		222.45
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		170.6
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		22.2
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 28.90 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –27.69 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 27.63 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक– 15.78प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत– (वर्ष 2014–15)		95.79
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		1795
13	एक जिला एक उत्पाद		हींग प्रसंस्करण

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 14785.83 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 4648.90 करोड़ (31.44 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 2038.23 करोड़ (13.78 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 8098.70 करोड़ (54.77 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 96453 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2589.55 करोड़ है, जिसमे लगभग 50 प्रतिशत अंश में क्रमशः आलू 20 प्रतिशत, गेहूँ 18 प्रतिशत, धान 06 प्रतिशत, बाजरा 4 प्रतिशत एवं आम 02 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1540.03 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 84 प्रतिशत, 05 प्रतिशत एवं 0.1 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2038.23 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 988.48 करोड़ (6.69 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 882.75 करोड़ (5.97 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 167.00 करोड़ (1.13 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 8098.70 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 3920.57 करोड़ (26.52 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 720.64 करोड़ (4.87 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 374.81 करोड़ (2.53 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 1783.05 करोड़ (12.06 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 461.61 करोड़ (3.12 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 838.03 करोड़ (5.67 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद (हींग) रेडीमेड गारमेन्टस, ग्लास एण्ड वुडेन बीड्स, कलर और देशी घी इत्यादि के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन ।
- कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनाने हेतु प्रोत्साहन।
- बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।
- गेहूँ की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।
- गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

2. कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ एवं आलू उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।

➢ प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।

➢ कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

➢ क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान

➢ जनपद में जलदोहन का 101 प्रतिशत तक स्तर होने के कारण जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) की वृद्धि की निरन्तरता सुनिश्चित रखने हेतु जल संरक्षण की नितांत आवश्यकता है।

2–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

3–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 1089577 की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 32वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित श्री दाऊजी महाराज मंदिर जो पर्यटन क्षेत्र का एक भाग है। अतः इससे संबंधित सेवाओं का विकास ।

❄❄❄❄

मथुरा

1	क्षेत्रफल–330328(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 330114	1668
	नगरीय–	हेक्टेयर 214	879
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत(वर्ष 2011)		23.35
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		47.19
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		267.30
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		137.50
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		267.00
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		334.55
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		151.4
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		14.8
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 15.33 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –20.86 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 30.34 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक– 33.47 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		94.11
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		1616
13	एक जिला एक उत्पाद		स्वच्छता सम्बन्धी उपकरण

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 20116.48 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 5353.62 करोड़ (26.61 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 5063.09 करोड़ (25.17 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 9699.77 करोड़ (48.22 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 70634 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2710.62 करोड़ है, जिसमे लगभग 60 प्रतिशत अंश में क्रमशः गेहूँ 45 प्रतिशत, सरसों 10 प्रतिशत एवं आलू 5 प्रतिशत, रहा है।
रहा है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2416.93 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 80 प्रतिशत, 05 प्रतिशत एवं 0.1 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 5063.09 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 984.75 करोड़ (4.90 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 3753.52 करोड़ (18. 66 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 324.83 करोड़ (1.61 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 9699.77 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 2275.25 करोड़ (11.31 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 2129.29 करोड़ (10.58 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 763.81 करोड़ (3.80 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 2353.02 करोड़ (11.70 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 1134.34 करोड़ (5.64 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 1044.06 करोड़ (5.19 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1.पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

➢ मुख्य पर्यटन स्थल वृन्दावन, बरसाना, गोकुल, नन्दगाव, गोवर्धन, कुसुमसरोवर, राधाकुण्ड, महावन एवं राजकीय संग्रहालय के आस–पास के अल्प विकसित पर्यटन स्थलों को विकसित करते हुये, उनका प्रचार प्रसार किया जाय।

➢ रात्रि निवास हेतु प्रोत्साहित किया जाये।

➢ दर्शनीय स्थलों को रात्रि में लाइट एण्ड साउण्ड शो के माध्यम का प्रयोग करते हुये रूचि कर बनाया जाये।

➢ होटल, रेस्टोरेन्ट को प्रेफर्ड रेट पर उपलब्ध कराते हुये जहॉ नहीं है वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था (पेइंग गेस्ट, पी0पी0पी0 माडलपर Dormitory) dk विकास किया जाये।

➢ आस–पास के पर्यटन स्थलों के भ्रमण हेतु पंजीकृत व्हीकल व गाइड की व्यवस्था उचितदर पर की जाये।

➢ पर्यटन केन्द्रों पर प्रदेश/जनपद स्तरीय यथा ओ0डी0ओ0पी0, जी0आई0 टैग युक्त, स्थानीय हस्त शिल्प उत्पादों का सरकार द्वारा निर्धारित दरा पर आउटलेट्स के माध्यम से बिक्री सुनिश्चित किया जाय।

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 8240400 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 29435 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 03वें व 11वें स्थान पर है।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ विनिर्माण क्षेत्रमें एक जिला एक उत्पाद (सैनेटरी फिटिंग्स) व बिल्डिग हार्डवेयर एवं टैप,आर्टीफिशियल ज्वैलरी (कंठी माला) ठाकुर जी की पोशाक, सिल्वर ऑरनामेंट of Propylene, सल्फर Qब्रिक यार्न Printing of saree and paper product इत्यादि के उत्पादों हेतु क्लस्टर का विकास व निर्यात हेतु प्रोत्साहन।

➢ कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनाने हेतु प्रोत्साहन।

➢ .बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।

➢ गेहूँ के पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ, तिलहन तथा आलू उत्पादन में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।

➢ क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान

➢ खेत को छुटटा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।

➢ कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

4–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

❄❄❄❄

आगरा

1	क्षेत्रफल–398970 (हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 385383	2395
	नगरीय–	हेक्टेयर 13587	2024
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत(वर्ष 2011)		23.77
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		36.61
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		258.68
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		176.19
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		243.80
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		281.84
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		168.1
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		26.1
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 24.32 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 26.38 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 27.17 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक–22.13 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		82.56
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		35696
13	एक जिला एक उत्पाद		चमड़े के उत्पाद

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 50555.67 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 6830.25 करोड़ (13.51 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 24884.47 करोड़ (49.22 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 18840.95 करोड़ (37.27 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 99941 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2946.75 करोड़ है, जिसमे लगभग 60 प्रतिशत अंश में क्रमशः गेहूँ 22 प्रतिशत, आलू 20 प्रतिशत, बाजरा 9 प्रतिशत एवं सरसों 9 प्रतिशत है।
2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3642.22 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 82 प्रतिशत, 06 प्रतिशत एवं 0.3 प्रतिशत है।
3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 24884.47 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 11044.15 करोड़ (21.85 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 12359.06 करोड़ (24.45 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू01481.26 करोड़ (2.93 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 18840.95 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 2089.72 करोड़ (4.13 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 3402.00 करोड़ (6.73 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 1428.24 करोड़ (2.83 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 6042.23 करोड़ (11.95 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 3108.94 करोड़ (6.15 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 2769.83 करोड़ (5.48 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्वि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासो के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

एक प्रमुख पर्यटक केन्द्र होने के कारण यहाँ विकास को असीम सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- चांद की प्राकृतिक रोशनी (पूनम की रात) में ताज के दीदार की व्यवस्था नौका बिहार के साथ तथा रात्रि में लाइट एण्ड साउण्ड शो के माध्यम का प्रयोग करते हुय रात्रि निवास हेतु प्रोत्साहन।
- मुख्य पर्यटन स्थल के आस–पास के अन्य पर्यटक स्थलों यथा आगरा किला, सिकन्दरा, एत्मादउद्दौला मेहताब बाग, मरियम टॉम्ब, रामबाग, बटेश्वर, फतेहपुर सीकरी, नेशनल चम्बल वाइल्ड लाइफ सैंच्युरी एवं सुर सरोवर सैंच्युरी इत्यादि का विकास।
- इन पर्यटन स्थलों के भ्रमण हेतु उचित दर पर, पंजीकृत व्हीकल व गाइड की व्यवस्था ।
- वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 9185808 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 1680476 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 02वें व 01वें स्थान पर है।

2.MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- दरी, मार्बल, चमडा (शूज), पेठा, फाउण्ड्री, नाएलॉन ब्रश, स्टोन क्राफ्ट, जरी, मेटलचेन, इम्ब्रायडरी उद्योग का प्रमुख केन्द्र होने के कारण इस क्षेत्र के क्लस्टर का विकास।
- पर्यटन केन्द्रों पर प्रदेश/जनपद स्तरीय यथा ओ0डी0ओ0पी0(चमडे के उत्पाद), जी0आई0 टैग युक्त (दरी), स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों पेठा इत्यादि का सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर आउटलेट्स के माध्यम से बिक्री।
- कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनाने हेतु प्रोत्साहन।
- बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।
- इन्हें सीधे ई–कमर्स के माध्यम से जोडकर बाजार का विस्तार।

3–कृषि के अपेक्षित कार्य–

आलू के उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश में प्रमुख स्थान रखता है, तथा गेहूँ, तिलहन एवं आलू के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- खेत को छुटटा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान
- जनपद में जलदोहन का 108 प्रतिशत तक स्तर होने के कारण जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) की वृद्धि की निरन्तरता सुनिश्चित रखने हेतु जल संरक्षण की नितांत आवश्यकता है।

4–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।
- रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

❄❄❄❄

फिरोजाबाद

1	क्षेत्रफल–241180 (हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 240808	1641
	नगरीय–	हेक्टेयर 372	858
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		22.96
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		44.25
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		176.59
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		142.03
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		164.98
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		225.09
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		180.4
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		21.8
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 29.16 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 25.90 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 25.53 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक– 19.41प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		91.86
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		8659
13	एक जिला एक उत्पाद		कांच उत्पाद

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 15852.74 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 4291.76 करोड़ (27.07 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 4312.36 करोड़ (27.20 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 7248.61 करोड़ (45.72 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 55722 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2521.51 करोड़ है, जिसमे लगभग 50 प्रतिशत अंश में क्रमश :आलू 20 प्रतिशत, गेहूँ 19 प्रतिशत, धान 5 प्रतिशत एवं बाजरा 6 प्रतिशतरहा है।
2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1564.21 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 84 प्रतिशत, 06 प्रतिशत एवं 0.2 प्रतिशत है।
3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 4312.36 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 964.51 करोड़ (6.08 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 3155.85 करोड़ (19.

91 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 192.01 करोड़ (1.21 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 7248.61 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1191.98 करोड़ (7.52 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1268.33 करोड़ (8.00 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 434.43 करोड़ (2.74 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 2214.51 करोड़ (13.97 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 984.78 करोड़ (6.21 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 1154.51 करोड़ (7.28 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ विनिर्माण क्षेत्रमें एक जिला एक उत्पाद व जी0आई0 टैग युक्त (ग्लास बैंगल्स) तथा विभिन्न ग्लास प्रोडक्टस जैसे कांच की चूडिया, ग्लास वेयर, ग्लास टम्बलर, ग्लास बोट्लस, ग्लास ट्यूब, पक्की भट्ठी इत्यादि के मुख्य क्लस्टर का विकास व निर्यात प्रोत्साहन।

➢ आलू के उत्पादन में प्रमुख स्थान होने के कारण इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दु पर विचार किया जा सकता है।

➢ कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनाने हेतु प्रोत्साहन।

➢ बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

➢ जनपद में जल दोहन का 111 प्रतिशत तक स्तर होने के कारण जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) की वृद्धि की निरन्तरता सुनिश्चित रखने हेतु जल संरक्षण की नितांत आवश्यकता है।

2–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

3–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 802185 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 34827 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 41वें व 10वें स्थान पर है।
- इस जनपद में स्थित प्राचीन दिगम्बर जैन मंदिर, ग्राम चन्द्रवार एवं प्राचीन मारूति नन्दन हनुमान मंदिर तथा चन्द्रवाड जो कि पर्यटन क्षेत्र का एक भाग है। अतः इससे संबंधित सेवाओं का विकास।

❄❄❄❄

एटा

1	क्षेत्रफल– 244068 (हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 244068	1506
	नगरीय–	हेक्टेयर	268
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		23.41
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		70.78
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		198.91
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		134.22
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		192.46
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		309.25
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		167.5
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		6.6
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 42.70 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 27.16 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 19.40 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक– 10.74 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		85.69
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		1034
13	एक जिला एक उत्पाद		घुघरू घंटी

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 12595.31करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 5205.14 करोड़ (41.33 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 888.68 करोड़ (7.06 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 6501.49 करोड़ (51. 62 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 106607 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2976.47 करोड़ है, जिसमे लगभग 45 प्रतिशत अंश में क्रमशः गेहूँ 24 प्रतिशत, फलारी कल्चर 05 प्रतिशत, तम्बाकू 03 प्रतिशत, धान व आलू एवं बाजरा 13 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1929.05 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 80 प्रतिशत, 06 प्रतिशत एवं 0.2 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 888.68 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 147.08 करोड़ (1.17 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 606.79 करोड़(4.82 प्रतिशत), विद्युत गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 134.81 करोड़ (1.07 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 6501.49 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 2023.56 करोड़ (16.07 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 751.65 करोड़ (5.97 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 337.89 करोड़ (2.68 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू01634.76 करोड़ (12.98 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 933.49 करोड़ (7.41 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 820.13 करोड़ (6.51 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1–कृषि के अपेक्षित कार्य–

आलू, तिलहन एवं गेहूँ उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई कीआवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।

➢ क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान

➢ खेत को छुटटा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।

➢ कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद (घुंघरू घंटी, ब्रास बेल), रोस्टेड चिकोरी चाय और इन्सटेन्ट टी, स्टील एण्ड वुडेन फर्नीचर, फूड प्रोसेसिंग, इम्ब्रायडरी, गारमेण्ट एण्ड जरी इत्यादि के क्लस्टर का विकास व निर्यात प्रोत्साहन।

➢ कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनाने हेतु प्रोत्साहन।

➢ बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।

➢ गेहूँ के पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 9168 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में 73वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित पटना पक्षी विहार, जो पर्यटन क्षेत्र का एक भाग है। अतः इससे संबंधित सेवाओं का विकास ।

❄❄❄❄

कासगंज

1	क्षेत्रफल– 244068 (हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 244068	1149
	नगरीय–	हेक्टेयर 0	288
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत(वर्ष 2011)		23.41
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		70.78
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		143.60
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		126.90
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		142.18
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		230.72
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		188.4
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		9.9
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 42.70 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 27.16 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 19.40 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक– 10.74 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		85.69
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		1034
13	एक जिला एक उत्पाद		जरी जरदोजी

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 11030.14 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 5214.59 करोड़ (47.28 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 1936.39 करोड़ (17.56 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 3879.16 करोड़ (35.17प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 72201 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2931.09 करोड़ है, जिसमे लगभग 45 प्रतिशत अंश में क्रमशः गेहूँ 21 प्रतिशत, आम 07 प्रतिशत, गन्ना 04 प्रतिशत, धान 04 प्रतिशत एवं बाजरा व मक्का 09 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2155.44 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 70 प्रतिशत, 04 प्रतिशत एवं 0.1 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1936.39 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 1236.97 करोड़ (11.21 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 474.16 करोड़ (4.30 प्रतिशत), विद्युत गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 225.26 करोड़ (2.04 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3879.16 तृतीयक करोड़ अनुमानित किया गया है जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1406.37 करोड़ (12.75 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 525.61 करोड़ (4.77 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 244.19 करोड़ (2.21 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 1314.36 करोड़ (11.92 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 47.47 करोड़ (0.43 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 341.14 करोड़ (3.09 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

गन्ना, गेहूँ एवं आम उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा, तिलहनी (सरसों), सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैशमल्चिंग का प्रयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- खेत को छुटटा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2.MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्रमें एक जिला एक उत्पाद (जरी जरदोजी) को प्रोत्साहन ।
- गेहूँ के पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।
- गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- यहां आम भी एक प्रमुख फसल है। इसकी प्रोसेसिंग (मैंगों जूस, पल्प, कैंडी, स्क्वैश,अमावट, अचार, मुरब्बा, जैम, पना इत्यादि) तथा इनके निर्यात को प्रोत्साहन।
- ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।
- विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली, कोटा जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 5256730 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 15266 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 08वें व 16वें स्थान पर है।
- इस जनपद में स्थित सोरों, जो पर्यटन क्षेत्र का एक भाग है। अतः इससे संबंधित सेवाओं का विकास ।

❄❄❄❄

मैनपुरी

1	क्षेत्रफल–272723 (हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 272723	1580
	नगरीय–	हेक्टेयर 0	288
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		22.73
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		74.26
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		197.16
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		131.36
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		197.07
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		327.11
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		166.6
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		8.0
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 50.31 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 27.42 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 15.25 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक–7.02 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		90.72
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		1776
13	एक जिला एक उत्पाद		तारकशी कला

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 11691.35 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 5247.80 करोड़ (44.89 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 650.70 करोड़ (5.57 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 5792.84 करोड़ (49. 55 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 57876 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3292.32 करोड़ है, जिसमे लगभग 60 प्रतिशत अंश में क्रमशः गेहूँ 31 प्रतिशत, धान 19 प्रतिशत, आलू 5 प्रतिशत एवं मक्का 5 प्रतिशत है।
2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1164.35 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 77 प्रतिशत, 7 प्रतिशत एवं 0.3 प्रतिशत है।
3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 650.70 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 121.99 करोड़ (1.04 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 426.00 करोड़ (3.64

प्रतिशत), विद्युत गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 102.71 करोड़ (0.88 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 5792.84 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1346.43 करोड़ (11.52 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 790.52 करोड़ (6.76 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 312.34 करोड़ (2.67 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू01697.00 करोड़ (14.52 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 716.34 करोड़ (6.13 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 930.21 करोड़ (7.96 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1–कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ, धान एवं आलू उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान
- खेत को छुटटा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्रमें एक जिला एक उत्पाद (तरकशी आर्ट), आलू के चिप्स, जरी जरदोजी के क्लस्टर का प्रोत्साहन ।
- कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनाने हेतु प्रोत्साहन।
- बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।
- गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवडा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग बिजली बनाने हेतु।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 1022 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में 75वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित समन पक्षी विहार को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटक क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

बदायूँ

1	क्षेत्रफल–426768 (हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 422012	2534
	नगरीय–	हेक्टेयर 4756	593
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		23.79
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		77.52
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		347.09
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		283.48
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		321.95
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		464.73
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		181.7
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		10.1
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 40.48 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 27.99 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 21.11 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक–10.42 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		96.12
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		6902
13	एक जिला एक उत्पाद		ज़री– ज़रदोजी

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 21197.54 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 8279.04करोड़ (39.06 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 4004.56 करोड़ (18.89 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 8913.94 करोड़ (42.05 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 52583 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 5509.93 करोड़ है, जिसमे लगभग 50 प्रतिशत अंश में क्रमशः गेहूँ 23 प्रतिशत, धान 12 प्रतिशत, गन्ना 7 प्रतिशत सरसों 4 प्रतिशत एवं उरद 4 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2442.29 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 80 प्रतिशत, 05 प्रतिशत एवं 0.3 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 4004.56 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 2423.46 करोड़ (11.43 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 1315.66 करोड़

(6.21 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 265.43 करोड़ (1.25 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 8913.94 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 2326.00 करोड़ (10.97 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 943.68 करोड़ (4.45 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 459.99 करोड़ (2.17 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 2828.55 करोड़ (13.34 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 817.91 करोड़ (3.86 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 1537.81 करोड़ (7.25 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ, धान, सरसों एवं गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।
- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा, तिलहनी (सरसों), सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैशमल्चिंग का प्रयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद जरीजरदोजी वक्र तथा मेन्था ऑयल, कॉरपेट, वूलन कॉरपेट एवं राइस मिल के क्लस्टर का विकास व निर्यात हेतु प्रोत्साहन।

➢ गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवडा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग बिजली बनाने हेतु।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कोटा जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 2614819 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 469 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 15वें व 40वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित बड़ी ज्यारत, छोटी ज्यारत को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटक क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

बरेली

1	क्षेत्रफल–406915 (हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 395911	2880
	नगरीय–	हेक्टेयर 11004	1568
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		23.47
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		51.15
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		326.47
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		209.33
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		308.85
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		463.14
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		164.1
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		19.6
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 42.84 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 26.79 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर–20.26 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक–10.10 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		95.93
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		352
13	एक जिला एक उत्पाद		ज़री– ज़रदोजी

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 39385.64करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 8541.96 करोड़ (21.69 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 11561.40 करोड़ (29.35 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 19282.28 करोड़ (48.96प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 78727 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 5411.25 करोड़ है, जिसमे लगभग 70 प्रतिशत अंश में क्रमशः गन्ना 31 प्रतिशत, गेहूँ 20 प्रतिशत एवं धान 19 प्रतिशत रहा है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2843.55 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 78 प्रतिशत, 09 प्रतिशत एवं 0.4 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 11561.40 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 6116.60 करोड़ (15.53प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 4766.37 करोड़ (12.10 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 678.43 करोड़ (1.72 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 19282.28 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 3229.77 करोड़ (8.20 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 2695.66 करोड़ (6.84 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 1107.38 करोड़ (2.81 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 6386.02 करोड़ (16.21 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 2378.66 करोड़ (6.04 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 3484.79 करोड़ (8.85 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विनिर्माण का प्रमुख केन्द्र होने के कारण इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद जरीजरदोजी तथा केन एण्ड बेम्बू, मेन्था एण्ड राइज मिल, रेडीमेड गॉरमेण्ट के क्लस्टर का विकास व निर्यात हेतु प्रोत्साहन।

➢ गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवडा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग बिजली बनाने हेतु।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

2. कृषि के अपेक्षित कार्य–

गन्ना, धान, सरसों एवं गेहूँ, उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा, तिलहनी (सरसों),सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।

➢ गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैशमल्चिंग का प्रयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।

➢ क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।

➢ खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।

➢ चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।

➢ प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।

➢ कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कोटा जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ इस जनपद में स्थित रामनगर, अहिच्छत्र जैन मंदिर तथा क्राफ्ट/हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाइल सर्किट जो पर्यटन क्षेत्र का एक भाग है, अतः इसको और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटक क्षेत्रों का विकास।

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 3469189 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 2148 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 11वें व 27वें स्थान पर है।

❄❄❄❄

पीलीभीत

1	क्षेत्रफल–378384 (हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 375067	1680
	नगरीय–	हेक्टेयर 3317	351
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		22.82
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		72.10
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		233.96
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		177.73
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		230.42
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		402.59
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		176.0
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		18.7
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम–31.92 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 25.17 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 25.06 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक– 17.85 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		95.34
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		80014
13	एक जिला एक उत्पाद		बांसुरी

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 16012.05 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 5381.38करोड़ (33.61 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 2958.11 करोड़ (18.47 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 7672.57 करोड़ (47.92 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 69252 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 4414.14 करोड़ है, जिसमे लगभग 80 प्रतिशत अंश में क्रमशः गन्ना 33 प्रतिशत धान 25 प्रतिशत एवं गेहूँ 22 प्रतिशतरहा है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 735.32 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 84 प्रतिशत, 09 प्रतिशत एवं 0.4 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2958.11 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 1492.29 करोड़ (9.32 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू01120.61 करोड़ (7.

00 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 345.20 करोड़ (2.16 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 7672.57 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1570.37 करोड़ (9.81 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 791.93 करोड़ (4.95 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 414.56 करोड़ (2.59 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू01816.82 करोड़ (11.35 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 2253.99 करोड़ (14.08 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 824.90 करोड़ (5.15 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

यह जनपद गन्ना, धान एवं गेहूँ उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश में प्रमुख स्थान रखता है। इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा, तिलहनी (सरसों), सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैशमल्चिंग का प्रयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद बाँसूरी तथा जरी जरदोजी, राइस मिल, चीनी मील, केन एण्ड बम्बू, कैण्डिल्स के क्लस्टर का विकास व निर्यात हेतु प्रोत्साहन ।
- गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवडा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग बिजली बनाने हेतु।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

एक प्रमुख पर्यटक केन्द्र होने के कारण यहाँ विकास को असीम सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 474370 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 129 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 51वें व 51वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित गोमती उद्गम स्थल, गौरी शंकर मंदिर तथा पीलीभीत टाइगर रिर्जव को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के क्षेत्रों को पर्यटन हेतु प्रोत्साहन।

❄❄❄❄

शाहजहाँपुर

1	क्षेत्रफल–437469 (हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 435873	2413
	नगरीय–	हेक्टेयर 1596	594
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		23.27
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		70.98
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		364.51
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		212.57
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		344.61
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		536.42
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		158.3
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		13.6
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 39.19 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर– 25.53 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर–22.42 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक– 12.85 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		92.94
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		10498
13	एक जिला एक उत्पाद		ज़री–ज़रदोजी

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 20780.00 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 7058.10 करोड़ (33.97 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 3882.18 करोड़ (18.68 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 9839.73 करोड़ (47.35 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 63008 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 5455.73 करोड़ है, जिसमे लगभग 70 प्रतिशत अंश में क्रमशः गेहूँ 30 प्रतिशत, धान 27 प्रतिशत एवं गन्ना 13 प्रतिशतरहा है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1249.86 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 76 प्रतिशत, 06 प्रतिशत एवं 0.5 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3882.18 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 1143.33 करोड़ (5.50 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 2277.64 करोड़ (10.46 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 461.21 करोड़ (2.22 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 9839.73 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 2259.81 करोड़ (10.87 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1164.09 करोड़ (5.60 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 638.87 करोड़ (3.07 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 3294.17 करोड़ (15.85 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 1290.82 करोड़ (6.21 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 1191.97 करोड़ (5.74 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ, धान, आलू एवं गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।
- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा, तिलहनी (सरसों), सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैशमल्चिंग का प्रयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ विनिर्माण क्षेत्रमें एक जिला एक उत्पाद ज़री–ज़रदोजी व दरी, डाइग प्लांट, वाशिग प्लांट, फूड प्रोडेक्ट, ग्रेन मिलिंग, राइस मिल, आयल मिल एवं मिल्क प्रोडेक्ट के क्लस्टर का विकास व निर्यात हेतु प्रोत्साहन।

➢ कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनानेहेतु प्रोत्साहन।

➢ बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।

➢ गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवडा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग बिजली बनाने हेतु।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, ,नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 459046 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 261 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 52वें व 46वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित हनुमतधाम, बड़ी विसरात घाट को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटक क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

फर्रुखाबाद

1	क्षेत्रफल–219911 (हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 2199	1469
	नगरीय–	हेक्टेयर 0	416
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		25.18
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		66.42
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		141.85
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		77.84
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		136.23
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		193.33
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		154.9
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		27.9
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 49.45 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 22.10 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर–18.48 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक–9.98 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		77.87
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		258
13	एक जिला एक उत्पाद		ब्लॉक प्रिन्टिंग

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 10591.93 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 3603.63 करोड़ (34.02 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 1622.24 करोड़ (15.32 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 5366.06 करोड़ (50.66 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 50570 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2595.13 करोड़ है, जिसमे लगभग 50 प्रतिशत अंश में क्रमशः आलू 22 प्रतिशत, गेहूँ 17 प्रतिशत, मक्का 5 प्रतिशत, धान एवं गन्ना 6 प्रतिशत रहा है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 857.70 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 88 प्रतिशत, 06 प्रतिशत एवं 0.4 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1622.24 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 413.32 करोड़ (3.90 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 1048.75 करोड़ (9. 90 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 160.17 करोड़ (1.51प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 5366.06 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1128.66करोड़ (10.66 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 744.13 करोड़ (7.03प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 360.61 करोड़ (3.40 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 1553.37 करोड़ (14.67 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 726.43 करोड़ (6.86 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 852.86 करोड़ (8.05 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

आलू के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है, तथा आलू, गेहूँ, धान एवं गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा, तिलहनी (सरसों), सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैशमल्चिंग का प्रयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्रमें एक जिला एक उत्पाद ब्लॉक प्रिन्टिंग तथा कपडे पर प्रिंटिग ब्लॉक मेकिंग, सन फ्लावर एवं सुपारी के क्लस्टर का विकास व निर्यात हेतु प्रोत्साहन ।
- कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनाने हेतु प्रोत्साहन।

➢ गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवडा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग बिजली बनाने हेतु।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 1359836 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 263 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 25वें व 45वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित पर्यटन क्षेत्र कम्पिल, संकिसा को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटक क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

कन्नौज

1	क्षेत्रफल–208973 (हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 207555	1376
	नगरीय–	हेक्टेयर 1418	281
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		25.3
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत वर्ष 2011)		72.20
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		151.79
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		111.45
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		142.37
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		244.01
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		173.4
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		18.2
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 51.93 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –25.51 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 14.90 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक–7.66 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		84.58
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		19069
13	एक जिला एक उत्पाद		इत्र

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 13576.82 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 3786.01 करोड़ (27.89 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 3513.01करोड़ (25.88 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 6277.81 करोड़ (46.24 प्रतिशत) का योगदान करता है।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 74689 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2290.95 करोड़ है, जिसमे लगभग 65 प्रतिशत अंश में क्रमशः आलू 31 प्रतिशत, गेहूँ 21 प्रतिशत, मक्का 7 प्रतिशत एवं धान 6 प्रतिशतरहा है।
2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 927.35 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 80 प्रतिशत, 06 प्रतिशत एवं 0.3 प्रतिशत है।
3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3513.01 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 478.14 करोड़ (3.52 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 2950.64 करोड़ (21.

73 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 84.23 करोड़ (0.62 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 6277.81 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1629.76 करोड़ (12 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 519.74 करोड़ (3.38 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 349.25 करोड़ (2.57 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 1616.59 करोड़ (11.91 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 1400.70 करोड़ (10.32 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 761.77 करोड़ (5.61प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ, आलू के उत्पादन में प्रदेश में प्रमुख स्थान रखता है, तथा गेहूँ एवं आलू के उत्पादन क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान
- खेत को छुट्टा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद इत्र, (जी0आई0 टैग युक्त) परफ्यूम तथा आवश्यक ऑयल, आलू एवं आलू से निर्मित उत्पाद, अगरबत्ती, धूपबत्ती, रॉ स्टिक के क्लस्टर का विकास व निर्यात हेतु प्रोत्साहन ।
- कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनाने हेतु प्रोत्साहन।
- बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।
- गेहूँ के पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 1001262 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 665 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 35वें व 37वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित लाख बहोसी सैंच्युरी को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

इटावा

1	क्षेत्रफल–240270 (हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 239104	1216
	नगरीय–	हेक्टेयर 1166	366
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		22.86
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		63.77
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		148.65
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		106.91
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		133.55
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		205.06
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		171.9
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		12.7
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम–43.68 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –25.21 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 20.60 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक–10.50 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		86.11
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		30140
13	एक जिला एक उत्पाद		वस्त्र

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 11392.52 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 3198.88 करोड़ (28.08 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 1752.45 करोड़ (15.38 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 6441.19 करोड़ (56.54 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 65366 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2282.96 करोड़ है, जिसमे लगभग 65 प्रतिशत अंश में क्रमशः गेहूँ 28 प्रतिशत, धान 22 प्रतिशत, आलू 12 प्रतिशत एवं बाजरा 3 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 755.96 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 78 प्रतिशत, 08 प्रतिशत एवं 0.3 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1752.45 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 967.21 करोड़ (8.49 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 548.52 करोड़ (4.

81 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 236.73 करोड़ (2.08 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 6441.19 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 897.58 करोड़ (7.88 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1003.53 करोड़ (8.81 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 332.21 करोड़(2.92 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू01555.78 करोड़ (13.66 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू01889.08 करोड़ (16.58 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 763.00 करोड़ (6.70 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ, आलू एवं सरसों उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान
- खेत को छुट्टा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्रमें एक जिला एक उत्पाद वस्त्र उद्योग तथा आलू एवं आलू से निर्मित उत्पाद, सरसों तथा रिफाइण्ड ऑयल मिल, दाल के पापड के क्लस्टर का विकास व निर्यात हेतु प्रोत्साहन।
- कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनानेहेतु प्रोत्साहन।
- बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।
- ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कोटा जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 1363657 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 16 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 24वें व 61वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित नेशलन चम्बल वाइल्ड लाइफ सैंच्युरी (लायन सफारी), सरसई नावर वेटलेण्ट को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

औरैया

1	क्षेत्रफल–206126 (हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 205723	1145
	नगरीय–	हेक्टेयर 403	234
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		23.61
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत(वर्ष 2011)		72.05
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		145.24
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		107.70
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		130.39
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		215.34
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		174.2
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		8.1
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम–39.72 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 27.94प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 20.52 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक–11.82 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		84.70
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		10267
13	एक जिला एक उत्पाद		दूध प्रसंस्करण (देशी घी)

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 7957.74 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 2734.05 करोड़ (34.36 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 1706.20 करोड़ (21.44 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 3517.49 करोड (44.20 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 53439 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1883.78 करोड़ है, जिसमे लगभग 65 प्रतिशत अंश में क्रमशः गेहूँ 33 प्रतिशत, धान 22 प्रतिशत, आलू 06 प्रतिशत एवं बाजरा 04 प्रतिशत है।
2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 657.88 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 80 प्रतिशत, 08 प्रतिशत एवं 0.3 प्रतिशत है।
3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1706.20 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 255.10करोड़ (3.21 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 1381.71 करोड़

(17.36 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं रू0 69.39 करोड़ (0.87 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3517.49 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 989.11 करोड़ (12.43 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 512.12 करोड़ (6.31 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 278.26 करोड़ (3.50 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 1075.30 करोड़ (13.51प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 317.34 करोड़ (3.99 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाएं खण्ड रू0 355.36 करोड़ (4.47 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

धान, गेहूँ, सरसों एवं आलू उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान
- खेत को छुटटा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्रमें एक जिला एक उत्पाद देसी घी तथा चावल, दाल, प्लास्टिक सिटी मुख्य के क्लस्टर का विकास व निर्यात हेतु प्रोत्साहन ।
- कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनाने हेतु प्रोत्साहन।
- गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।
- गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवडा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग बिजली बनाने हेतु।

➢ बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कोटा जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 1368102 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 03 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 23वें व 62वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित देवकली को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

मध्यांचल सम्भाग

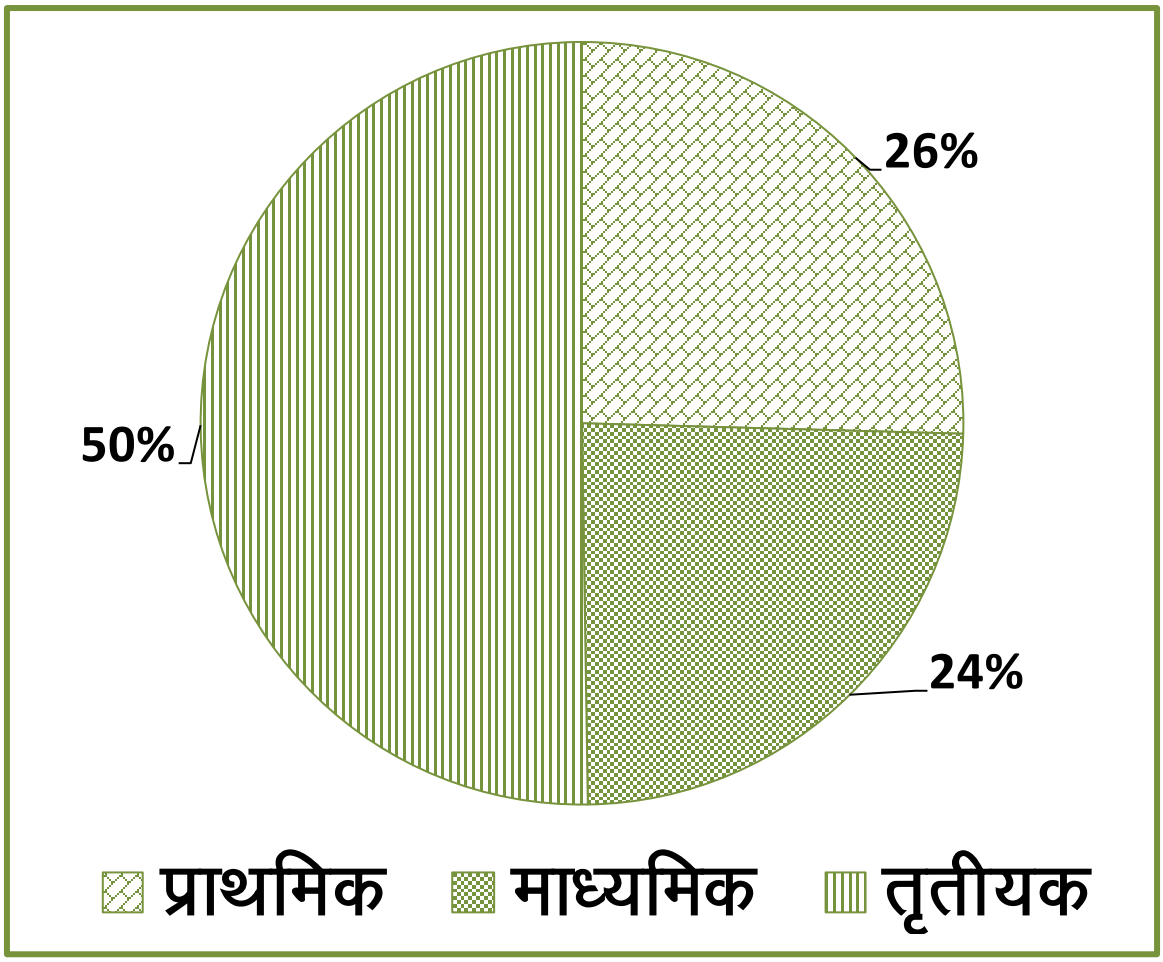

जिला घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार स्थिति

खीरी

1	क्षेत्रफल–772788(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 649137	3560
	नगरीय–	हेक्टेयर 123651	461
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		23.83
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		76.95
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		486.09
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		219.21
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		459.19
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		644.55
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		145.1
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		43.6
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 33.26 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 24.68 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर–25.54 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक– 16.52 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		93.93
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर(वर्ष 2015–16)		165549
13	एक जिला एक उत्पाद		जनजातीय शिल्प (ट्राइबल क्राफ्ट)

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 26134.37 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 12350.39 करोड़ (47.26 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 2849.03 करोड. (10.90 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 10934.95 करोड़ (41.84 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 57022 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 9083.19 करोड़ है, जिसमे लगभग 84 प्रतिशत अंश में क्रमशः गन्ना 58 प्रतिशत, गेहूँ 13 प्रतिशत एवं धान 13 प्रतिशत रहा है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1894.56 करोड़ है जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 70 प्रतिशत, 07 प्रतिशत एवं 0.4 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2849.03 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 1081.98 करोड़ (4.14 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 1390.76 करोड़ (5.32 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 376.29 करोड़ (1.44 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 10934.95 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 3337.45 करोड़ (12.77 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1636.43 करोड़ (6.26 प्रतिशत), वित्तीय सेवायें खण्ड का रू0 726.90 करोड़ (2.78 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 3156.54 करोड़ (12.08 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 924.69 करोड़ (3.54 प्रतिशत) तथा अन्य सेवायें खण्ड रू0 1152.96 करोड़ (4.41 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

गन्ना एवं धान के उत्पादन के क्षेत्र में प्रमुख स्थान रखता है तथा गन्ना, धान एवं गेहूँ उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा, तिलहनी (सरसों), सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैशमल्चिंग का प्रयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद ट्राइबल क्राफ्ट तथा सिरका, राइस ब्रान तेल, रिपेयरिंग एण्ड सर्विसिंग एवं सुगर एण्ड राइस उद्योगों का विकास एवं निर्यात हेतु प्रोत्साहन।
- गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग बिजली बनाने हेतु।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, ,नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 123832 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 2189 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 61वें व 26वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित गोला गोकरननाथ, दुधवा तथा किशनपुर सैंक्युचरी, दुधवा नेशनल पाक्र को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

4–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

❄❄❄❄

सीतापुर

1	क्षेत्रफल–573891(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 554782	3953
	नगरीय–	हेक्टेयर 19109	531
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत(वर्ष 2011)		22.83
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत(वर्ष 2011)		74.59
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		439.99
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		143.39
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		397.77
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		592.57
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		152.7
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		27.6
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 45.20 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –27.11 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 18.47 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक–9.22 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		89.56
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर(वर्ष 2015–16)		5772
13	एक जिला एक उत्पाद		दरी

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 23941.53 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 8107.27 करोड़ (33.86 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 3041.06 करोड़ (12.70 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 12793.20 करोड़ (53.44 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 46591 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 6769.31 करोड़ है, जिसमे लगभग 75 प्रतिशत अंश में क्रमशः गन्ना 42 प्रतिशत, गेहूँ 15 प्रतिशत, धान 13 प्रतिशत एवं आम 5 प्रतिशत रहा है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 814.11 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 88 प्रतिशत, 09 प्रतिशत एवं 01 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3041.06 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 1436.16 करोड़ (6.00 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 1213.66 करोड़

(5.07 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 391.24 करोड़ (1.63 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 12793.20 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 2252.54 करोड़ (9.41 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1497.20 करोड़ (6.25 प्रतिशत), वित्तीय सेवायें खण्ड का रू0 803.56 करोड़ (3.36 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू 04032.91 करोड़ (16.84 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 2311.53 करोड़ (9.65 प्रतिशत) तथा अन्य सेवायें खण्ड रू0 1895.46 करोड़ (7.92 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

जनपद गन्ना उत्पाद में प्रमुख स्थान रखता है तथा गन्ना, धान, गेहूँ, आम एवं आलू के उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा), तिलहनी (सरसों), सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैशमल्चिंग का प्रयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, खेत में कब निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद दरी, जरी व जरदोजी तथा एग्रोवेस्ड उद्योग, रेडीमेड वस्त्र व कढ़ाई, सूती वस्त उद्योग, लकड़ी व लकड़ी के फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, कारपेट, शू व चमड़े के उत्पाद का विकास एवं निर्यात हेतु प्रोत्साहन।

➢ यहां आम भी एक प्रमुख फसल है। इसकी प्रोसेसिंग (मैंगों जूस, पल्प, कैंडी, स्क्वैश, अमावट, अचार, मुरब्बा, जैम, पना इत्यादि) तथा इनके निर्यात को प्रोत्साहन।

➢ कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनाने हेतु प्रोत्साहन।

➢ बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।

➢ गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग बिजली बनाने हेतु।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, ,नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 230940 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 1367 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 59वें व 30वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित नैमिषारण्य धार्मिक स्थल को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

4–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

❄❄❄❄

हरदोई

1	क्षेत्रफल–598876(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 598876	3551
	नगरीय–	हेक्टेयर 0	542
2	कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		23.70
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		77.38
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		422.31
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		252.70
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		376.24
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		552.97
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		159.8
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		14.1
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 41.12 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 25.90 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 19.55 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक–13.43 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		83.79
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर(वर्ष 2015–16)		12271
13	एक जिला एक उत्पाद		हथकरघा

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 18433.35 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 5965.01 करोड़ (32.36 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 2993.20 करोड़ (16.24 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 9475.14 करोड़ (51.40 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 40283 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 4783.69 करोड़ है, जिसमे लगभग 70 प्रतिशत अंश में क्रमशः गेहूँ 34 प्रतिशत, गन्ना 19 प्रतिशत, धान 13 प्रतिशत एवं आम 4 प्रतिशत है।
2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 556.69 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 70 प्रतिशत, 14 प्रतिशत एवं 0.6 प्रतिशत है।
3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2993.20 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 1538.24 करोड़ (8.34 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 1018.88 करोड (5.53 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 436.07 करोड़ (2.37 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 9475.14 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1690.05 करोड़ (9.17 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1352.45 करोड़ (7.34 प्रतिशत), वित्तीय सेवायें खण्ड का रू0 672.95 करोड़ (3.65 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 3221.24 करोड (17.48 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 1080.07 करोड़ (5.86 प्रतिशत) तथा अन्य सेवायें खण्ड रू0 1458.37 करोड़ (7.91प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

यह जनपद गेहूँ उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है तथा गेहूँ, आलू गन्ना एवं धान उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।
- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा, तिलहनी (सरसों), सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैशमल्चिंग का प्रयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद हथकरधा उद्योग तथा जरी और जरदोजी, एग्रो वेस्ड उद्योग, यीस्ट उत्पादन (भारत की सबसे बड़ी उत्पादन यूनिट है), सिरका व राइसब्रान आयल उद्योग का विकास एवं निर्यात हेतु प्रोत्साहन।

➢ कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनाने हेतु प्रोत्साहन।

➢ बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।

➢ गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग बिजली बनाने हेतु।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 18276 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 82 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 70वें व 56वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित सांडी पक्षी बिहार को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

उन्नाव

1	क्षेत्रफल–460222(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 460222	2577
	नगरीय–	हेक्टेयर 0	532
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		24.51
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		68.87
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		314.19
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		185.44
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		293.73
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		408.34
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		159.0
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		8.0
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 52.52 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –23.56 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर–15.89 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक– 8.02प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		83.03
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		16981
13	एक जिला एक उत्पाद		ज़री–ज़रदोजी

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 18940.63 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 6366.71 करोड़ (33.61 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 3628.23 करोड़ (19.16 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 8945.68 करोड (47.23 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 57008 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 4300.21 करोड़ है, जिसमे लगभग 60 प्रतिशत अंश में क्रमशः गेहूँ 32 प्रतिशत, आय 16 प्रतिशत, धान 9 प्रतिशत एवं आलू 3 प्रतिशत रहा है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1731.31 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 86 प्रतिशत, 8 प्रतिशत एवं 0.2 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3628.23 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 588.65 करोड़ (3.11 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 2896.63 करोड (15.29 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 142.96 करोड़ (0.75 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 8945.68 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 2245.53 करोड़ (11.86 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1797.45 करोड़ (9.49 प्रतिशत), वित्तीय सेवायें खण्ड का रू0 584.92 करोड़ (3.09 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 2530.40 करोड़ (13.36प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 882.46 करोड़ (4.66 प्रतिशत) तथा अन्य सेवायें खण्ड रू0 904.93 करोड़ (4.78 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

यह जनपद गेहूँ उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश में प्रमुख स्थान रखता है। गेहूँ, धान और आलू के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- खेत को छुट्टा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्रमें एक जिला एक उत्पाद जरी व जरदोजी तथा शू एण्ड लेदर प्रोडक्ट, हैण्डलूम व टेक्सटाइल इण्डस्ट्री का विकास एवं निर्यात हेतु प्रोत्साहन।
- कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनाने हेतु प्रोत्साहन।
- बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।
- गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।
- धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग बिजली बनाने हेतु।
- गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 11596 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 211 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 72वें व 48वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित बक्सर, डौन्डिया खेडा तथा नवाबगंज बर्ड सैंच्युरी को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

लखनऊ

1	क्षेत्रफल–251596(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 213733	1551
	नगरीय–	हेक्टेयर 37863	3039
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत(वर्ष 2011)		25.11
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		20.74
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		134.39
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		71.11
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		127.15
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		187.79
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		152.9
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		4.2
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 49.12 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 24.58 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 18.41 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक–7.89 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		76.48
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		12000
13	एक जिला एक उत्पाद		चिकनकारी, एवं ज़री–जरदोजी

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 54853.22 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 4932.25 करोड़ (8.99 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 20901.12 करोड़ (38.10 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 29019.85 करोड़ (52.90 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 104016 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3013.84 करोड़ है, जिसमे लगभग 60 प्रतिशत अंश में क्रमशः आम 38 प्रतिशत, गेहूँ 14 प्रतिशत धान एवं 8 प्रतिशत रहा है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1562.90 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 76 प्रतिशत, 05 प्रतिशत एवं 01 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 20901.12 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 10777.67 करोड़ (19.65 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 8684.87 करोड़ (15.83 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 1438.57 करोड़ (2.62 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 29015.85 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 3308.41 करोड़ (6.03 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 5081.85 करोड़ (9.26 प्रतिशत), वित्तीय सेवायें खण्ड का रू0 2694.62 करोड़ (4.91 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 7471.67 करोड़ (13.62 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 6967.63 करोड़ (12.70 प्रतिशत) तथा अन्य सेवायें खण्ड रू0 3495.67 करोड़ (6.37 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विनिर्माण का प्रमुख केन्द्र होने के कारण इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ यहां आम भी एक प्रमुख फसल है। इसकी प्रोसेसिंग (मैंगों जूस, पल्प, कैंडी, स्क्वैश, अमावट, अचार, मुरब्बा, जैम, पना इत्यादि) तथा इनके निर्यात को प्रोत्साहन।

➢ विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद चिकनकारी (जी0आई0 टैग युक्त) तथा टेराकोटा के खिलौने, प्लास्टिक उद्योग, स्टील फर्नीचर, जरी जरदोजी के क्लस्टर का विकास एवं निर्यात हेतु प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

2– सूचना एवं संचार–

➢ जनपद विशेष में स्थापित आई0टी0 आधारित उद्योगों (आई0टी0सिटी) द्वारा अपने कार्य के साथ, आस–पास स्थित तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत विधार्थियों के कौशल विकास में सहायता हेतु प्रोत्साहित करना, जिससे सूचना एवं संचार आधारित उद्योगों के कुशल संचालन एवं राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में उद्योग व उद्योग में काम करने वाले पेशेवर व्यक्तियों द्वारा इस खण्ड में अधिक से अधिक सहभागिता प्राप्त करते हुये जनपद विशेष की आय में वृद्वि को और सुदृढ किया जा सके।

➢ सहायक संस्थानों का विकास आई0टी0 सिटी के आस–पास सुनिशिचित किया जाये।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ जनपद स्तर पर प्रतियोगी परीक्षा पाठ्यक्रम आधारित अन्य पुस्तकों से सुसज्जित सुविधा युक्त पुस्तकालय/वाचनालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

➢ जनपद से कोटा (राजस्थान) मेडिकल व इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु बडी संख्या में छात्र जाते है। वैकल्पिक व्यवस्था (आनलाइन क्लासेज, व कोटा में स्थापित कोचिंग संस्थानों से बुलाये गये शिक्षकों द्वारा) विकसित करते हुये जनपद स्तर पर ही इसकी व्यवस्था करने की तरफ अग्रसर होना जिससे जनपद से जो बड़ी धन–रशि इन स्थानों पर प्रतिवर्ष जाती है जिसमें कमी करते हुये जनपद की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके।

➢ सरकारी सहायता या पी0पी0पी0 माडल पर साफ्ट लाइब्रेरी केन्द्रों की विकसित करना जिससे उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, शोध संस्थानों से सम्बन्धित छात्र ऑनलाइन जर्नल्स में प्रकाशित अधुनान्त शोध पत्रों के माध्यम से लाभान्वित हो सके।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ एक प्रमुख पर्यटक केन्द्र होने के कारण यहाँ विकास को असीम सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ मुख्य पर्यटन स्थल नवाब वाजिद अलीशाह चिड़ियाघर, रेजीडेन्सी, बडा इमामबाडा, छोटा इमामबाडा, पिक्चर गैलरी, शाहनजफ इमामबाडा, म्यूजियम, इन्दिरागांधी नक्षत्रशाला, लखनऊ, बौद्ध विहार शान्ति उपवन लखनऊ, मान्यवर श्री कांशीराम जी ग्रीन इकों गार्डेन, मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल, डॉ0 भीमराम अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल गोमतीनगर, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल से सम्बद्ध वाहय क्षेत्र गोमती नगर को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

➢ इन पर्यटन स्थलों के भ्रमण हेतु उचित दर पर, पंजीकृत व्हीकल व गाइड की व्यवस्था। वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 5714400 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 72129 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 7वें व 7वें स्थान पर है।

❄❄❄❄

रायबरेली

1	क्षेत्रफल–392045(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 388549	2622
	नगरीय–	हेक्टेयर 3496	281
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत(वर्ष 2011)		19.2
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		64.15
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		226.67
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		143.39
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		205.24
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		326.56
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		163.3
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		5.1
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 48.67 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 24.38 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 18.98 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक–8.02 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		67.21
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		4802
13	एक जिला एक उत्पाद		काष्ठ शिल्प (वुड क्राफ्ट)

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 14292.66 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 3388.28 करोड़ (23.71 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 2478.88 करोड़ (17.34 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 8425.50 करोड़ (58.95 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 39112 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1731.88 करोड़ है, जिसमे लगभग 60 प्रतिशत अंश में क्रमशः गेहूँ 35 प्रतिशत, धान 22 प्रतिशत एवं आलू 03 प्रतिशत रहा है।
2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1317.54 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 76 प्रतिशत, 7 प्रतिशत एवं 0.5 प्रतिशत है।
3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2478.88 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 1404.82 करोड़ (9.83 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 750.08 करोड़ (5.25 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 323.98 करोड़ (2.27 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 8425.50 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1000.28 करोड़ (7.00 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1424.74 करोड़ (9.97 प्रतिशत), वित्तीय सेवायें खण्ड का रू0 834.79 करोड़ (5.84 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 2457.30करोड़ (17.19 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 1292.19 करोड़ (9.04 प्रतिशत) तथा अन्य सेवायें खण्ड रू0 1416.21 करोड़ (9.91प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ, धान और आलू के उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- खेत को छुट्टा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद वुडक्राफ्ट तथा फ्लोर मिल, आयल मिल, राइस फ्लेक्स और प्री–ब्वायल्ड राइस, राइस मिल, बनारसी सांड़ी, ग्रिल और गेट उद्योगों का विकास एवं निर्यात हेतु प्रोत्साहन।
- कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनाने हेतु प्रोत्साहन।
- बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।
- गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।
- गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, ,नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग बिजली बनाने हेतु।
- ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

- विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 21591 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 117 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 68वें व 53वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित समसपुर सैंच्युरी को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

कानपुर देहात

1	क्षेत्रफल–314984(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 312069	1623
	नगरीय–	हेक्टेयर 2915	173
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		24.98
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		73.35
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		217.02
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		98.90
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		158.53
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		208.69
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		145.6
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		10.3
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 40.09 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 25.75 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 21.97 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक– 12.19 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		83.46
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		5796
13	एक जिला एक उत्पाद		जस्ते के बर्तन

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 12139.43 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 3784.46 करोड़ (31.17प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 2393.49 करोड़ (19.72 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 5961.48 करोड़ (49.11प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 63287 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2164.19 करोड़ है, जिसमे लगभग 55 प्रतिशत अंश में क्रमशः गेहूँ 36 प्रतिशत, धान 14 प्रतिशत, आलू 02 प्रतिशत एवं बाजरा व मक्का 03 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1183.35 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 76 प्रतिशत, 09 प्रतिशत एवं 0.2 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2393.49 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 280.34 करोड़ (2.31 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 2064.07 करोड़ (17 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 49.08 करोड़ (0.40 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 5961.48 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1369.04 करोड़ (11.28 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1719.04 करोड़ (11.16 प्रतिशत), वित्तीय सेवायें खण्ड का रू0 454.31 करोड़ (3.74 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 1299.24 करोड़ (10.70 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 658.19 करोड़ (5.42 प्रतिशत) तथा अन्य सेवायें खण्ड रू0 461.67 करोड़ (3.80 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ, धान, चना, अरहर, सरसों और आलू के उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- खेत को छुट्टा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद लेदर प्रोडक्ट और नायलान की रस्सी, राइस मिल क्लस्टर का विकास एवं निर्यात हेतु प्रोत्साहन।
- कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनाने हेतु प्रोत्साहन।
- बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।
- गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, ,नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग बिजली बनाने हेतु।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 754463 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 328 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 43वें व 42वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित प्राचीन शुक्ल तालाब, अकबरपुर को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

कानपुर नगर

1	क्षेत्रफल–301326(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 278206	1566
	नगरीय–	हेक्टेयर 23120	3016
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		26.83
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		27.24
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		191.02
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		68.22
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		133.50
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		175.16
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		135.7
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		12.1
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 46.33 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 23.45 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 19.09 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक–11.13 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		78.11
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर(वर्ष 2015–16)		5627
13	एक जिला एक उत्पाद		चमड़े के उत्पाद

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 46396.60 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 3820.97 करोड़ (8.24 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 18827.57 करोड़ (40.58 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 23748.05 करोड़ (51.18 प्रतिशत) का योगदान करता है।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 96001 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2195.30 करोड़ है, जिसमे लगभग 45 प्रतिशत अंश में क्रमशः गेहूँ 28 प्रतिशत, धान 09 प्रतिशत, मक्का 03 प्रतिशत एवं आलू 05 प्रतिशत है।
2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1317.54 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 80 प्रतिशत, 07 प्रतिशत एवं 02 प्रतिशत है।
3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 18827.57 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 6168.87 करोड़ (13.30 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 8222.60 करोड़ (17.72 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 4436.11 करोड़ (9.56 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 23748.05 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 2916.76 करोड़ (6.29 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 4069.18 करोड़ (8.77 प्रतिशत), वित्तीय सेवायें खण्ड का रू0 1794.52 करोड़ (3.87 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 6602.43 करोड़ (14.23 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 5712.56 करोड़ (12.31 प्रतिशत) तथा अन्य सेवायें खण्ड रू0 2652.61 करोड़ (5.72 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विनिर्माण का प्रमुख केन्द्र होने के कारण इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद सैडलरी (जी0आई0 टैग) तथा लेदर एण्ड प्रोडेक्ट, स्टील फर्नीचर एण्ड अलमीरा, फार्मास्युटिकल्स, कैरोगेटेड एण्ड कॉनवर्जन प्रोडेक्ट, पावर लूम, बेकरी एण्ड नमकीन, मशीनरी पार्टस, आटोमोबाईल पार्टस, प्लास्टिक उत्पाद, हैण्डीक्राफ्ट, आर्टीफिशियल ज्वैलरी, काटन होजरी, रेडीमेड गारमेण्ट, सोप एण्ड डिटर्जेण्ट, पेण्ट एण्ड एलायड, हार्न्स एण्ड सैडलरी क्लस्टर का विकास एवं निर्यात हेतु प्रोत्साहन।

➢ कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनाने हेतु प्रोत्साहन।

➢ बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

2–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ सरकारी सहायता या पी0पी0पी0 माडल पर साफ्ट लाइब्रेरी केन्द्रों को विकसित करना जिससे उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, शोध संस्थानों से सम्बन्धित छात्र ऑनलाइन जर्नल्स में प्रकाशित अधुनान्त शोध पत्रों के माध्यम से लाभान्वित हो सके।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु दिल्ली, कोटा जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

3–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 2927069 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 8866 के आगमन के साथ यह जनपद उत्तर प्रदेश क्रमशः 14वें व 19वें स्थान पर है।
- इस जनपद में बिठूर, नाना राव पाक्र, मोतीझील तथा क्राफ्ट/हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाइल सक्रिट जो कि पर्यटन क्षेत्र का एक भाग है, को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

फतेहपुर

1	क्षेत्रफल–422126(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)	
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 414735	2311	
	नगरीय–	हेक्टेयर 7391	322	
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		25.45	
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		70.02	
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		288.62	
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		138.88	
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		216.36	
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		317.64	
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		148.1	
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		10.3	
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–			
	1 हेक्टेयर से कम–35.83 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –29.63 प्रतिशत	
	2 से 4 हेक्टेयर–19.77 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक– 14.77प्रतिशत	
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		81.56	
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		7595	
13	एक जिला एक उत्पाद		बेडशीट	

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 16456.70 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 5877.03 करोड़ (35.71 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 2379.32 करोड़ (14.46 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 8200.34 करोड़ (49.83 प्रतिशत) का योगदान करता है।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 58575 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3061.19 करोड़ है, जिसमे लगभग 45 प्रतिशत अंश में क्रमशः गेहूँ 28 प्रतिशत, धान 13 प्रतिशत एवं आलू 4 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1078.47 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 71 प्रतिशत, 14 प्रतिशत एवं 0.8 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2379.32 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 1196.72 करोड़ (7.27 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 861.72 करोड़

(5.24 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 320.88 करोड़ (1.95 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 8200.34 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1464.98 करोड़ (8.90 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1466.36 करोड़ (8.91 प्रतिशत), वित्तीय सेवायें खण्ड का रू0 539.49 करोड़ (3.28 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 2426.24 करोड़ (74.74 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 1289.97 करोड़ (7.84 प्रतिशत) तथा अन्य सेवायें खण्ड रू0 1013.29 करोड़ (6.16 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ, धान और आलू के उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- खेत को छुट्टा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद बैड शीट तथा काटन तौलिया, पाली बैग, लेदर प्रोडक्ट, हैण्डीक्राफ्ट, राइस मिल, रेडीमेड गारमेण्ट, कैटल फीड इण्डस्ट्री का विकास एवं निर्यात हेतु प्रोत्साहन।
- कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनानेहेतु प्रोत्साहन।
- बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।
- गेहूँ की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।
- धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग बिजली बनाने हेतु।
- ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 313203 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में 58वें व स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित खजुहा, ओमधाट भिटौरा, भृगु ऋषि आश्रम को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

बाराबंकी

1	क्षेत्रफल–388587(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 386445	2904
	नगरीय–	हेक्टेयर 2142	356
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		25.6
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		73.31
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		264.19
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		275.20
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		255.03
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		502.63
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		204.2
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		9.6
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 56.27 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –23.10 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 14.17 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक–6.47 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		76.97
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		5974
13	एक जिला एक उत्पाद		हथकरघा उत्पाद

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 21212.11 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 9715.38 करोड़ (45.80 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 1986.02 करोड़ (9.36 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 9510.71 करोड़ (44.84 प्रतिशत) का योगदान करता है।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 58009 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 8369.78 करोड़ है, जिसमे लगभग 30 प्रतिशत अंश में क्रमशः धान 13 प्रतिशत, गेहूँ 12 प्रतिशत, गन्ना 03 प्रतिशत एवं आलू 02 प्रतिशत है।
2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 985.05 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 85 प्रतिशत, 09 प्रतिशत एवं 1.4 प्रतिशत है।
3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1986.02 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 510.45 करोड़ (2.41 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 1271.78 करोड़

(6.00 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 203.79 करोड़ (0.96 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 9510.71 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 2662.63 करोड़ (12.55 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1561.69 करोड़ (7.36 प्रतिशत), वित्तीय सेवायें खण्ड का रू0 732.57 करोड (3.45 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 2493.68 करोड़ (11.76 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 1181.52 करोड़ (5.57 प्रतिशत) तथा अन्य सेवायें खण्ड रू0 878.61 करोड़ (4.14 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

धान, गेहूँ, आलू व गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- खेत को छुट्टा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।
- धान के पराली से जैविक खाद, बिजली पैदा करना, कप प्लेट बनवाना।
- धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग बिजली बनाने हेतु।
- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा, तिलहनी (सरसों), सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैशमल्चिंग का प्रयोग कर मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद हथकरघा उत्पाद तथा मेंथा क्रिस्टल व फ्लेक्स, चिकनकारी, पैक्डमीट, पालीएस्टर यार्न क्लस्टर का विकास एवं प्रोत्साहन।

➢ कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनाने हेतु प्रोत्साहन।

➢ बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।

➢ गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग बिजली बनाने हेतु।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, ,नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 96238 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 33 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 63वें व 59वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित महादेवा, देवा शरीफ, मंझगवा शरीफ, कोटवाधाम, कुन्तेश्वर महादेव मंदिर, मंजीठा, औसानेश्वर महादेव मंदिर, सतरिख को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

बुन्देलखण्ड सम्भाग

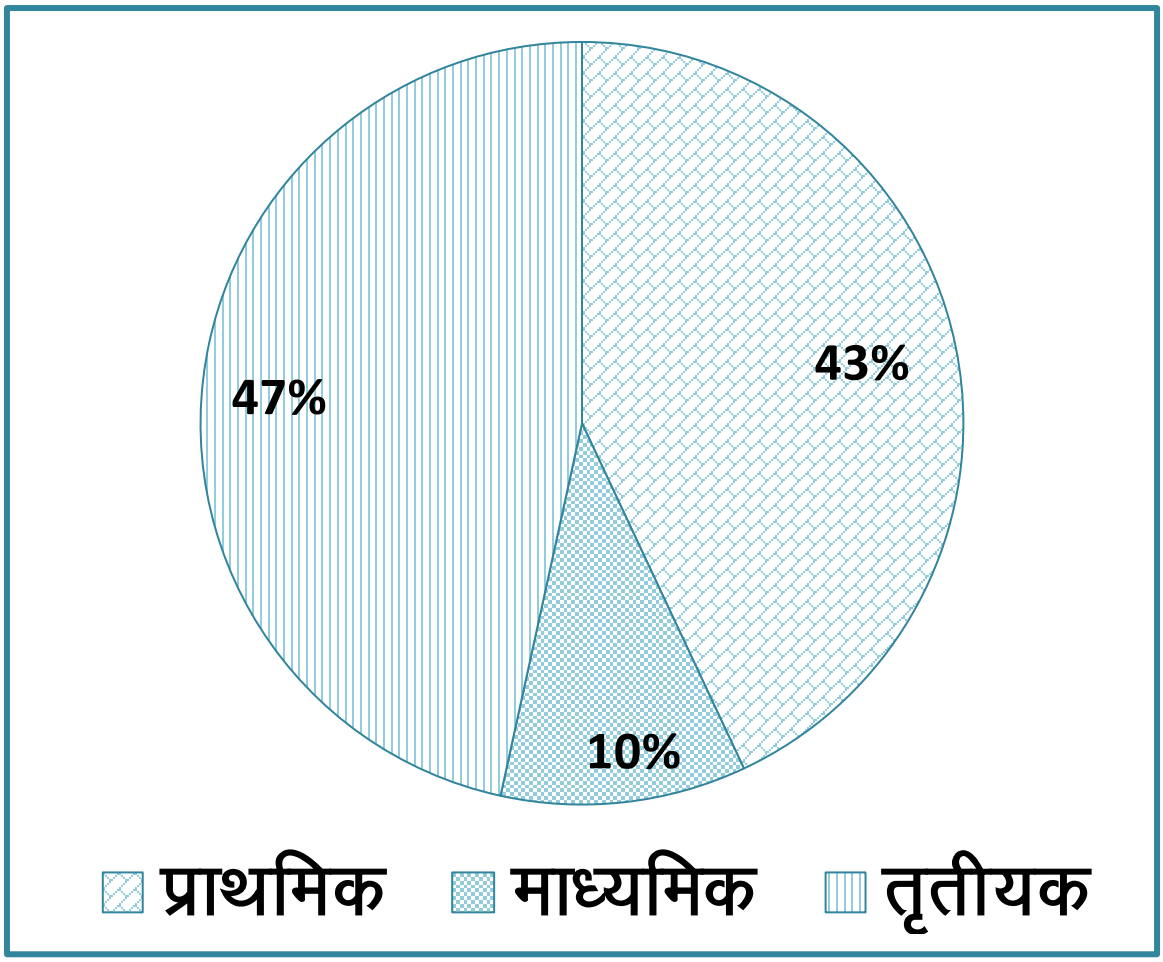

जिला घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार स्थिति

जालौन

1	क्षेत्रफल–454434(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 451696	1271
	नगरीय–	हेक्टेयर 2738	419
2	कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		24.9
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		69.65
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		352.90
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल–हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		89.24
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		261.06
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल–हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		268.75
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		125.4
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		18.9
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 17.29 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 18.68 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 27.45 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक– 29.45 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		92.97
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		28178
13	एक जिला एक उत्पाद		हस्त निर्मित कागज

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 12637.01 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 5607.87 करोड़ (44.38 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 1507.91करोड़ (11.93 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 5521.23करोड़ (43. 69 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 69049 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 4086.46 करोड़ है, जिसमे लगभग 45 प्रतिशत अंश में क्रमशः गेहूँ 23 प्रतिशत, मटर 11 प्रतिशत, चना 06 प्रतिशत, मसूर 03 एवं सरसों 2 प्रतिशत रहा है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 588.71 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 85 प्रतिशत, 09 प्रतिशत एवं 0.2 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1507.91 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 980.35 करोड़ (7.76 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 367.00 करोड़

(2.90 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 160.56 करोड़ (1.27 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 5521.23 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1289.15 करोड़ (10.20 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 903.19 करोड़ (7.15 प्रतिशत), वित्तीय सेवायें खण्ड का रू0 363.45 करोड़ (2.88 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 1546.89 करोड़ (12.24 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 647.15 करोड़ (5.12 प्रतिशत) तथा अन्य सेवायें खण्ड रू0 771.41 करोड़ (6.10 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ, मटर, चना, मसूर एवं सरसों के उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- खेत को छुट्टा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।
- वन ड्राप मोर क्राप, ड्रिप सिंचाई आदि को प्रोत्साहन व जलसंचयन हेतु तालाबों का संरक्षण एवं नव निर्माण जिससे कृषि क्षेत्र के साथ मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन के माध्यम से कृषकों की आय व जिला आय में वृद्धि हो सके।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्रमें एक जिला एक उत्पाद हैण्डमेड पेपर उद्योग का विकास एवं निर्यात हेतु प्रोत्साहन।
- गेहूँ की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।
- गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 4510112 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 4479 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 10वें व 22वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित पर्यटक क्षेत्र कालपी, रामपुरा, जगम्मनपुर तथा समसपुर सैंक्युचरी को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

झाँसी

1	क्षेत्रफल–501327(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 492885	1165
	नगरीय–	हेक्टेयर 8442	833
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		28.02
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		56.54
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		312.01
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		155.77
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		225.67
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		234.89
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		149.9
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		24.4
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 23.25 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 21.17प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर–26.13 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक– 29.45 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		87.84
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर(वर्ष 2015–16)		34401
13	एक जिला एक उत्पाद		कोमल खिलौने (सॉफट ट्वॉयज)

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 17585.05 करोड़ अनुमानित है। जिसमें क्रमशः प्राथमिक क्षेत्र रू0 5141.65 करोड़ (29.24 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 2716.93 करोड़ (15.45 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 9726.47 करोड़ (55.31 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 81454 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3082.00 करोड़ है, जिसमे लगभग 55 प्रतिशत अंश में क्रमशः गेहूँ 31 प्रतिशत, मटर 10 प्रतिशत, चना 07 प्रतिशत, मसूर 05 प्रतिशत एवं धान 02 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 550.16 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 72 प्रतिशत, 09 प्रतिशत एवं 0.4 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2716.93 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 856.79 करोड़ (4.87 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 1564.44 करोड़

(8.90 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 295.70 करोड़ (1.68 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 9726.47 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1454.58 करोड़ (8.25 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 2011.44 करोड़ (11.43 प्रतिशत), वित्तीय सेवायें खण्ड का रू0 570.73 करोड़ (3.25 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 2250.89 करोड़ (12.80 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 2385.90 करोड़ (13.57) तथा अन्य सेवायें खण्ड रू0 1056.92 करोड़ (6.01 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ, मटर, चना एवं मसूर उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- खेत को छुट्टा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।
- वन ड्राप मोर क्राप, ड्रिप सिंचाई आदि को प्रोत्साहन व जलसंचयन हेतु तालाबों का संरक्षण एवं नव निर्माण जिससे कृषि क्षेत्र के साथ मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन के माध्यम से कृषकों की आय व जिला आय में वृद्धि हो सके।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद साफ्ट टॉयज तथा लेड एसिड स्टोरेज बैट्री, रेडीमेड गारमेण्ट, शू एण्ड लेदर प्रोडक्ट, पावरलूम क्लस्टर (रानीपुर) का विकास एवं निर्यात हेतु प्रोत्साहन।
- गेहूँ की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।
- गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, ,नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ जिले में दलहन का उत्पादन होने के कारण दलहन प्रसंस्करण की काफी सम्भावना है, चना, मटर, मूँग, मसूर, सोयाबीन, जैसे दलहनों को प्रसंस्कृत करके दाल बेसन, पापड़, दालमोट एवं बरी जैसी वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ एक प्रमुख पर्यटक केन्द्र होने के कारण यहाँ विकास की असीम सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ इन पर्यटन स्थलों के भ्रमण हेतु उचित दर पर, पंजीकृत व्हीकल व गाइड की व्यवस्था ।

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 7891985 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 143261 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 4वें व 5वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित झाँसी किला, टहरौली किला, टोडी फतहपुर किला, मढिया महादेव मंदिर, रानी महल, सेंट ज्यूड्स चर्च, गढमऊ झील, खिरिया घाट, गाध मऊ, फौज डैम, बरूआसागर का और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के क्षेत्र का विकास।

❄❄❄❄

ललितपुर

1	क्षेत्रफल–509791(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 507173	1046
	नगरीय–	हेक्टेयर 2618	175
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		29.23
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		77.91
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		293.62
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		159.64
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		210.64
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		224.42
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		154.4
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		16.5
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 18.12 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –30.02 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 25.53 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक–26.33 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		80.50
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर(वर्ष 2015–16)		76158
13	एक जिला एक उत्पाद		ज़री सिल्क साड़ी

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 9195.09 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 4235.72 करोड़ (46.07 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 808.36 करोड़ (8.79 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 4151.02 करोड़ (45.14 प्रतिशत) का योगदान करता है।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 65782 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3036.39 करोड़ है, जिसमे लगभग 50 प्रतिशत अंश में क्रमशः गेहूँ 33 प्रतिशत, मटर 10 प्रतिशत, चना 05 प्रतिशत एवं मसूर 02 प्रतिशत है।
2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 754.95 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 78 प्रतिशत, 05 प्रतिशत एवं 0.3 प्रतिशत है।
3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 808.36 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 261.28 करोड़ (2.84 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 407.20 करोड़ (4.43 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 139.87 करोड़ (1.52 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 4151.02 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1064.83 करोड़ (11.58 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 686.67 करोड़ (7.47 प्रतिशत), वित्तीय सेवायें खण्ड का रू0 247.03 करोड़ (2.69 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 1027.35 करोड़ (11.17 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 612.58 करोड़ (6.66 प्रतिशत) तथा अन्य सेवायें खण्ड रू0 512.56 करोड़ (5.57 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1–कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ, मटर, चना एवं मसूर उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश में प्रमुख स्थान रखता है। इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- खेत को छुट्टा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।
- वन ड्राप मोर क्राप, ड्रिप सिंचाई आदि को प्रोत्साहन व जलसंचयन हेतु तालाबों का संरक्षण एवं नव निर्माण जिससे कृषि क्षेत्र के साथ मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन के माध्यम से कृषकों की आय व जिला आय में वृद्धि हो सके।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।

2–MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्रमें एक जिला एक उत्पाद जरी सिल्क साडी व चन्देरी साडी लेड एसिड स्टोरेज बैट्री, रेडीमेड गारमेण्ट, शू एण्ड लेदर प्रोडक्ट का विकास एवं प्रोत्साहन।
- गेहूँ की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।
- गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, ,नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- जिले में तिलहन जैसे मूँगफली, सोयाबीन, सरसों के प्रचुर मात्रा में उत्पादन के कारण तेल मिल की प्रचुर संभावना है।

➢ जिले में दलहन का उत्पादन होने के कारण दलहन प्रसंस्करण की काफी सम्भावना है, चना, मटर, मूँग, मसूर, सोयाबीन, जैसे दलहनों को प्रसंस्कृत करके दाल, बेसन, पापड़, दालमोट एवं बरी जैसी वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 5218532 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 7719 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 09वें व 20वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में देवगढ, दशावतार मंदिर, पाली दुधई, महावीर स्वामी सैंच्युरी, तालवेहाट, गोविन्द सागर, जखलौन, सुमेरातालाब एवं देवगढ़ का और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के क्षेत्र का विकास।

❄❄❄❄

हमीरपुर

1	क्षेत्रफल–390865(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 382994	894
	नगरीय–	हेक्टेयर 7811	210
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत(वर्ष 2011)		26.30
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		68.71
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		258.61
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		82.65
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		157.23
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		161.81
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		132.0
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		22.5
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम–13.59 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –17.73 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर–26.01 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक– 42.67 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		90.55
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		24013
13	एक जिला एक उत्पाद		जूती

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 10406.65 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 5626.56 करोड़ (54.07 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 905.84 करोड़ (8.70 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 3874.25 करोड़ (37.23 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 93045 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1565.85 करोड़ है, जिसमे कुल फसल उत्पादन में लगभग 60 प्रतिशत अंश क्रमशः गेहूँ 34 प्रतिशत, चना 19 प्रतिशत, मसूर 4 प्रतिशत एवं सरसों 3 प्रतिशत रहा है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 709.89 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 82 प्रतिशत, 07 प्रतिशत एवं 0.2 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 905.84 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 319.31 करोड़ (3.07 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 499.74 करोड़

(4.80 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 86.79 करोड़ (0.83 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3874.25 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 794.88 करोड़ (7.64 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 683.90 करोड़ (6.57 प्रतिशत), वित्तीय सेवायें खण्ड का रू0 278.26 करोड़ (2.67 प्रतिशत) स्थावर, सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 1077.14 करोड़ (10.35 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 576.89 करोड़ (5.54 प्रतिशत) तथा अन्य सेवायें खण्ड रू0 463.17 करोड़ (4.45 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1–कृषि के अपेक्षित कार्य–

➢ वन ड्राप मोर क्राप, ड्रिप सिंचाई आदि को प्रोत्साहन व जलसंचयन हेतु तालाबों का संरक्षण एवं नव निर्माण जिससे कृषि क्षेत्र के साथ मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन के माध्यम से कृषकों की आय व जिला आय में वृद्धि हो सके।

➢ क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।

2–MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद लैदर जूतीं व लेड एसिड स्टोरेज बैट्री, रेडीमेड गारमेण्ट, शू एण्ड लेदर प्रोडक्ट का विकास एवं निर्यात हेतु प्रोत्साहन।

➢ जिले में दलहन का उत्पादन होने के कारण दलहन प्रसंस्करण की काफी सम्भावना है, चना, मटर, मूँग, मसूर, सोयाबीन, जैसे दलहनों को प्रसंस्कृत करके दाल बेसन, पापड़, दालमोट एवं बरी जैसी वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 327351 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 159 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 57वें व 50वें स्थान पर है।
- इस जनपद में स्थित देवतसिद्ध मंदिर को और विकसित करते हुये पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

महोबा

1	क्षेत्रफल–327429(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 321370	691
	नगरीय–	हेक्टेयर 6059	185
2	कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		27.3
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		68.33
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		184.92
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		24.14
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		46.16
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		46.53
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		27.3
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		113.1
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण– 32.2		
	1 हेक्टेयर से कम– 15.31 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –21.48 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 27.23 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक–35.98 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		89.60
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		16143
13	एक जिला एक उत्पाद		गौरा पत्थर शिल्प

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 7607.35 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 3612.72 करोड़ (47.49 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 657.29 करोड़ (8.64 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 3337.34 करोड़. (43.87 प्रतिशत) का योगदान करता है।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 75573 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1494.47 करोड़ है, जिसमे लगभग 55 प्रतिशत अंश में क्रमशः गेहूँ 20 प्रतिशत, मटर 09 प्रतिशत, चना 22 प्रतिशत एवं मसूर 04 प्रतिशत रहा है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 315.31 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 73 प्रतिशत, 08 प्रतिशत एवं 0.4 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 657.29 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 305.40 करोड़ (4.01 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 257.18 करोड़

(3.38 प्रतिशत), विद्युत गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 94.71 करोड़ (1.25 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3337.34 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 567.92 करोड़ (7.47 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 747.89 करोड़ (9.83 प्रतिशत), वित्तीय सेवायें खण्ड का रू0 161.85 करोड़ (2.13 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 840.74 करोड़ (11.05 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 773.96 करोड़ (10.17 प्रतिशत) तथा अन्य सेवायें खण्ड रू0 244.98 करोड़ (3.22 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ, चना, मटर एवं मसूर का उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- खेत को छुट्टा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- वन ड्राप मोर क्राप, ड्रिप सिंचाई आदि को प्रोत्साहन व जलसंचयन हेतु तालाबों का संरक्षण एवं नव निर्माण जिससे कृषि क्षेत्र के साथ मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन के माध्यम से कृषकों की आय व जिला आय में वृद्धि हो सके।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद गौरा स्टोन क्राफ्ट व लेड एसिड स्टोरेज बैट्री, रेडीमेड गारमेण्ट, शू एण्ड लेदर प्रोडक्ट का विकास एवं निर्यात हेतु प्रोत्साहन।
- जिले में दलहन का उत्पादन होने के कारण दलहन प्रसंस्करण की काफी सम्भावना है, चना, मटर, मूँग, मसूर, सोयाबीन, जैसे दलहनों को प्रसंस्कृत करके दाल, बेसन, पापड़, दालमोट एवं बरी जैसी वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है।
- गेहूँ की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, ,नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 1260010 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 2392 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 26वें व 25वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित विजय सागर सैंक्युचरी, उर्मिल सागर एवं चरखारी को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास ।

❄❄❄❄

बांदा

1	क्षेत्रफल–438949(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 438949	1524
	नगरीय–	हेक्टेयर 0	276
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		26.9
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		73.97
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		319.36
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		116.70
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		236.98
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		136.5
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		9.0
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम–19.11प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 21.02 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 25.96 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक–33.91 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		92.97
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		5190
13	एक जिला एक उत्पाद		शज़र पत्थर शिल्प

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 10939.81 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 5110.52 करोड़ (46.71 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 741.60 करोड़ (6.78 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 5087.69 करोड़ (46.51 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 55121 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2135.66 करोड़ है, जिसमे लगभग 65 प्रतिशत अंश में क्रमशः गेहूँ 35 प्रतिशत, चना 17 प्रतिशत, धान 10 प्रतिशत एवं मसूर 03 प्रतिशत रहा है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 457.08 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 77 प्रतिशत, 09 प्रतिशत एवं 0.3 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 741.60 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 565.13 करोड़ (5.17 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 63.22 करोड़

(0.58 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 113.25 करोड़ (1.04 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 5087.69 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 688.03 करोड़ (6.29 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 824.76 करोड़ (7.54 प्रतिशत), वित्तीय सेवायें खण्ड का रू0 394.68 करोड़ (3.61 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 1584.19 करोड़ (14.48 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 1051.19 करोड़ (9.41 प्रतिशत) तथा अन्य सेवायें खण्ड रू0 544.84 करोड़ (4.98 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ, धान, चना, मसूर एवं अरहर उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- खेत को छुट्टा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।
- वन ड्राप मोर क्राप, ड्रिप सिंचाई आदि को प्रोत्साहन व जलसंचयन हेतु तालाबों का संरक्षण एवं नव निर्माण जिससे कृषि क्षेत्र के साथ मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन के माध्यम से कृषकों की आय व जिला आय में वृद्धि हो सके।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्रमें एक जिला एक उत्पाद–शजर स्टोन (स्फटिक पत्थर) तथा फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर (राइस, दाल, तेल, अचार), स्टोन क्रशर उद्योग का विकास एवं निर्यात हेतु प्रोत्साहन।
- गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।
- धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग बिजली बनाने हेतु।
- गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, ,नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 1210670 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 531 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 28वें व 39वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित सिमौनी, कालिंजर तथा रानीपुर सैंक्युचरी को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास ।

❄❄❄❄

चित्रकूट

1	क्षेत्रफल–338897(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)	
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 338897	895	
	नगरीय–	हेक्टेयर 0	96	
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		28.50	
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		77.95	
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		158.16	
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		28.40	
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		84.34	
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		94.93	
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		118.0	
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		6.8	
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–			
	1 हेक्टेयर से कम–23.82 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 21.79 प्रतिशत	
	2 से 4 हेक्टेयर– 21.24 प्रतिशत		4 हेक्टेयर से अधिक– 33.15 प्रतिशत	
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		76.13	
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर(वर्ष 2015–16)		59767	
13	एक जिला एक उत्पाद		लकड़ी के खिलौने	

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 4498.55 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 2014.09 करोड़ (44.77 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 245.46 करोड़ (5.46 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 2238.99 करोड़ (49.77 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 38751 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 751.77 करोड़ है, जिसमे लगभग 46 प्रतिशत अंश में क्रमशः गेहूँ 23 प्रतिशत, चना 21 प्रतिशत एवं धान 02 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 448.66 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 83 प्रतिशत, 06 प्रतिशत एवं 0.3 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 245.46 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 139.91 करोड़ (3.11 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 68.55 करोड़ (1.52 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 37.01 करोड़ (0.82 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2238.99 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 421.06 करोड़ (9.36 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 606.27 करोड़ (13.48 प्रतिशत), वित्तीय सेवायें खण्ड का रू0 224.32 करोड़ (4.99 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 684.22 करोड़ (15.21 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 73.03 करोड़ (1.62 प्रतिशत) तथा अन्य सेवायें खण्ड रू0 230.10 करोड़ (5.11 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1–कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ, चना, मसूर एवं अरहर उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- खेत को छुट्टा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।
- वन ड्राप मोर क्राप, ड्रिप सिंचाई आदि को प्रोत्साहन व जलसंचयन हेतु तालाबों का संरक्षण एवं नव निर्माण जिससे कृषि क्षेत्र के साथ मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन के माध्यम से कृषकों की आय व जिला आय में वृद्धि हो सके।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इती इत्यादि) का समाधान ।

2–MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्रमें एक जिला एक उत्पाद वुडन ट्वायस का विकास एवं निर्यात हेतु प्रोत्साहन।
- गेहूँ की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग में लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग में लाना।
- गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, ,नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ जिले में दलहन का उत्पादन होने के कारण दलहन प्रसंस्करण की काफी सम्भावना है, चना, मटर, मूँग, मसूर, सोयाबीन, जैसे दलहनों को प्रसंस्कृत करके दाल बेसन, पापड़, दालमोट एवं बरी जैसी वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 7234396 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 5062 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 05वें व 21वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित कामदगिरि मंदिर, परिक्रमा मार्ग, सीता रसोई, रानीपुर सैंच्युरी तथा देवांगना वैली को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास ।

➢ रात्रि निवास हेतु प्रोत्साहन।

❄❄❄❄

पूर्वांचल सम्भाग

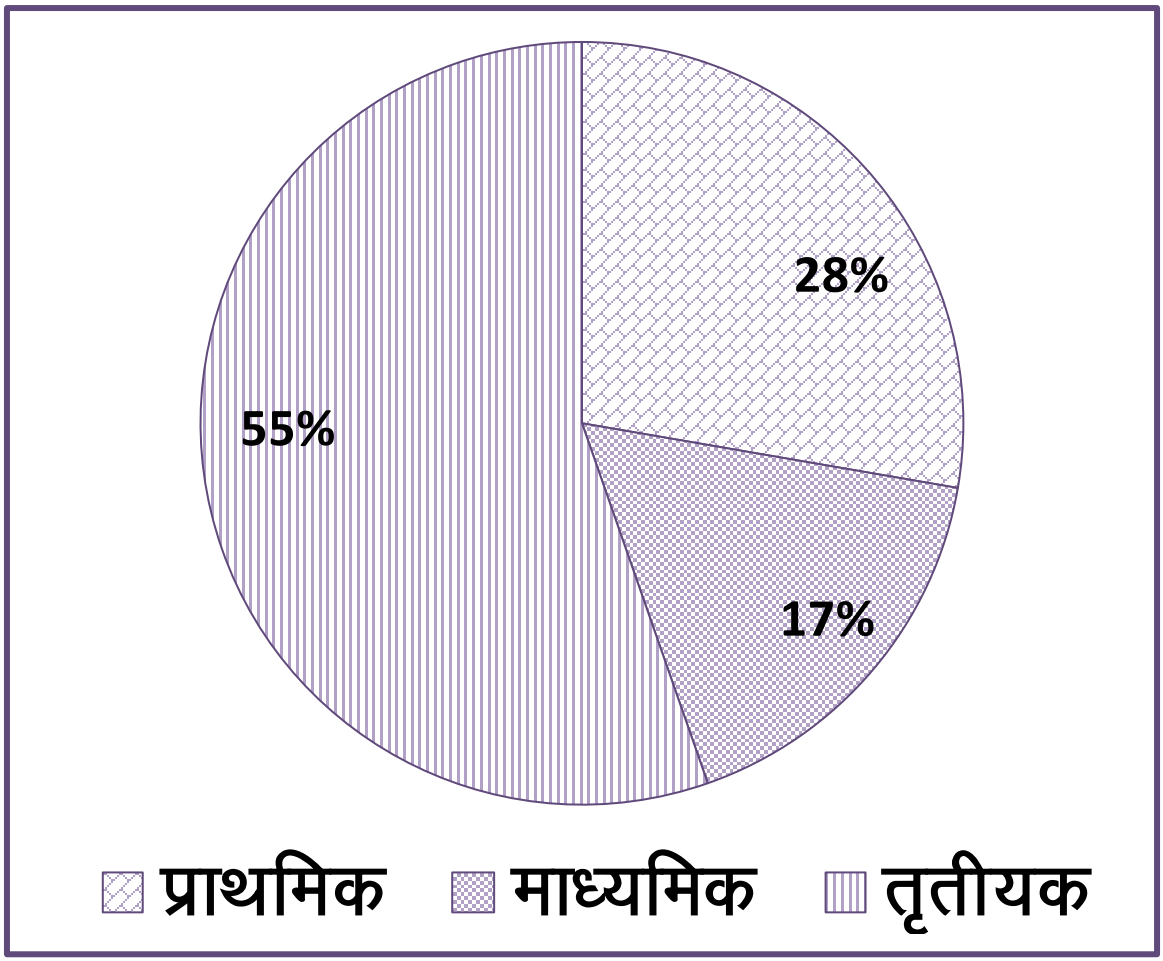

जिला घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार स्थिति

प्रतापगढ़

1	क्षेत्रफल–361629(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 359788	2997
	नगरीय–	हेक्टेयर 1841	212
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		17.23
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		60.60
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		228.59
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		111.20
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		207.84
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		307.55
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		148.6
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		4.3
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 63. 20प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –19.35 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 13.03 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक–4.42 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		73.45
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		569
13	एक जिला एक उत्पाद		खाद्य प्रसंस्करण (आंवला)

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 11803.85 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 3594.36 करोड़ (30.45 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 948.97 करोड़ (8.04 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 7260.52 करोड़ (61.51 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 33531 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2111.36 करोड़ है, जिसमे लगभग 60 प्रतिशत अंश में क्रमशः गेहूँ 34 प्रतिशत, धान 22 प्रतिशत एवं आलू 04 प्रतिशत है।
2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1297.89 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः80 प्रतिशत, 09 प्रतिशत एवं 0.6 प्रतिशत है।
3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 948.27 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 471.77 करोड़ (4.00 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 248.42 करोड़

(2.10 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 228.79 करोड़ (1.94 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 7260.52 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 931.06 करोड़ (7.89 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1221.89 करोड़ (10.35 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 692.82 करोड़ (5.87 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 2481.86 करोड़ (21.03 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 1079.04 करोड़ (9.14 प्रतिशत) तथा 853.85 (7.23 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ, धान एवं आलू उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- खेत को छुट्टा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्रमें एक जिला एक उत्पाद आंवला के उत्पाद (मुरब्बा, कैडी, लड्डू, बर्फी, आंवला जूस, अचार स्कैव्श) तथा आलू के उत्पाद का विकास एवं प्रोत्साहन।
- कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनाने हेतु प्रोत्साहन।
- बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।
- गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्यमें लाना।
- धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्यबिजली बनाने हेतु।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 766854 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 767 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः42वें व 34वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित धुइसरनाथ, कृपालु महाराज मनगढ़, दुर्गा देवी मंदिर को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास ।

❄❄❄❄

कौशाम्बी

1	क्षेत्रफल–185504(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 178821	1475
	नगरीय–	हेक्टेयर 6683	124
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		26.0
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत(वर्ष 2011)		72.03
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		123.36
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		78.33
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		95.61
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		157.41
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		163.5
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		4.5
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम–44.39 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –23.29 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर–19.01 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक– 13.31 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		85.56
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		195
13	एक जिला एक उत्पाद		खाद्य प्रसंस्करण (केला)

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 8443.21 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 2931.67 करोड़ (34.72 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 2161.94 करोड़ (25.61 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 3349.60 करोड़ (39.67 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 46890 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1969.63 करोड़ है, जिसमे लगभग 40 प्रतिशत अंश में क्रमशःगेहूँ 21 प्रतिशत, धान 12 प्रतिशत, आलू 03 प्रतिशत, आम 02 प्रतिशत एवं चना 02 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 371.11 करोड़ है जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः68 प्रतिशत, 17प्रतिशत एवं 1.2 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2161.94 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 1739.61 करोड़ (20.60 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 297.90 करोड़ (3.53 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 124.43 करोड़ (1.47 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3349.60 करोड़ अनुमानित किया गया है जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 668.19 करोड़ (7.91 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 463.97 करोड़ (5.50 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 349.25 करोड़(4.14 प्रतिशत) स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 1220.12 करोड़ (14.45 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 33.74 करोड़ (0.40 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0 614.33 करोड़ (7.28 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ, धान, आलू, आम एवं केला उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- खेत को छुटटा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सहफसली खेती इत्यादि) का समाधान ।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद फूड प्रोसेसिंग केला तथा अमरूद की जैम व जैली, जूस, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स (चना, अरहर, उडद पापड़ तथा भुजिया आधारित), लाइव स्टाक वेस्ड उद्योग, केला आधारित प्रोडक्स (चिप्स) का विकास एवं प्रोत्साहन।
- कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनाने हेतु प्रोत्साहन।
- बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।
- गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्यमें लाना।
- धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्यबिजली बनाने हेतु।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

एक प्रमुख पर्यटक केन्द्र होने के कारण यहाँ विकास को असीम सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 216108 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 15677 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 18वें व 24वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित बौद्ध स्थल, कड़ाधाम, शीतलाधाम, जैन मंदिर, पभौषा को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

प्रयागराज

1	क्षेत्रफल–557074(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 530907	4482
	नगरीय–	हेक्टेयर 26167	1473
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत(वर्ष 2011)		21.61
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत(वर्ष 2011)		44.48
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		352.62
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		142.74
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		309.28
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		432.40
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		140.5
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		3.3
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 41.41 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –21.62 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 21.35 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक– 15.63 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत– (वर्ष 2014–15)		77.48
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		21476
13	एक जिला एक उत्पाद		मूँज उत्पाद

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिये जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 47861.69 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 7085.79 करोड़ (14.80 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 13765.07 करोड़ (28.76 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 27010.83 करोड़(56.44प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 71836 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3621.30 करोड़ है, जिसमे लगभग 70 प्रतिशत अंश में क्रमशः गेहूँ 32 प्रतिशत, धान 29 प्रतिशत, आलू 06 प्रतिशत, चना एवं मसूर 03 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1777.17 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः 80 प्रतिशत, 08 प्रतिशत एवं 0.6 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 13765.07 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 8499.74 करोड़ (17.76 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 4208.87 करोड़ (8.79 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 1056.46 करोड़ (2.21 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 27010.83 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 2518.18 करोड़ (5.26 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 5053.09 करोड़ (10.56 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 1527.62 करोड़ (3.19 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 6867.46 करोड़ (14.35 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 7835.87 करोड़ (16.37 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0 3208.61 करोड़ (6.70 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ एक प्रमुख पर्यटक केन्द्र (कुंभ नगरी) होने के कारण यहाँ विकास की असीम सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ मुख्य पर्यटन स्थल के आस–पास के अन्य पर्यटक स्थलों यथा भारद्वाज आश्रम, वेणीमाधव मंदिर, हनुमान मंदिर, अक्षय वट, संगम क्षेत्र, संग्रहालय, ऑल सेण्ट्स कैथेड्रल चर्च, सरस्वती कूप, सोमेश्वर, महादेव, नाग वासुकी मंदिर, मिन्टो पार्क, अरैल को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के क्षेत्रों को पर्यटन हेतु प्रोत्साहन।

➢ यह जनपद रामवन गमन यात्रा सर्किट तथा क्राफ्ट/हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाइल सर्किट (जो पर्यटन क्षेत्र का एक भाग है) के अन्तर्गत आता है। अतः इससे संबंधित सेवाओं का प्रोत्साहन ।

➢ संगम तट पर नौका बिहार के साथ पर्यटन स्थल पर रात्रि में लाइट एण्ड साउण्ड शो के माध्यम का प्रयोग्यकरते हुय रात्रि निवास हेतु प्रोत्साहन।

➢ इन पर्यटन स्थलों के भ्रमण हेतु उचित दर पर, पंजीकृत व्हीकल व गाइड की व्यवस्था ।

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 284057014 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 1171696 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः01वें व 02वें स्थान पर है।

2–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ जनपद स्तर पर प्रतियोगी परीक्षा पाठ्यक्रम आधारित अन्य पुस्तकों से सुसज्जित सुविधा युक्त पुस्तकालय/वाचनालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

➢ जनपद से मेडिकल व इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु बडी संख्या में छात्र कोटा (राजस्थान) जाते है। वैकल्पिक व्यवस्था (आनलाइन क्लासेज व कोटा में स्थापित कोचिंग संस्थानोंसे बुलाये गये शिक्षकों द्वारा) विकसित करते हुये जनपद स्तर पर ही इसकी व्यवस्था करने की तरफ

अग्रसरित होना, जिससे जनपद से जो बड़ी धनराशि इन स्थानों पर प्रतिवर्ष जाती है उसमें कमी करते हुये जनपद की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके।

➢ सरकारी सहायता या पी0पी0पी0 माडल पर साफ्ट लाइब्रेरी केन्द्रों की विकसित करना जिससे प्रमुख शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, शोध संस्थानोंसे सम्बन्धित छात्र ऑनलाइन जर्नल्स में प्रकाशित अधुनान्त शोध पत्रों के माध्यम से लाभान्वित हो सके।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

3. कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ, धान, चना, मटर, मसूर, अमरूद एवं आलू उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।

➢ खेत को छुटटा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।

➢ कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

➢ क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।

➢ जिले में दलहन का उत्पादन होने के कारण दलहन प्रसंस्करण की काफी सम्भावना है, चना, मटर, मूँग, मसूर, सोयाबीन, जैसे दलहनों को प्रसंस्कृत करके दाल बेसन, पापड, दालमोट एवं बरी जैसी वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है।

4. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विनिर्माण का प्रमुख केन्द्र होने के कारण इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है। विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद मूँज व जी0आई0 टैग युक्त सुर्खा तथा हाथ की बनी हुयी दरी लेदर गुड्स, मूँज से बनी वस्तुयें, अमरूद की जैम व जैली, जूस, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का विकास एवं प्रोत्साहन।

➢ उत्पाद–काष्ठ शिल्प (वुड कार्विग) को प्रोत्साहन ।

➢ कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनाने हेतु प्रोत्साहन।

➢ बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।

➢ गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्यमें लाना।

- धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्यबिजली बनाने हेतु।
- गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

❄❄❄❄

अयोध्या

1	क्षेत्रफल–260266(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 258983	2131
	नगरीय–	हेक्टेयर 1283	340
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		20.10
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		60.23
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		179.73
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		111.33
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		166.02
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		269.62
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		161.9
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		10.3
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 60.72 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –20.91 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 13.47 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक–4.90 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		80.93
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर(वर्ष 2015–16)		3299
14	एक जिला एक उत्पाद		गुड़

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 13765.16 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 3975.44 करोड़ (28.88 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 1623.64 करोड़ (11.80 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 8166.08 करोड़ (59.32 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 50461 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2674.61 करोड़ है, जिसमे लगभग 70 प्रतिशत अंश में क्रमशः धान 21 प्रतिशत, गेहूँ 22 प्रतिशत, गन्ना 16 एवं आम 11 प्रतिशत रहा है।
2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1030.63 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः80 प्रतिशत, 5 प्रतिशत एवं 0.8 प्रतिशत है।
3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1623.64 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 403.45 करोड़ (2.93 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 940.13 करोड़

(6.83 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 280.05 करोड़ (2.03 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 8166.08 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1184.34 करोड़ (8.60 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1708.53 करोड़ (12.41 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 528.13 करोड़ (3.84 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 2099.59 करोड़ (15.25 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 1579.15 करोड़ (11.47 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0 1066.34 करोड़ (7.75 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ, गन्ना, धान एवं आम उत्पादन में प्रदेश में प्रमुख स्थान रखता है। इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा), तिलहनी (सरसों), सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी)फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैश मल्चिंग का प्रयोग्यकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति ,जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- खेत को छुटटा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद गुड तथा लेड एसिड स्टोरेज बैट्री, रेडीमेड गारमेन्ट, एग्रो वेस्ड इण्डस्ट्रीज का विकास एवं प्रोत्साहन।

➢ खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।

➢ गेहूँ एवं धान कीपराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्यमें लाना।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्य बिजली बनाने हेतु

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, ,नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ यहां आम भी एक प्रमुख फसल है। इसकी प्रोसेसिंग (मैंगों जूस, पल्प, कैंडी, स्क्वैश, अमावट, अचार, मुरब्बा, जैम, पना इत्यादि) तथा इनके निर्यात को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

➢ एक प्रमुख पर्यटक केन्द्र होने के कारण यहाँ विकास को असीम सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ इस जनपद में स्थित राम जन्म भूमि, कनक भवन, हनुमान गढ़ी राम कथा पार्क, राम की पैड़ी, भरत कुडं तथा राम वन गमन यात्रा सर्किट जो पर्यटन का एक भाग है को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 340967 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 1365 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 55वें व 31वें स्थान पर है।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

❄❄❄❄

अम्बेडकर नगर

1	क्षेत्रफल–236203(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 229567	2117
	नगरीय–	हेक्टेयर 6636	281
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		18.4
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		61.13
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		173.75
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		117.18
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		165.31
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		279.01
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		167.4
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		6.5
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 64.14 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –20.41 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 11.62 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक–3.84 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		88.48
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर(वर्ष 2015–16)		328
13	एक जिला एक उत्पाद		वस्त्र उद्योग

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 10711.17करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 3388.43 करोड़ (31.63 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 1462.87 करोड़ (13.66 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 5859.88 करोड़ (54.71प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 40553 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2560.69 करोड़ है, जिसमे लगभग 70 प्रतिशत अंश में क्रमशःधान 28 प्रतिशत, गेहूँ 27 प्रतिशत, गन्ना 10 प्रतिशत एवं आम 05 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 499.09 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः79 प्रतिशत, 07 प्रतिशत एवं 1.1 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1462.87 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 464.57 करोड़ (4.34 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 828.78 करोड़ (7.74

प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 169.52 करोड़ (1.58 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 5859.88 करोड़ अनुमानित किया गया है जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1003.09 करोड़ (9.36 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 816.22 करोड़ (7.62 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 477.03 करोड़ (4.45 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 2294.11 करोड़ (21.42 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 460.90 करोड़ (4.30 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0 808.54 करोड़ (7.55 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ, गन्ना, धान एवं आम उत्पादन में प्रदेश में प्रमुख स्थान रखता है। इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा) तिलहनी (सरसों) सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैश मल्चिंग का प्रयोग्यकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति ,जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- खेत को छुटटा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद पावर लूम तथा टेरीकाटन क्लाथ्स (हैण्ड लूम एण्ड पावरलूम क्लाथम) राइस मिल का विकास एवं प्रोत्साहन।
- बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।

➢ गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्य में लाना।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्य बिजली बनाने हेतु

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ यहां आम भी एक प्रमुख फसल है। इसकी प्रोसेसिंग (मैंगों जूस, पल्प, कैंडी, स्क्वैश, अमावट, अचार, मुरब्बा, जैम, पना इत्यादि) तथा इनके निर्यात को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 804586 के आगमन के साथ यह जनपद उत्तर प्रदेश 40वें स्थान पर है।

❄❄❄❄

सुल्तानपुर

1	क्षेत्रफल–265899(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 265021	2285
	नगरीय–	हेक्टेयर 878	147
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		18.20
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		63.65
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		178.39
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर वर्ष 2017–18)		98.89
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		153.30
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		23.20
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		155.4
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		6.2
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 64.48 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 19.88प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 11.86 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक–3.78 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		80.03
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर(वर्ष 2015–16)		637
13	एक जिला एक उत्पाद		मूँज उत्पाद

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 12632.55 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 3645.83 करोड़ (28.86 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 2104.42 करोड़ (16.66 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 6882.30 करोड़ (54.48 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 48269 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू02136.74 करोड़ है, जिसमे लगभग 70 प्रतिशत अंश में क्रमशः धान 27 प्रतिशत, गेहूँ 25 प्रतिशत, आम 11 प्रतिशत एवं गन्ना 07 प्रतिशत है।
2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1195.42 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः86 प्रतिशत, 04 प्रतिशत एवं 01 प्रतिशत है।
3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2104.40 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 1196.37 करोड़ (9.47 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 660.91 करोड़

(5.23 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 247.14 करोड़ (1.96 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 6882.30 करोड़ अनुमानित किया गया है जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1046.48 करोड़ (8.28 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 990.90 करोड़ (7.84 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 485.54 करोड़ (3.84 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 2030.44 करोड़ (16.07 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 1389.29 करोड़ (11.00 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0 939.64 करोड़ (7.44 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ, गन्ना, धान, आलू एवं आम उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश में प्रमुख स्थान रखता है। इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा) तिलहनी (सरसों) सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैश मल्चिग का प्रयोग्यकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति ,जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- खेत को छुटटा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद पावर लूम तथा टेरीकाटन क्लाथ्स (हैण्ड लूम एण्ड पावरलूम क्लाथम) राइस मिल का विकास एवं प्रोत्साहन।
- बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।

➢ गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्य में लाना।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्यबिजली बनाने हेतु

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ यहां आम भी एक प्रमुख फसल है। इसकी प्रोसेसिंग (मैंगों जूस, पल्प, कैंडी, स्क्वैश,अमावट, अचार, मुरब्बा, जैम, पना इत्यादि) तथा इनके निर्यात को प्रोत्साहन।

➢ कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनाने हेतु प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 435439 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः53वें स्थान पर है।

❄❄❄❄

अमेठी

1	क्षेत्रफल–238201(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 1761	1761
	नगरीय–	हेक्टेयर 106	106
2	कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		17.8
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		–––
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		148.52
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		90.22
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		132.79
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		212.50
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		160.7
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		2.9
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 54.90 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –22.58 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर–17.32 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक–5.20 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		73.99
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		2111
13	एक जिला एक उत्पाद		मूँज उत्पाद

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 10091.87 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 2932.67 करोड़ (29.06 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 2574.88 करोड़ (25.51 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 4584.32 करोड़ (45.43प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 58526 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2349.34 करोड़ है, जिसमे लगभग 70 प्रतिशत अंश में क्रमशःधान 32 प्रतिशत, गेहूँ 31 प्रतिशत एवं आम 07 प्रतिशत रहा है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 401.15 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः80 प्रतिशत, 09 प्रतिशत एवं 0.8 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2574.88 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 775.39 करोड़ (7.68 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 1630.18 करोड़

(16.15 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 169.31 करोड़ (1.68 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 4584.32 तृतीयक करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1109.74 करोड़ (11.00 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 643.77 करोड़ (6.38 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 545.17 करोड़ (5.40 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 1517.31 करोड़ (15.04 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 60.02 करोड़ (0.59 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0 708.31 करोड़ (7.02 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ, धान एवं आम उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- खेत को छुटटा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्रमें एक जिला एक उत्पाद मूँज प्रोडक्ट तथा एग्रोवेस्ट इन्डस्ट्रीज का विकास एवं प्रोत्साहन।
- गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्यमें लाना।
- धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्यबिजली बनाने हेतु
- गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनानेहेतु प्रोत्साहन।

➢ बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

❄❄❄❄

बहराइच

1	क्षेत्रफल–486062 (हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 486062	3214
	नगरीय–	हेक्टेयर	284
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		21.4
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		78.45
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		332.41
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		191.80
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		220.50
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		259.42
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		157.7
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		12.1
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 54.99 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –21.57 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर–15.50 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक–7.94 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		89.73
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर(वर्ष 2015–16)		68480
13	एक जिला एक उत्पाद		गेहूँ के डंठल की कलाकृतियाँ

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 14710.62 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 6174.59 करोड़ (41.97 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 983.51 करोड़ (6.69 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 7552.52 करोड़ (51.34 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 32974 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3476.39 करोड़ है, जिसमे लगभग 65 प्रतिशत अंश में क्रमशःगेहूँ 24 प्रतिशत, धान 23 प्रतिशत, गन्ना 12 प्रतिशत एवं मसूर 06 प्रतिशत है।
2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1230.06 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः79 प्रतिशत, 06 प्रतिशत एवं 0.7 प्रतिशत है।
3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 983.51 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 298.99 करोड़ (2.03 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 606.89 करोड़

(4.13 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 77.63 करोड़ (0.53 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 7552.52 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1630.12 करोड़ (11.08 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 890.64 करोड़ (6.05 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 556.53 करोड़ (3.78 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 2374.47 करोड़ (16.14 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 1127.88 करोड़ (7.67 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0 972.88 करोड़ (6.61 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

धान, गन्ना एवं गेहूँ उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा), तिलहनी (सरसों), सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी)फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैशमल्चिग का प्रयोग्यकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति ,जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद गेहूँ की डंठल से बनाया गया शिल्प तथा शुगरकेन,एग्रोवेस्ड उद्योग, राइस मिल, फलोर मिल, आयल मिल, कोल्डस्टोरेज, केटलफीड का विकास एवं प्रोत्साहन।

➢ गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्यमें लाना।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्यबिजली बनाने हेतु।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 541431 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः49वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में दरगाह शरीफ, कतर्निया घाट सैन्च्युरी, बघेला तालाब इत्यादि पर्यटन क्षेत्र का एक भाग है, इसको और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

श्रावस्ती

1	क्षेत्रफल–192887(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 192887	1068
	नगरीय–	हेक्टेयर	50
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		20.83
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत(वर्ष 2011)		83.25
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		122.42
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		73.23
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		68.33
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		84.02
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		159.8
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		4.5
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम–44.66 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 30.19 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 18.21 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक–6.94 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		99.43
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		34353
13	एक जिला एक उत्पाद		जनजातीय शिल्प(ट्राइबल क्राफ्ट)

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 3945.13 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 1603.77 करोड़ (40.65 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 396.99 करोड़ (10.06 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 1944.37 करोड़ (49.29 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 38153 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1214.24 करोड़ है, जिसमे लगभग 75 प्रतिशत अंश में क्रमशःधान 32 प्रतिशत गेहूँ 28 प्रतिशत, गन्ना 10 प्रतिशत, मसूर 05 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 149.76 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः88 प्रतिशत, 09 प्रतिशत एवं 01 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 396.99 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 163.77 करोड़ (4.15 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 185.10 करोड़ (4.69

प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 48.12 करोड़ (1.22 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1944.37 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 425.61 करोड़ (10.79 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 183.69 करोड़ (4.66 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 195.92 करोड़(4.97 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 902.89 करोड़ (22.89 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 26.32 करोड़ (0.67 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0209.93 करोड़ (5.32 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ, धान एवं गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा) तिलहनी (सरसों) सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी)फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैश मल्चिंग का प्रयोग्यकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति ,जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद ट्रायबल क्राफ्ट तथा शुगरकेन,एग्रोवेस्ड उद्योग, राइस मिल, फलोर मिल, आयल मिल, कोल्डस्टोरेज, केटलफीड का विकास एवं प्रोत्साहन।

➢ गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्यमें लाना।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, ,नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्यबिजली बनाने हेतु

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 1116009 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 155740 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः31वें व 04वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित ईको टूरिज्म–सुहेलवा सैन्च्युरी, हेरिटेज टूरिज्म को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

बलरामपुर

1	क्षेत्रफल–324697(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 324697	1982
	नगरीय–	हेक्टेयर 0	166
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		21.4
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		79.26
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		216.24
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		144.62
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		98.64
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		167.22
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		166.9
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		17.8
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 47.53 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –24.28 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 15.50 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक–7.94 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		93.33
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		58796
13	एक जिला एक उत्पाद		खाद्य प्रसंस्करण (दाल)

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 8029.44 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 3374.19 करोड़ (42.02 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 801.84 करोड़ (9.99 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 3853.41 करोड़ (47.99प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 32305 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2458.55 करोड़ है, जिसमे लगभग 80 प्रतिशत अंश में क्रमशः गन्ना 32 प्रतिशत, धान 25 प्रतिशत, गेहूँ 18 प्रतिशत, आम व मसूर 05 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 333.26 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः85 प्रतिशत, 06 प्रतिशत एवं 2.3 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 801.84 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 185.12 करोड़ (2.31 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 569.17 करोड. (7.09 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 47.55 करोड़ (0.59 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3853.41 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 950.21 करोड़ (11.83 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 524.83 करोड़ (6.54 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 394.68 करोड़ (4.92 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 1333.93 करोड़ (16.61प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 123.13 करोड़ (1.53 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0 526.63 करोड़ (6.56 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ धान एवं गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा) तिलहनी (सरसों) सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैश मल्चिंग का प्रयोग्यकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति ,जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद खाद्य प्रंसस्करण (दाल) तथा शुगर केन एग्रोवेस्ड उद्योग, राइस मिल, फलोर मिल, आयल मिल, कोल्डस्टोरेज, केटलफीड का विकास एवं प्रोत्साहन।

➢ गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्यमें लाना।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्यबिजली बनाने हेतु

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों परछात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 424439 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 18033 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमश:54वें व 12वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित इकोटूरिज्म–सुहेलवा सैक्च्यूरी, हेरिटेज टूरिज्म–देवीपाटन (तुलसीपुर)को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

गोण्डा

1	क्षेत्रफल–400768(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 395535	3209
	नगरीय–	हेक्टेयर 5233	225
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		21.54
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		74.93
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		283.22
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		159.05
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		250.26
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		383.79
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		156.2
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		19.0
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम–57.45 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –21.30 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर–14.29 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक–6.97 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		84.87
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर(वर्ष 2015–16)		12347
13	एक जिला एक उत्पाद		खाद्य प्रसंस्करण (दाल)

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 14979.87 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 5450.16 करोड़ (36.38 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 1882.70 करोड़ (12.57 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 7647.02 करोड़ (51.05 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 38344 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3589.03 करोड़ है, जिसमे लगभग 75 प्रतिशत अंश में क्रमशःगन्ना 40 प्रतिशत, गेहूँ 18 प्रतिशत, धान 15 प्रतिशत एवं मक्का 02 प्रतिशत रहा है।
2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1124.14 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः85 प्रतिशत, 05 प्रतिशत एवं 0.3 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1882.70 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 530.27 करोड़ (3.54 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 1123.10 करोड़ (7.50 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0229.33 करोड़ (1.53 प्रतिशत) का योगदान है।
4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 7647.02 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1580.67 करोड़ (10.55 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1099.94 करोड़ (7.34 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 638.87 करोड़ (4.26 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 1890.01 करोड़ (12.62 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 1270.34 करोड़ (8.48 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0 1167.19 करोड़ (7.79 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

गेहूँ, गन्ना एवं धान उत्पादन में प्रदेश में प्रमुख स्थान रखता है। इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा) तिलहनी (सरसों) सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी)फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैश मल्चिंग का प्रयोग्यकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति ,जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद दाल प्रसंस्करण तथासब्सिडी फर्म, डीजल लोकोमोटिव शेड आफ इंडियन, रेलवेज को सप्लाई करने वाले उद्योगों का विकास एवं प्रोत्साहन।

➢ गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्यमें लाना।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्यबिजली बनाने हेतु।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 216263 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः60वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित सूकर क्षेत्र, ईको टूरिज्म, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, सुहेलवा सैक्च्यूरी को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

सिद्धार्थनगर

1	क्षेत्रफल–297814(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 294162	2397
	नगरीय–	हेक्टेयर 3652	161
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		17.50
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		76.07
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		228.08
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		155.97
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		179.65
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		206.25
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		168.4
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		1.9
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 48.46 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –28.92 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 15.31 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक–7.30 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		92.85
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		3708
13	एक जिला एक उत्पाद		खाद्य प्रसंस्करण (काला नमक)

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 11607.06करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 4626.75 करोड़ (39.86 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 1447.60 करोड़ (12.47 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 5532.71 करोड़ (47.67प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 40018 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2591.88 करोड़ है, जिसमे लगभग 80 प्रतिशत अंश में क्रमशःधान 42 प्रतिशत एवं गेहूँ 38प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1367.47 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः90 प्रतिशत, 07 प्रतिशत एवं 0.6 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1447.60 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 1066.63 करोड़ (9.19 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 266.77 करोड

(2.30 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 114.19 करोड़ (0.98 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 5532.71 करोड़ अनुमानित किया गया है जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू01179.57 करोड़ (10.16 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 603.78 करोड़ (5.20 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 420.24 करोड़ (3.62 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 1556.75 करोड़ (13.41 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 972.17 करोड़ (8.38 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0 800.23 करोड़ (6.89 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

यह जनपद धान के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है तथा धान एवं गेहूँ उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- खेत को छुटटा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इती इत्यादि) का समाधान ।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद काला नमक चावल(जी0आई0 टैग),राइस मिल व उपउत्पाद, एग्रोवेस्ड उद्योग का विकास एवं प्रोत्साहन।
- गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्यमें लाना।
- धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्यबिजली बनाने हेतु।
- गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 1379982 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 2814 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमश:22वें व 24वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित कपिलवस्तु को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

बस्ती

1	क्षेत्रफल–277039(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 275377	2326
	नगरीय–	हेक्टेयर 1662	138
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		18.00
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत(वर्ष 2011)		70.53
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		198.60
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		111.07
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		186.56
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		293.84
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		155.9
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		14.2
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 57.47 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 22.08 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 14.60 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक– 5.85 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		92.43
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		4365
13	एक जिला एक उत्पाद		काष्ठ शिल्प (वुड क्राफ्ट)

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 12370.11करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 3528.21 करोड़ (28. 52प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 1389.84 करोड़ (11.24 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 7452.06 करोड़ (60.24प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 45424 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2515.06 करोड़ है, जिसमे लगभग 80 प्रतिशत अंश में क्रमशःगन्ना 28 प्रतिशत, गेहूँ 24 प्रतिशत, धान 23 प्रतिशत एवं आम 05 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 639.41 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः78 प्रतिशत, 10 प्रतिशत एवं 0.7 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1389.84 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 790.86 करोड़ (6.39 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 397.43 करोड (3.21

प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 201.55 करोड़ (1.63 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 7452.06 करोड़ अनुमानित किया गया है जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 929.71 करोड़ (7.52 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 992.04 करोड़ (8.02 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 465.67 करोड़ (3.76 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 3214.01 करोड़ (25.98प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 900.49 करोड़ (7.28 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0 950.14 करोड़ (7.68 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

यह जनपद गन्ना, गेहूँ एवं धान उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा) तिलहनी (सरसों) सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैश मल्चिग का प्रयोग्यकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति ,जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद वुड क्राफ्ट तथा कैटल फीड, गुड खण्डसारी उत्पाद, राइस मिल राइस ब्रान आयल, फ्लोर मिल का विकास एवं प्रोत्साहन।

➢ गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्यमें लाना।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्यबिजली बनाने हेतु।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, ,नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 618562 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 68 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः 47वें व 57वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित मखौडा धाम तथा सुहेलवा सैन्च्युरी, हेरिटेज टूरिज्म को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

सन्त कबीर नगर

1	क्षेत्रफल–174810(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 172488	1587
	नगरीय–	हेक्टेयर 2322	120
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		15.5
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		66.45
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		114.72
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		69.75
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		98.94
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		106.05
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		160.8
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		4.2
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 56.53 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 21.96 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 14.85 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक– 6.67 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		87.79
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		4359
13	एक जिला एक उत्पाद		पीतल के बर्तन

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 6829.53 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 3147.45 करोड़ (46.09 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 518.32 करोड़ (7.59 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 3163.75करोड़ (46. 32 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 36507 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1445.59 करोड़ है, जिसमे लगभग 70 प्रतिशत अंश में अंशक्रमशःगेहूँ 30 प्रतिशत, धान 28 प्रतिशत एवं आम 12 प्रतिशतरहा है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1446.91 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः97 प्रतिशत,04 प्रतिशत एवं 0.6 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 518.32 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 204.46 करोड़ (2.99 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 244.04 करोड़(3.57

प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 69.83 करोड़ (1.02 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3163.75 करोड़ अनुमानित किया गया है जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 806.32 करोड़ (11.81 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 401.08 करोड़ (5.87 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 340.73 करोड़ (4.99 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 1089.02 करोड़ (15.95 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 22.92 करोड़ (0.34 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0 503.67 करोड़ (7.37 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

यह जनपद गेहूँ, धान एवं आम उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद,कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- खेत को छुटटा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद ब्रास बेयर क्राफ्ट तथा ब्रास बेयर क्लसटर आफ बखिरा बाजार (थाली, लोटा, ग्लास, परात, बाउल, कल्छी, कलश) खण्डसारी, रेडीमेड गारमेण्ट, एग्रोवेस्ड एवं पावरलूम का विकास एवं प्रोत्साहन।
- यहां आम भी एक प्रमुख फसल है। इसकी प्रोसेसिंग (मैंगों जूस, पल्प, कैंडी, स्क्वैश,अमावट, अचार, मुरब्बा, जैम, पना इत्यादि) तथा इनके निर्यात को प्रोत्साहन।
- गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्यमें लाना।
- गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, ,नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्यबिजली बनाने हेतु

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 905573 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 88 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः39वें व 55वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में मगहर तथा बखीरा सैंक्युचरी को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

महाराजगंज

1	क्षेत्रफल–290548(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 290442	2539
	नगरीय–	हेक्टेयर 106	146
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		16.4
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		69.73
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		199.26
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		170.00
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		170.69
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		182.14
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		185.3
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		5.9
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 56.30 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 21.31 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 14.91 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक– 7.48 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		96.20
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		50266
13	एक जिला एक उत्पाद		फर्नीचर

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 12001.58 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 3734.04 करोड़ (31.11 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 1369.34 करोड़ (11.41 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 6898.20 करोड़(57.48प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 39176 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3124.99करोड़ है, जिसमे लगभग 70 प्रतिशत अंश में क्रमशःधान 30 प्रतिशत, गेहूँ 28, गन्ना 10 एवं आम 02 प्रतिशतरहा है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 274.62 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः96 प्रतिशत, 13 प्रतिशत एवं 04 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1369.34 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 865.13 करोड़ (7.21 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 429.97 करोड़

(3.58 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 74.24 करोड़ (0.62 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 6898.20 करोड़ अनुमानित किया गया है जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1007.63 करोड़ (8.40 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 715.34 करोड़ (5.96 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 437.27 करोड़ (3.64 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 2993.80 करोड़ (24.95 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 1076.47 करोड़ (8.97 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0 667.68 करोड़ (5.56 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

यह जनपद धान, गेहूँ एवं गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा) तिलहनी (सरसों) सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी)फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैश मल्चिग का प्रयोग्यकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति ,जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद फर्नीचर तथा एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री (राइस मिल, फ्लोर मिल, ऑयल मिल), खाद्य संरक्षण का विकास एवं प्रोत्साहन।

➢ गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्यमें लाना।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्यबिजली बनाने हेतु।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 57785 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 61326 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः65वें व 08वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में सोनौली तथा सुहागीबरवा सैंच्यूरी को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

गोरखपुर

1	क्षेत्रफल–335217(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 327808	3605
	नगरीय–	हेक्टेयर 7409	836
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		16.81
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		45.33
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		238.09
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		164.05
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		205.23
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		270.77
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		168.9
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		3.2
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 55.14 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 23.72 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 15.55 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक– 5.59 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		87.31
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		5842
13	एक जिला एक उत्पाद		मिट्टी के बर्तन (टेराकोटा)

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 25306.23 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 5399.13 करोड़ (21.34 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 4503.79 करोड़ (17.80 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 15403.31 करोड़ (60.87प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 51666 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 4057.72 करोड़ है, जिसमे लगभग 80 प्रतिशत अंश में क्रमशःकेला 35 प्रतिशत, गेहूँ 25 प्रतिशत एवं धान 20 प्रतिशत रहा है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 477.72 करोड़ है,जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः62 प्रतिशत,12 प्रतिशत एवं 05 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 4503.79 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 2058.70 करोड़ (8.14 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 1866.57 करोड़

(7.45 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 558.52 करोड़ (2.21 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 15403.31 तृतीयक करोड़ अनुमानित किया गया है जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1737.87 करोड़ (6.87 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 2612.32 करोड़ (10.32 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 1147.13 करोड़ (4.53 प्रतिशत) स्थावर, सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 4824.44 करोड़ (19.06 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 2974.34 करोड़ (11.75 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0 2106.83 करोड़ (8.33 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

यह जनपद केला, गेहूँ एवं धान उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद टेराकोटा तथा मुख्य निर्यात होने वाले शुगर, टेक्सटाइल, सर्जिकल प्रोडक्सन, स्टेशनरी, ज्वेलरी, पॉटरी, फुड, गारमेण्ट, लेदर (चौरी चौरा), पावरलूम क्लस्टर का विकास एवं प्रोत्साहन।
- केले के रेशे एवं केले से बने प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, जैम,सॉस, ड्रिक, फिग इत्यादि उद्योगों का विकास एवं प्रोत्साहन।
- गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्यमें लाना।
- धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्यबिजली बनाने हेतु।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ एक प्रमुख पर्यटक केन्द्र होने के कारण यहाँ विकास को असीम सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 3009033 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 42010 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः13वें व 09वें स्थान पर है।

➢ गोरखपुर, रामगढताल, गोरखनाथ मंदिर को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

कुशीनगर

1	क्षेत्रफल–291469(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 289748	3206
	नगरीय–	हेक्टेयर 1721	359
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		14.7
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		67.50
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल–हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		216.81
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		123.30
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		189.26
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		299.73
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		156.9
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		24.0
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 61.99 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 19.48 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 12.20 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक– 6.33 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		95.06
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		817
13	एक जिला एक उत्पाद		केले के रेशे से बने उत्पाद

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 16308.33 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 6360.13 करोड़ (39.00 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 2163.25 करोड़ (13.26 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 7784.95 करोड़(47.74प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 40537 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 4685.37 करोड़ है,जिसमे लगभग 85 प्रतिशत अंश में क्रमशःगन्ना 33 प्रतिशत, केला 26 प्रतिशत, धान 13 प्रतिशत एवं गेहूँ 13 प्रतिशत है।
2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1014.12 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः77 प्रतिशत, 08 प्रतिशत एवं 01 प्रतिशत है।
3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2163.25 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 1120.60 करोड़ (6.87 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 786.79 करोड़

(4.82 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 255.86 करोड़ (1.57 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 7784.95 करोड़ अनुमानित किया गया है जिसमें व्यापार, मरम्मत होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1732.56 करोड़ (10.62 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1069.38 करोड़ (6.56 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 567.89 करोड़ (3.48 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 2550.96 करोड़ (15.64 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 876.66 करोड़ (5.38 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0 987.51 करोड़ (6.06 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

यह जनपद गन्ना, केला, धान एवं गेहूँ उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा) तिलहनी (सरसों) सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैश मल्चिंग का प्रयोग्यकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति ,जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद केले के रेशे से बने उत्पाद तथा गन्ना उपउत्पाद आधारित उद्योग, शुगर एण्ड बाई प्रोडेक्ट ऑफ केन शुगर, एग्रोबेस्ड इण्डस्ट्री का विकास एवं प्रोत्साहन।

➢ गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्यमें लाना।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्यबिजली बनाने हेतु

➢ बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ एक प्रमुख पर्यटक केन्द्र होने के कारण यहाँ विकास को असीम सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ इन पर्यटन स्थलों के भ्रमण हेतुउचित दर पर, पंजीकृत व्हीकल व गाइड की व्यवस्था ।

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 1006764 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 89693 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमश:34वें व 06वें स्थान पर है।

➢ परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

देवरिया

1	क्षेत्रफल–249376(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 237316	2784
	नगरीय–	हेक्टेयर 12060	317
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		14.7
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		51.96
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		196.53
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		132.73
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		116.52
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		303.15
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		167.5
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		4.0
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 56.30 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 22.55 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 15.36 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक–5.78 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		91.81
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर(वर्ष 2015–16)		264
13	एक जिला एक उत्पाद		सजावटी उत्पाद

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 12912.84करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 3364.25 करोड़ (26.05 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 1024.70 करोड़ (7.94 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 8523.89 करोड़ (66.01प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 38569 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1815.20 करोड़ है, जिसमे लगभग 78 प्रतिशत अंश में क्रमशःगेहूँ 39 प्रतिशत धान 28 प्रतिशत, गन्ना 8 प्रतिशत, एवं आम 3 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1327.05 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः82 प्रतिशत, 6 प्रतिशत एवं 0.8 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1024.70 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 338.11 करोड़ (2.62 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 452.74 करोड़

(3.51 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 233.85 करोड़ (1.81 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 8523.89 करोड़ अनुमानित किया गया है जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 924.48 करोड़ (7.16 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1218.52 करोड़ (9.44 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 616.16 करोड़(4.77 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 2870.89 करोड़ (22.23 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 2201.18 करोड़ (17. 05 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0 692.67 करोड़ (5.36 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

यह जनपद धान, गेहूँ एवं गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा) तिलहनी (सरसों), सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी) फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैश मल्चिंग का प्रयोग्यकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति ,जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्रमें एक जिला एक उत्पाद सजावटी उत्पाद तथा राइस मिल, दाल मिल, हैण्डीक्राफ्ट, जरी जरदोजी आधारित उद्योग का विकास एवं प्रोत्साहन।

➢ गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्यमें लाना।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्यबिजली बनाने हेतु।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 69630 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 23 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः64वें व 60वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित देवरहवा बाबा से सम्बन्धित स्थान को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

आज़मगढ़

1	क्षेत्रफल–424058(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 421520	4219
	नगरीय–	हेक्टेयर 2538	393
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		17.00
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		59.26
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		286.28
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		219.37
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		277.80
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		486.83
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		176.6
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		5.3
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 54.37 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 22.37 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 16.58 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक– 6.68 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		83.56
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर(वर्ष 2015–16)		568
13	एक जिला एक उत्पाद		काली मिट्टी की कलाकृतियॉ

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 19353.30 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 6181.74 करोड़ (31.94 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 1976.88 करोड़ (10.21 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 11194.68 करोड़ (57.84 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 38765 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3229.32 करोड़ है, जिसमे लगभग 75 प्रतिशत अंश में क्रमशःगेहूँ 36 प्रतिशत, धान 31 प्रतिशत एवं गन्ना 8 प्रतिशत रहा है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2434.66 करोड़ है,जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः83 प्रतिशत, 5 प्रतिशत एवं 0.6 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1976.88 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 1471.58 करोड़ (7.60 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 264.63 करोड़

(1.37 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 240.67 करोड़ (1.24 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 11194.68 करोड़ अनुमानित किया गया है जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1554.70 करोड़ (8.03 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 2037.63 करोड़ (10.53 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 883.06 करोड़ (4.56 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 2950.60 करोड़ (15.25 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 2110.82 करोड़ (10.91 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0 1657.85 करोड़ (8.57 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

यह जनपद धान, गेहूँ, गन्ना एवं आलू उत्पादन में प्रदेश में प्रमुख स्थान रखता है। इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा) तिलहनी (सरसों) सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी)फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैश मल्चिग का प्रयोग्यकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति ,जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानों में प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- खेत को छुटटा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद काली मिटटी की कलाकृतिर्या तथा एग्रोवेस्ड, रेडीमेड गारमेण्ट, बनारसी साडी (हैण्ड लूम, पावरलूम) मुबारकपुर ब्लैक पॉटरी निजामाबाद, फूड एण्ड एलायड प्रोडेक्ट, जूट रोप यार्न एण्ड वैक्स, का विकास एवं प्रोत्साहन।

➢ कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनानेहेतु प्रोत्साहन।

➢ बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।

➢ गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्यमें लाना।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्यबिजली बनाने हेतु ।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 1192335 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 122 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः29वें व 52वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित दुर्वाषा ऋषि आश्रम, भैरव देव स्थल तथा क्राफ्ट/हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाइल्स सर्किट को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

मऊ

1	क्षेत्रफल–171624(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–167330	हेक्टेयर	1703
	नगरीय–4294	हेक्टेयर	499
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत(वर्ष 2011)		18.0
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत(वर्ष 2011)		42.54
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		120.68
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		77.81
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		116.56
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		192.18
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		164.5
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		4.0
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 60.45 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 20.23 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 18.75 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक– 5.69 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		82.91
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर(वर्ष 2015–16)		560
13	एक जिला एक उत्पाद		वस्त्र उत्पाद

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 10617.97 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 1879.23 करोड़ (17.70 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 2578.92 करोड़ (24.29 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 6159.83 करोड़ (58.01प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 43041 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1146.25 करोड़ है, जिसमे लगभग 75 प्रतिशत अंश में क्रमशःगेहूँ 38 प्रतिशत, धान 29 प्रतिशत, एवं गन्ना 8 प्रतिशत रहा है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 540.43 करोड़ है,जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः79 प्रतिशत, 10 प्रतिशत एवं 01 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2578.92 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 1174.76 करोड़ (11.06 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 426.97 करोड़ (3.49 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 185.99 करोड़ (1.52 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 7359.34 तृतीयक करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1002.98 करोड़ (8.19 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1137.77 करोड़ (9.30 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 448.63 करोड़ (4.23 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 1784.18 करोड़ (16.80 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 856.43 करोड़ (8.07 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0 889.78 करोड़ (8.38 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

यह जनपद गेहूँ, धान एवं गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा) तिलहनी (सरसों) सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी)फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैश मल्चिग का प्रयोग्यकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति ,जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद वस्त्र उद्योग तथा क्लाथ मेकिंग पावर लूम, साडी, धोती, लूंगी उद्योग का विकास एवं प्रोत्साहन।
- गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्यमें लाना।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, ,नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्यबिजली बनाने हेतु

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 2390298 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 1608 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः17वें व 29वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित देवल ऋषि आश्रम को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

बलिया

1	क्षेत्रफल–299265(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–294108	हेक्टेयर	2936
	नगरीय–5157	हेक्टेयर	304
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		17.6
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		55.33
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		208.86
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		145.71
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		178.30
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		285.95
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		169.8
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		5.6
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 46.94 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 21.51 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 18.46 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक– 13.10 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		86.03
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		81
13	एक जिला एक उत्पाद		बिन्दी

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 12239.06 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 3735.96 करोड़ (30.52 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 1143.76 करोड़ (9.35 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 7359.34 करोड़ (60.13प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 34515 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2458.19 करोड़ है, जिसमे लगभग 70 प्रतिशत अंश में क्रमशःगेहूँ 31 प्रतिशत, धान 25 प्रतिशत, आय 6 प्रतिशत, मसूर 4 प्रतिशत, आलू 4 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 831.00 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः79 प्रतिशत, 08 प्रतिशत एवं 0.6 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1143.76 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 530.80 करोड़ (4.34 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू 426.97 करोड (3.49 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 185.99 करोड़ (1.52 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 7359.34 करोड़ अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1002.98 करोड़ (8.19 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1137.77 करोड़ (9.30 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 613.32 करोड़ (5.01 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 2192.94 करोड़ (17.92 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 784.93 करोड़ (6.41प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0 1627.41 करोड़ (13.304 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

यह जनपद गेहूँ, धान, आलू एवं आम उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद बिन्दी तथा एग्रो प्रोसेसिंग उद्योगों का विकास एवं प्रोत्साहन।
- कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनाने हेतु प्रोत्साहन।
- बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।

➢ यहां आम भी एक प्रमुख फसल है। इसकी प्रोसेसिंग (मैंगों जूस, पल्प, कैंडी, स्क्वैश,अमावट, अचार, मुरब्बा, जैम, पना इत्यादि) तथा इनके निर्यात को प्रोत्साहन।

➢ गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्यमें लाना।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्यबिजली बनाने हेतु।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, ,नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 1506413 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः21वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित सुरहा ताल, को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

जौनपुर

1	क्षेत्रफल–399713(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 396882	4148
	नगरीय–	हेक्टेयर 2831	347
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		19.95
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत(वर्ष 2011)		65.83
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		276.38
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		193.30
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		241.04
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		381.01
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		169.9
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		5.0
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 58.89 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 23.04 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 14.04 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक–4.03 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		80.42
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		429
13	एक जिला एक उत्पाद		ऊनी दरी

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 16238.91 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 4158.42 करोड़ (25.61 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 2326.02 करोड़ (14.32 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 9754.47 करोड़ (60.07 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 33407 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2919.91 करोड़ है, जिसमे लगभग 70 प्रतिशत अंश में क्रमशःगेहूँ 37 प्रतिशत, धान 23 प्रतिशत, आलू 6 प्रतिशत, गन्ना 4 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1016.20 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः82 प्रतिशत, 7 प्रतिशत एवं 0.9 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2326.02 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 1110.85 करोड़ (6.64 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 872.86 करोड़

(5.38 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 342.31 करोड़ (2.11 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 9754.47 करोड़ अनुमानित किया गया है जिसमें व्यापार, मरम्मत होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1217.85 करोड़ (7.50 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1516.05 करोड़ (9.34 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 948.37 करोड़ (5.84 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 3410.00 करोड़ (21.00 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 1183.00 करोड़ (7.28 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0 1479.19 करोड़ (9.11 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

यह जनपद गेहूँ, धान,गन्ना एवं आलू उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा) तिलहनी (सरसों) सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी)फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैश मल्चिग का प्रयोग्यकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति ,जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद वूलेन दरी तथा कारपेट, फूडवेस्ड उद्योगों का विकास एवं प्रोत्साहन।

➢ कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनाने हेतु प्रोत्साहन।

➢ बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।

➢ गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्यमें लाना।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्यबिजली बनाने हेतु।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ एक प्रमुख पर्यटक केन्द्र होने के कारण यहाँ विकास को असीम सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ इन पर्यटन स्थलों के भ्रमण हेतुउचित दर पर, पंजीकृत व्हीकल व गाइड की व्यवस्था ।

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 709422 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 13915 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमश:44वें व 17वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित त्रलोचन महादेव मंदिर, रामजानकी मंदिर, शाही पुल,शाही किला, अटाला मस्जिद तथा शीतला चौकिया धाम को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

गाज़ीपुर

1	क्षेत्रफल–333214(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 329325	3346
	नगरीय–	हेक्टेयर 3889	274
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत(वर्ष 2011)		21.2
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		64.48
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		259.78
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		150.33
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		229.61
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		359.92
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		157.9
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		3.6
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 49.69 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 22.68 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर–16.99 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक– 10.64 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		91.31
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		121
13	एक जिला एक उत्पाद		जूट वॉल हैंगिंग्स

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 14849.28 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 4033.66 करोड़ (27.16 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 1409.42 करोड़ (9.49 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 9406.21 करोड़ (63.34प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आयरू0 36730 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2546.43 करोड़ है,जिसमे लगभग 70 प्रतिशत अंश में क्रमशःगेहूँ 30 प्रतिशत, धान 28 प्रतिशत, आम 5 प्रतिशत, आलू 4 प्रतिशत, गन्ना 3 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1142.27 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः77 प्रतिशत, 07 प्रतिशत एवं 0.7 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1409.42 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 476.62 करोड़ (3.21 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 575.38 करोड़(3.

87 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 357.41 करोड़ (2.41 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 9406.21 करोड़ अनुमानित किया गया है जिसमें व्यापार, मरम्मत ,होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1110.98 करोड़ (7.48 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1545.74 करोड़ (10.41 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 763.81 करोड़ (5.14 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 2808.64 करोड़ (18.91 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 1773.22 करोड़ (11.94 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0 1403.82 करोड़ (9.45 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

यह जनपद धान, गेहूँ एवं आम उत्पादन में प्रदेश में प्रमुख स्थान रखता है। इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा) तिलहनी (सरसों) सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी)फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।
- गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैश मल्चिग का प्रयोग्यकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति ,जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद जूटवाल हैंग्गिस तथा एल्क्लाइ इंण्डस्ट्रीस, गुलाब जल उद्योग, ओपियम आधारित उद्योग (एशिया की सबसे बडी कम्पनी), अफीम पाउडर, अफीम केक उद्योगों का विकास एवं प्रोत्साहन।

➢ यहां आम भी एक प्रमुख फसल है। इसकी प्रोसेसिंग (मैंगों जूस, पल्प, कैंडी, स्क्वैश,अमावट, अचार, मुरब्बा, जैम, पना इत्यादि) तथा इनके निर्यात को प्रोत्साहन।

➢ गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्यमें लाना।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्यबिजली बनाने हेतु।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

➢ एक प्रमुख पर्यटक केन्द्र होने के कारण यहाँ विकास को असीम सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ इन पर्यटन स्थलों के भ्रमण हेतु उचित दर पर, पंजीकृत व्हीकल व गाइड की व्यवस्था ।

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 709388 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 60 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः45वें व 58वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में गहमर, कामाख्या धाम, देवकली, शिव मंदिर, जमदग्नि ऋषि आश्रम को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

चन्दौली

1	क्षेत्रफल–253374(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–251219	हेक्टेयर	1715
	नगरीय–2155	हेक्टेयर	243
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत(वर्ष 2011)		17.51
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत(वर्ष 2011)		50.86
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		128.23
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		106.05
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		117.49
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		216.19
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		182.7
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		1.0
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 50.88 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 18.83 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर–17.28 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक– 13.02 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		93.27
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर(वर्ष 2015–16)		77400
13	एक जिला एक उत्पाद		ज़री–ज़रदोजी

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 8631.78 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 2696.33 करोड़ (31.24 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 1523.97 करोड़ (17.66 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 4411.48 करोड़ (51.11प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 39982 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1893.64 करोड़ है, जिसमे लगभग 80 प्रतिशत अंश में क्रमशःधान 45 प्रतिशत, गेहूँ 32 प्रतिशत एवं मसूर 3 प्रतिशत रहा है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 592.90 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः76 प्रतिशत, 6 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1523.97 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 247.96 करोड़ (2.87 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 1085.00 करोड़

(12.57 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 191.01 करोड़ (2.21 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 4411.48 करोड़ अनुमानित किया गया है जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 903.08 करोड़ (10.46 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1179.66 करोड़ (13.67 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 462.83 करोड़ (5.36 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 1314.53 करोड़ (15.23 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 97.67 करोड़ (1.13 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0 453.71 करोड़ (5.26 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

धान एवं गेहूँ के उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- खेत को छुटटा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद जरी जरदोजी तथा हैण्डीक्राफ्ट, खादी एण्ड हैण्डलूम उद्योगों का विकास एवं प्रोत्साहन।
- गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्यमें लाना।
- गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्यबिजली बनाने हेतु
- ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 660820 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 1007 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः46वें व 33वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित राजदरी–देवदरी जल प्रपात, चन्द्रप्रभा वन्य जीव विहार, वाल्मिकी आश्रम लतीफशाह दरगाह तथा ईको पर्यटन चन्द्रप्रभा वाइल्डलाइफ सैन्चुअरी को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

वाराणसी

1	क्षेत्रफल–152678(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	145241हेक्टेयर	2080
	नगरीय–	7437हेक्टेयर	1595
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		25.04
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत(वर्ष 2011)		27.17
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		100.94
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		63.76
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		90.33
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		138.50
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		163.2
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		5.3
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 75.88 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 16.26प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 6.10 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक–1.76प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		78.64
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		54
13	एक जिला एक उत्पाद		रेशम उत्पाद

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 23323.33 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 2883.55 करोड़ (12.36 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 6289.89 करोड़ (26.97 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 14149.88 करोड़ (60.67 प्रतिशत) का योगदान करता है।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 58352 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 953.71करोड़ है, जिसमे लगभग 62 प्रतिशत अंश में क्रमशःगेंहूँ 29 प्रतिशत, धान 20 प्रतिशत, गन्ना 5 प्रतिशत, आलू 4 प्रतिशत एवं आम 4 प्रतिशत का रहा है।

2. पशुधन खण्ड का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1725.10 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मॉस एवं अण्डें का योगदान क्रमशः78 प्रतिशत, 05 प्रतिशत एवं 01 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पररू0 6289.89 करोड़ जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 3202.59 करेाड़ (13.37 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 2286.95 करेाड़ (9.81 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 800.36 करेाड़ (3.43 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 14149.88 करोड़, अनुमानित किया गया है, जिसमें व्यापार मरम्मत होटल व जलपान गृह खण्ड का 1252.80 करोड़ (5.37 प्रतिशत) परिवहन संग्रहण संचार खण्ड का 4182.13 करोड़ (17.93 प्रतिशत), वित्तीय सेवायें खण्ड का 1408.36 करोड़ (6.04 प्रतिशत), स्थावर संपदा, आवास गृह को स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवायें खण्ड का 3939.49 करोड़(16.89 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड का 1783.62 करोड़ (7.65 प्रतिशत) तथा अन्य सेवायें खण्ड का 1583.49 करोड़ (6.79 प्रतिशत) का योगदान रहा है।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

- एक प्रमुख पर्यटक केन्द्र होने के कारण यहाँ विकास को असीम सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- इन पर्यटन स्थलों के भ्रमण हेतु उचित दर पर, पंजीकृत व्हीकल व गाइड की व्यवस्था ।
- वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 6447775 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 350000 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमश:06वें व 03वें स्थान पर है।
- इस जनपद में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा, मानस, संकटमोचन, कालभैरव, दुर्गा मंदिर, दशाश्वमेध घाट एवं अन्य घाट, सारनाथ, धमेख स्तूप, रामनगर किला, भारत माता मंदिर पर्यटकों की संख्या प्रति वर्ष 50 लाख, धार्मिक पर्यटन सर्किट का भाग है। कछवा सैक्चुअरी को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

2–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य

- जनपद स्तर पर प्रतियोगी परीक्षा पाठ्यक्रम आधारित अन्य पुस्तकों से सुसज्जित सुविधा युक्त पुस्तकालय/वाचनालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- जनपद से कोटा (राजस्थान) मेडिकल व इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु बडी संख्या में छात्र जाते है। वैकल्पिक व्यवस्था (आनलाइन क्लासेज, व कोटा में स्थापित कोचिंग संस्थानोंसे बुलाये गये शिक्षकों द्वारा) विकसित करते हुये जनपद स्तर पर ही इसकी व्यवस्था करने की तरफ अग्रसर होना जिससे जनपद से जो बड़ी धन– राशि इन स्थानों पर प्रतिवर्ष जाती है जिसमें कमी करते हुये जनपद की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके।
- सरकारी सहायता या पी0पी0पी0 माडल पर साफ्ट लाइब्रेरी केन्द्रों की विकसित करना जिससे प्रमुख शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, शोध संस्थानोंसे सम्बन्धित छात्र ऑनलाइन जर्नल्स में प्रकाशित अधुनान्त शोध पत्रों के माध्यम से लाभान्वित हो सके।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

3. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ खाण्डसारी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद रेशम उत्पाद तथा बनारसी गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट, वुडेन टॉयज, मेटेल रिप्वायज क्राफ्ट, ग्लास बीड्स, सिल्क ब्रोकेड्स (जी0आई0 टैग युक्त) हैण्डलूम क्लस्टर, स्टोर कार्विंग, सिल्क बीडिंग, सिल्क फर्निशिंग एण्ड याक्र डाइंग क्लस्टर का विकास एवं प्रोत्साहन।

➢ यहां आम भी एक प्रमुख फसल है। इसकी प्रोसेसिंग (मैंगों जूस, पल्प, कैंडी, स्क्वैश,अमावट, अचार, मुरब्बा, जैम, पना इत्यादि) तथा इनके निर्यात को प्रोत्साहन।

➢ कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ) एवं कृषक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कृषकों एवं उद्यमियों को आलू के प्रसंस्कृत उत्पाद यथा चिप्स, आलू की भुजिया, पापड़, डिहाइड्रेटेड फ्रोजन फूड, वोदका, स्टार्च, पाउडर, लिक्विड ग्लूकोज इत्यादि बनाने हेतु प्रोत्साहन।

➢ बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।

➢ धान के पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्यमें लाना।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्यबिजली बनाने हेतु

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

4. कृषि के अपेक्षित कार्य–

यह जनपद गन्ना, आलू, धान एवं आम उत्पादन में प्रदेश में प्रमुख स्थान रखता है। इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ गन्ने की खेती से दोहरा लाभ लेने के लिये सह फसली खेती के रूप में गेहूँ, दलहनी (मटर, मसूर, उरद, मूंग, राजमा) तिलहनी (सरसों) सब्जी (तोरिया, लहसुन, मटर, खीरा, लौकी, प्याज) के अलावा औषधीय (एलोविरा, तुलसी, हल्दी)फसलों को सम्मिलित करते हुए एकीकृत खेती।

➢ गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के स्थान पर ट्रैश मल्चिग का प्रयोग्यकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति ,जल धारण क्षमता तथा पैदावार में वृद्वि।

➢ क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।

➢ खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।

- चीनी मिलों द्वारा भुगतान की नियमितता।
- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

❄❄❄❄

भदोही

1	क्षेत्रफल–103102(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 102133	1349
	नगरीय–	हेक्टेयर 969	229
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		18.18
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		36.01
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		68.52
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर(वर्ष 2017–18)		30.67
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		58.66
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		84.71
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		144.8
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		2.8
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम–60.96 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –20.59 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 13.19प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक– 5.26 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		86.73
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		76
13	एक जिला एक उत्पाद		कालीन

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 8420.13 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 1783.71 करोड़ (21.18 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 2586.74 करोड़ (30.72 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 4049.68 करोड़ (48.10 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 49343 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 785.52 करोड़ है, जिसमे लगभग 75 प्रतिशत अंश में क्रमशःगेहूँ 35 प्रतिशत, धान 25 प्रतिशत एवं आम 15 प्रतिशत रहा है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 813.39 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः69 प्रतिशत, 4 प्रतिशत एवं 0.5 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2586.74 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 613.92 करोड़ (7.29 प्रतिशत), विनिर्माण खण्ड रू0 1715.18 करोड़(20

प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 257.64 करोड़ (3.06 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 4049.68 करोड़ अनुमानित किया गया है जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 841.84 करोड़ (10.00 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 732.36 करोड़ (8.70 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 357.77 करोड़ (4.25 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 1308.95 करोड़ (15.55 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 305.96 करोड़ (3.63 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0 502.80 करोड़ (5.97 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. कृषि के अपेक्षित कार्य–

यह जनपद गेहूँ, धान एवं आम उत्पादन में प्रदेश में प्रमुख स्थान रखता है। इस क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- खेत को छुटटा (आवारा) व जंगली पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित कृषि सम्बन्धी शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि, प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।

2. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद कालीन तथा राइस फ्लोर, दाल मिल, तेल मिल, हस्त्र निर्मित जी0आई0 टैग युक्त कारपेट एवं दरी उद्योगों का विकास एवं प्रोत्साहन।
- यहां आम भी एक प्रमुख फसल है। इसकी प्रोसेसिंग (मैंगों जूस, पल्प, कैंडी, स्क्वैश,अमावट, अचार, मुरब्बा, जैम, पना इत्यादि) तथा इनके निर्यात को प्रोत्साहन।
- गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्यमें लाना।
- धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्यबिजली बनाने हेतु।
- गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, ,नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

- बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।
- ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।
- रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 41204 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 268 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः66वें व 44वें स्थान पर है।
- इस जनपद में स्थित क्राफ्ट/हैण्डलूम एण्ड टेक्सटाइलस– सर्किट को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

मीरजापुर

1	क्षेत्रफल–452508(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 449394	2149
	नगरीय–	हेक्टेयर 3114	348
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		21.51
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		54.65
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		208.94
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		91.79
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		150.97
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		199.38
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		143.9
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		4.7
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 32.92 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर – 23.68 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 19.17 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक– 24.23 प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		75.74
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर (वर्ष 2015–16)		109333
13	एक जिला एक उत्पाद		कालीन

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 14226.94 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 4098.04 करोड़ (28.80 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 2568.59 करोड़ (18.05 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 7560.31 करोड़ (53.14 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 52048 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 1901.22 करोड़ है, जिसमे लगभग 65 प्रतिशत अंश में क्रमशःधान 33 प्रतिशत, गेहूँ 26 प्रतिशत एवं चना 4 प्रतिशत, मसूर 2 प्रतिशत है।
2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 642.26 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः84 प्रतिशत, 7 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत है।
3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 2568.59 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 1268.22 करोड़ (8.91 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 1150.98 करोड़

(8.09 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 149.39 करोड़ (1.05 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 7560.31 करोड़ अनुमानित किया गया है जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 1125.67 करोड़ (7.91 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1544.22 करोड़ (10.85 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 530.97 करोड़ (3.73 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 1782.84 करोड़ (12.53 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 1663.94 करोड़ (11.70 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0 912.67 करोड़ (6.42 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद कालीन तथा ब्रास जर्मनफिलर यूटेन्सिल्स एण्ड डेकोरेटिव आइटम्स, प्लास्टर आफ पेरिस आइटम्स, स्टोन बेस्ड इंण्डस्ट्रीस, वूलेन दरी, सैण्डस्टोन, ब्लाक एण्ड स्लैब्स उद्योगों का विकास एवं प्रोत्साहन।

➢ गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्यमें लाना।

➢ गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, ,नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।

➢ धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्यबिजली बनाने हेतु।

➢ ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

2. कृषि के अपेक्षित कार्य–

धान, गेहूँ, चना एवं मसूर के उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

➢ प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, रकीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।

➢ कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।

➢ खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।

➢ क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा के खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी जैसे कोचिंग संस्थानों व रियायती दरों पर छात्रावासों (रहने व खाने की सुविधा युक्त) को जनपद स्तर पर सामर्थ्यनुसार व आवश्यकतानुसार विकसित करना।

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 1037244 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 724 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः33वें व 35वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में अष्टभुजा, कालीखोह, विन्ध्यांचल देवी मंदिर, चुनार किला, विन्डमफाल तथा कैमूर सैन्च्यूरी, को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

सोनभद्र

1	क्षेत्रफल–680961(हे0) कुल प्रतिवेदित (वर्ष 2015–16)		कुल जनसंख्या (हजार में)
	ग्रामीण–	हेक्टेयर 678505	1548
	नगरीय–	हेक्टेयर 2456	314
2	कुल जनंसख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (वर्ष 2011)		21.33
3	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (वर्ष 2011)		62.67
4	शुद्ध बोये गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		191.91
5	एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		62.67
6	शुद्ध सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		61.89
7	सकल सिचिंत क्षेत्रफल– हजार हेक्टेयर (वर्ष 2017–18)		71.81
8	फसलता सघनता–(वर्ष 2017–18)		132.7
9	सकल बोये गये क्षेत्रफल में वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का प्रतिशत–(वर्ष 2017–18)		6.6
10	विभिन्न कृषि आकार वर्गानुसार क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण–		
	1 हेक्टेयर से कम– 20.92 प्रतिशत		1 से 2 हेक्टेयर –20.73 प्रतिशत
	2 से 4 हेक्टेयर– 22.54 प्रतिशत,		4 हेक्टेयर से अधिक– 35.80प्रतिशत
11	शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि से प्रतिशत–(वर्ष 2014–15)		56.92
12	वन क्षेत्रफल– हेक्टेयर(वर्ष 2015–16)		325720
13	एक जिला एक उत्पाद		कालीन

प्रचलित भावों पर वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) के लिय जनपद का सकल मूल्य वर्धन (जी0वी0ए0) रू0 12712.98 करोड़ अनुमानित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र जिले की कुल आय में रू0 3683.49 करोड़ (28.97 प्रतिशत), माध्यमिक क्षेत्र रू0 3353.63 करोड़ (26.38 प्रतिशत) तथा तृतीयक क्षेत्र रू0 5675.85 करोड़ (44.65 प्रतिशत) का योगदान करता है ।

❖ प्रचलित भावों पर जनपद की प्रति व्यक्ति आय रू0 57925 (वर्ष 2018–19) आंकलित की गयी।

जनपद की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने वाले महत्वपूर्ण खण्डः–

1. फसल खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 897.99 करोड़ है, जिसमे लगभग 55 प्रतिशत अंश में क्रमशःगेहूँ 25 प्रतिशत, धान 23 प्रतिशत, चना 5 प्रतिशत, मसूर 2 प्रतिशत है।

2. पशुधन खण्ड में सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 46.43 करोड़ है, जिसमें मुख्यतः दूध, मांस एवं अंडे का योगदान क्रमशः82 प्रतिशत, 9 प्रतिशत एवं 1.6 प्रतिशत है।

3. माध्यमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 3353.63 करोड़ है। जनपद के सकल मूल्य वर्धन में निर्माण खण्ड रू0 476.48 करोड़ (3.75 प्रतिशत) विनिर्माण खण्ड रू0 2589.60 करोड़(20.

37 प्रतिशत), विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवायें रू0 287.55 करोड़ (2.26 प्रतिशत) का योगदान है।

4. तृतीयक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर रू0 5675.85 करोड़ अनुमानित किया गया है जिसमें व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह खण्ड का रू0 945.30 करोड़ (7.44 प्रतिशत), परिवहन, संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान रू0 1489.19 करोड़ (11.71 प्रतिशत), वित्तीय सेवाएं खण्ड का रू0 437.43 करोड़ (3.42 प्रतिशत), स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाओं खण्ड का रू0 1407.89 करोड़ (11.07 प्रतिशत), लोक प्रशासन और रक्षा खण्ड रू0 996.87 करोड़ (7.84 प्रतिशत) तथा अन्य सेवाऐं खण्ड रू0 402.17 करोड़ (3.16 प्रतिशत) का योगदान रहा।

जिला घरेलू उत्पाद (डी0डी0पी0) में सापेक्षिक वृद्धि हेतु जनपद स्तर पर किये जाने वाले प्रयासों के संदर्भ में कतिपय सुझाव–

1. MSME क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

- विनिर्माण क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।
- विनिर्माण क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद कालीन तथा एग्रो वेस्ड इण्डस्ट्रीस, फ्रूट प्रोसेसिंग, सिरामिक प्रोडक्ट, लाइम, सीमेण्ट जाली, मोजेक टाइल्स उद्योगों का विकास एवं प्रोत्साहन।
- गेहूँ एवं धान की पराली को जैविक खाद, बिजली बनाने हेतु उपयोग्यमें लाना, कप प्लेट बनवाने हेतु उपयोग्यमें लाना।
- धान के उप उत्पाद जैसे लावा, चिवड़ा, राइस ब्रान ऑयल, धान की भूसी का उपयोग्यबिजली बनाने हेतु।
- गेहूँ की फसल के उप उत्पाद आटा, मैदा (मैदे पर बेकरी, नमकीन आदि उद्योग निर्भर करता है) सूजी, दलिया सम्बन्धी उद्योगों को प्रोत्साहन।
- बैंकेबल प्रोजेक्ट के माध्यम से वित्त की व्यवस्था।
- ई–कामर्स के माध्यम से विक्रय।

2. कृषि के अपेक्षित कार्य–

धान, गेहूँ, चना एवं मसूर के उत्पादन के क्षेत्र में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है।

- प्रामाणिक व शोधित बीज व ससमय खाद, कीटनाशक व खरपतवारनाशी तथा सिंचाई की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
- कृषि उत्पाद की घोषित एम0एस0पी पर खरीद सुनिश्चित करवाना।
- खेतों को जंगली व छुट्टा पशुओं से सुरक्षा हेतु बाड़े की व्यवस्था ।
- क्षेत्र के किसानों का समय–समय पर प्रदेश में स्थित शोध संस्थानोंमें प्रशिक्षण व शोध संस्थाओं द्वारा के खेती से सम्बन्धी कृषकों की समस्याओं (उत्पादन की वृद्धि प्रमुख किस्म की बीज की उपलब्धता, निराई–गुड़ाई, खाद, सह फसली खेती इत्यादि) का समाधान ।

3–शिक्षा क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ रोजगारपरक शिक्षा, एजुकेशन लोन की उपलब्धता तथा जनपद में स्थित उद्योगों में कुशल मानव श्रम की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहन।

4–पर्यटन क्षेत्र के अपेक्षित कार्य–

➢ वर्ष 2019 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 952451 व विदेशी पर्यटकों की संख्या 1213 के आगमन की दृष्टि से यह जनपद उत्तर प्रदेश में क्रमशः38वें व 32वें स्थान पर है।

➢ इस जनपद में स्थित रिहन्द बांध, कैमूर वन्य जीव विहार को और अधिक सुविधा युक्त बनाते हुये आस–पास के पर्यटन क्षेत्रों का विकास।

❄❄❄❄

परिशिष्ट–1

सकल जिला घरेलू उत्पाद वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) अवरोही क्रम में

आधार वर्ष 2011–12 (करोड़ रू0)

क्र.सं.	जिला/सम्भाग	स्थायी भावो पर	प्रचलित भावों पर
1	2	3	4
1	गौतमबुद्ध नगर	115099.15	153262.92
2	लखनऊ	43753.61	62035.69
3	आगरा	40210.05	57175.42
4	प्रयागराज	37499.34	54128.69
5	मेरठ	37257.28	53097.86
6	कानपुर नगर	35907.13	52471.76
7	गाजियाबाद	34154.95	46191.15
8	बरेली	29647.58	44542.79
9	बुलन्दशहर	24143.54	36462.00
10	अलीगढ़	21290.92	32100.34
11	बिजनौर	21774.82	31630.10
12	सहारनपुर	21041.36	30992.22
13	मुरादाबाद	21685.33	30130.32
14	खीरी	19509.28	29556.40
15	गोरखपुर	18878.42	28619.82
16	मुजफ्फर नगर	18667.73	27454.55
17	सीतापुर	18464.97	27076.43
18	वाराणसी	18261.89	26377.28
19	बाराबंकी	17262.83	23989.62
20	बदायूँ	15056.20	23973.15
21	शाहजहाँपुर	14795.31	23500.93
22	अमरोहा	15814.51	22902.70
23	मथुरा	16037.47	22750.53
24	रामपुर	14533.34	22120.14
25	आज़मगढ़	13690.32	21887.41
26	उन्नाव	14084.42	21420.71
27	हरदोई	13577.58	20847.01
28	झाँसी	13302.42	19887.63
29	फतेहपुर	12406.60	18611.53
30	कुशीनगर	11666.35	18443.74
31	जौनपुर	11945.04	18365.23
32	पीलीभीत	11743.88	18108.67
33	फिरोजाबाद	11838.26	17928.49
34	गोण्डा	11283.22	16941.34
35	गाज़ीपुर	10957.51	16793.65
36	हाथरस	11492.75	16721.89
37	बहराइच	10457.47	16636.82
38	रायबरेली	10281.23	16164.14
39	मीरजापुर	11091.87	16089.81
40	अयोध्या	9991.53	15567.56
41	कन्नौज	10217.72	15354.57
42	हापुड	10529.09	15220.40

क्र.सं.	जिला/सम्भाग	स्थायी भावो पर	प्रचलित भावों पर
1	**2**	**3**	**4**
43	सम्भल	10100.15	14809.47
44	देवरिया	9310.20	14603.65
45	सोनभद्र	12220.74	14377.61
46	जालौन	9414.16	14291.70
47	सुल्तानपुर	9114.72	14286.66
48	एटा	8470.97	14244.54
49	बस्ती	8994.71	13989.84
50	बलिया	9012.97	13841.64
51	कानपुर देहात	9374.12	13728.96
52	महाराजगंज	8620.79	13573.06
53	प्रतापगढ़	8432.12	13349.44
54	मैनपुरी	7872.67	13222.21
55	सिद्धार्थनगर	7993.71	13126.88
56	इटावा	8285.11	12884.25
57	कासगंज	7561.39	12474.43
58	बांदा	9696.90	12372.26
59	अम्बेडकर नगर	7964.23	12113.69
60	बागपत	8372.40	12061.38
61	मऊ	7928.31	12008.29
62	फर्रुखाबाद	7410.61	11978.84
63	हमीरपुर	10341.95	11769.30
64	अमेठी	7790.29	11413.30
65	शामली	7360.70	10984.83
66	ललितपुर	6751.06	10399.10
67	चन्दौली	6489.60	9762.02
68	कौशाम्बी	6109.45	9548.77
69	भदोही	6293.86	9522.66
70	बलरामपुर	5943.50	9080.82
71	औरैया	5709.34	8999.72
72	महोबा	6268.63	8603.46
73	सन्त कबीर नगर	4562.06	7723.78
74	चित्रकूट	3599.25	5087.59
75	श्रावस्ती	2793.87	4461.70
A	**पश्चिम सम्भाग**	**588174.57**	**853280.78**
B	**पूर्वी सम्भाग**	**295297.71**	**446634.42**
C	**केंन्द्रीय सम्भाग**	**194622.15**	**285903.01**
D	**बुंदेलखण्ड सम्भाग**	**59374.36**	**82411.03**
	उत्तर प्रदेश	**1137468.79**	**1668229.24**
	भारत	**13981426.00**	**18971237.00**

नोटः– 1. उपर्युक्त अनुमान राज्य आय के वर्ष 2018–19 त्वरित अनुमान पर आधारित।
2. भारत के वर्ष 2018–19 के प्रथम संशोधित अनुमान सी0एस0ओ0 की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31.01.2020 पर आधारित।

निवल जिला घरेलू उत्पाद वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) अवरोही क्रम में

आधार वर्ष 2011–12 (करोड़ रू0)

क्र.सं.	जिला/सम्भाग	स्थायी भावो पर	प्रचलित भावों पर
1	2	3	4
1	गौतमबुद्ध नगर	101626.16	136855.23
2	लखनऊ	38168.82	55337.67
3	आगरा	34843.54	50020.18
4	प्रयागराज	32486.31	48019.42
5	मेरठ	32970.63	47937.71
6	कानपुर नगर	30648.50	46011.72
7	गाजियाबाद	30243.59	41447.60
8	बरेली	25915.57	39882.83
9	बुलन्दशहर	21578.85	33228.05
10	अलीगढ़	18844.47	28993.23
11	बिजनौर	19122.35	28360.20
12	सहारनपुर	18573.41	27906.96
13	मुरादाबाद	19056.68	26910.86
14	खीरी	17091.99	26507.19
15	गोरखपुर	16275.98	25300.74
16	मुजफ्फर नगर	16415.71	24674.41
17	सीतापुर	15931.87	23930.82
18	वाराणसी	15940.96	23556.83
19	बदायूँ	13240.85	21642.28
20	बाराबंकी	15120.84	21412.11
21	शाहजहाँपुर	12837.19	20914.58
22	अमरोहा	14099.36	20813.80
23	मथुरा	14192.40	20471.29
24	रामपुर	12861.63	19989.41
25	आज़मगढ़	11928.12	19633.11
26	उन्नाव	12359.18	19199.13
27	हरदोई	11728.39	18486.98
28	झाँसी	11483.90	17571.57
29	फतेहपुर	10844.36	16591.51
30	हाथरस	10801.12	16567.35
31	कुशीनगर	10168.41	16483.47
32	जौनपुर	10287.38	16243.44
33	पीलीभीत	10156.95	16069.34
34	फिरोजाबाद	10252.90	15731.02
35	गोण्डा	9835.33	15109.22
36	बहराइच	9179.00	14958.56
37	गाज़ीपुर	9388.31	14792.07
38	रायबरेली	8886.58	14394.85
39	मीरजापुर	9686.09	14348.32
40	अयोध्या	8602.68	13791.64
41	हापुड़	9359.86	13776.24
42	कन्नौज	8991.57	13771.98
43	सम्भल	8909.02	13327.42
44	एटा	7578.60	13176.77

क्र.सं.	जिला/सम्भाग	स्थायी भावो पर	प्रचलित भावों पर
1	2	3	4
45	देवरिया	7963.90	12890.15
46	सुल्तानपुर	7910.29	12748.88
47	जालौन	8224.55	12733.13
48	सोनभद्र	10705.97	12614.01
49	बस्ती	7742.13	12375.85
50	कानपुर देहात	8249.57	12298.84
51	बलिया	7805.65	12290.98
52	महाराजगंज	7434.91	12019.83
53	मैनपुरी	6885.78	11864.30
54	सिद्धार्थनगर	7021.52	11844.67
55	प्रतापगढ़	7259.49	11841.70
56	इटावा	7157.13	11425.95
57	कासगंज	6741.49	11373.48
58	बागपत	7500.25	10997.82
59	बांदा	8456.63	10883.31
60	अम्बेडकर नगर	6912.20	10756.87
61	फर्रुखाबाद	6436.37	10663.22
62	मऊ	6765.91	10548.68
63	हमीरपुर	9153.46	10442.89
64	अमेठी	6841.90	10201.35
65	शामली	6529.39	9943.06
66	ललितपुर	5884.53	9264.87
67	चन्दौली	5645.52	8665.86
68	कौशाम्बी	5387.35	8582.17
69	भदोही	5502.78	8519.17
70	बलरामपुर	5225.53	8137.37
71	औरैया	5025.61	8082.12
72	महोबा	5452.93	7572.16
73	सन्त कबीर नगर	4051.20	7035.74
74	चित्रकूट	3165.00	4550.96
75	श्रावस्ती	2444.37	3992.39
A	**पश्चिम सम्भाग**	**518748.46**	**766818.72**
B	**पूर्वी सम्भाग**	**256398.81**	**397301.75**
C	**केंन्द्रीय सम्भाग**	**169030.48**	**254171.55**
D	**बुंदेलखण्ड सम्भाग**	**51821.00**	**73018.90**
	उत्तर प्रदेश	**995998.75**	**1491310.92**
	भारत	**12219693.00**	**16789288.00**

नोटः– 1. उपर्युक्त अनुमान राज्य आय के वर्ष 2018–19 त्वरित अनुमान पर आधारित।

2. भारत के वर्ष 2018–19 के प्रथम संशोधित अनुमान सी0एस0ओ0 की प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31.01.2020 पर आधारित।

प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2018–19 (अनन्तिम) अवरोही क्रम में

आधार वर्ष 2011–12

क्र.सं.	जिला	स्थायी भावो पर (रू.)	प्रचलित भावों पर (रू.)
1	**2**	**3**	**4**
1	गौतमबुद्ध नगर	498427.08	671208.60
2	मेरठ	88494.72	128667.07
3	एटा	61315.02	106607.31
4	लखनऊ	71744.47	104016.09
5	आगरा	69617.71	99940.77
6	अमरोहा	67348.98	99422.09
7	हाथरस	62882.69	96452.96
8	कानपुर नगर	63946.67	96001.31
9	हमीरपुर	81556.45	93045.16
10	हापुड	63146.92	92942.30
11	गाजियाबाद	67273.68	92195.84
12	बुलन्दशहर	55109.31	84859.69
13	झाँसी	53234.19	81453.86
14	बागपत	54259.89	79562.72
15	बरेली	51156.22	78726.97
16	मुजफ्फर नगर	52111.71	78328.96
17	रामपुर	48805.05	75852.29
18	महोबा	54422.31	75572.98
19	कन्नौज	48763.89	74689.42
20	मुरादाबाद	52763.47	74509.87
21	कासगंज	42796.15	72200.89
22	सहारनपुर	48021.34	72153.15
23	शामली	47260.48	71969.01
24	प्रयागराज	48598.69	71835.83
25	मथुरा	48969.43	70634.11
26	बिजनौर	47153.90	69933.57
27	अलीगढ़	45081.99	69361.07
28	पीलीभीत	43772.02	69251.85
29	जालौन	44599.86	69048.87
30	ललितपुर	41781.16	65782.21
31	इटावा	40944.88	65366.14
32	कानपुर देहात	42450.61	63287.35
33	शाहजहाँपुर	38673.66	63007.82
34	फतेहपुर	38284.88	58574.59
35	अमेठी	39252.21	58525.54
36	वाराणसी	39486.65	58351.57
37	बाराबंकी	40965.08	58009.26
38	सोनभद्र	49163.17	57925.12
39	मैनपुरी	33590.06	57876.15
40	खीरी	36768.11	57021.99
41	उन्नाव	36697.88	57007.58
42	फिरोजाबाद	36317.60	55722.09
43	बांदा	42830.81	55121.35
44	औरैया	33229.61	53439.40

क्र.सं.	जिला	स्थायी भावो पर (रू.)	प्रचलित भावों पर (रू.)
1	**2**	**3**	**4**
45	सम्भल	35622.24	53288.98
46	बदायूँ	32170.32	52582.64
47	मीरजापुर	35135.76	52047.74
48	गोरखपुर	33236.82	51666.09
49	फर्रुखाबाद	30524.06	50569.58
50	अयोध्या	31475.50	50460.84
51	भदोही	31872.03	49342.98
52	सुल्तानपुर	29949.27	48268.71
53	कौशाम्बी	29434.42	46889.65
54	सीतापुर	31017.67	46590.79
55	बस्ती	28416.55	45424.03
56	मऊ	27606.43	43041.00
57	अम्बेडकर नगर	26059.00	40553.43
58	कुशीनगर	25006.59	40536.84
59	हरदोई	25556.31	40283.36
60	सिद्धार्थनगर	23722.79	40018.18
61	चन्दौली	26046.74	39981.69
62	महाराजगंज	24232.61	39176.23
63	रायबरेली	24145.42	39111.73
64	आज़मगढ़	23551.80	38765.14
65	चित्रकूट	26949.34	38750.55
66	देवरिया	23828.81	38568.65
67	गोण्डा	24959.93	38343.92
68	श्रावस्ती	23359.19	38152.65
69	गाज़ीपुर	23312.13	36730.22
70	सन्त कबीर नगर	21021.08	36507.47
71	बलिया	21919.64	34515.24
72	प्रतापगढ़	20555.79	33530.66
73	जौनपुर	21157.40	33406.86
74	बहराइच	20233.59	32973.70
75	बलरामपुर	20745.16	32305.07
A	**उत्तर प्रदेश**	**44421.20**	**66511.95**
B	**भारत**	**92085.00**	**126521.00**

नोटः– 1.उपर्युक्त अनुमान राज्य आय के वर्ष 2018–19 त्वरित अनुमान पर आधारित।

2. भारत के आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2018–19 के प्रथम संशोधित अनुमान सी0एस0ओ0 को प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31.01.2020 पर आधारित।

सकल जिला घरेलू उत्पाद

आधार वर्ष 2011–12 प्रचलित भावों पर (करोड़ रू0)

क्र.सं.	जिला / सम्भाग	वर्ष 2016–17	प्रतिशत अंश	वर्ष 2017–18	प्रतिशत अंश	वर्ष 2018–19 (अनन्तिम)	प्रतिशत अंश
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गौतमबुद्ध नगर	91317.25	7.30	133704.78	9.23	153262.92	9.19
2	लखनऊ	44246.01	3.54	54228.52	3.75	62035.69	3.72
3	आगरा	42184.16	3.37	51114.73	3.53	57175.42	3.43
4	प्रयागराज	43077.70	3.45	47583.58	3.29	54128.69	3.24
5	मेरठ	39647.81	3.17	46600.18	3.22	53097.86	3.18
6	कानपुर नगर	39662.32	3.17	45272.78	3.13	52471.76	3.15
7	गाजियाबाद	32343.79	2.59	39842.55	2.75	46191.15	2.77
8	बरेली	37230.05	2.98	41995.34	2.90	44542.79	2.67
9	बुलन्दशहर	27698.49	2.22	31434.51	2.17	36462.00	2.19
10	अलीगढ़	23770.11	1.90	26183.53	1.81	32100.34	1.92
11	बिजनौर	24109.53	1.93	29428.17	2.03	31630.10	1.90
12	सहारनपुर	24208.97	1.94	27093.72	1.87	30992.22	1.86
13	मुरादाबाद	20615.34	1.65	24704.62	1.71	30130.32	1.81
14	खीरी	21780.61	1.74	24898.45	1.72	29556.40	1.77
15	गोरखपुर	22029.17	1.76	24938.64	1.72	28619.82	1.72
16	मुजफ्फर नगर	21077.27	1.69	24196.03	1.67	27454.55	1.65
17	सीतापुर	21468.16	1.72	23587.38	1.63	27076.43	1.62
18	वाराणसी	21906.86	1.75	22586.91	1.56	26377.28	1.58
19	बाराबंकी	17523.91	1.40	17980.03	1.24	23989.62	1.44
20	बदायूँ	18122.98	1.45	19726.53	1.36	23973.15	1.44
21	शाहजहाँपुर	18349.13	1.47	19841.18	1.37	23500.93	1.41
22	अमरोहा	16813.50	1.34	19940.82	1.38	22902.70	1.37
23	मथुरा	17713.78	1.42	18655.34	1.29	22750.53	1.36
24	रामपुर	17746.62	1.42	20079.90	1.39	22120.14	1.33
25	आज़मगढ़	17433.77	1.39	19020.00	1.31	21887.41	1.31
26	उन्नाव	16370.47	1.31	19227.52	1.33	21420.71	1.28
27	हरदोई	16503.39	1.32	19341.93	1.34	20847.01	1.25
28	झाँसी	17130.50	1.37	17792.20	1.23	19887.63	1.19
29	फतेहपुर	14048.71	1.12	14815.78	1.02	18611.53	1.12
30	कुशीनगर	13766.55	1.10	15593.58	1.08	18443.74	1.11
31	जौनपुर	14964.03	1.20	17295.68	1.19	18365.23	1.10
32	पीलीभीत	13703.58	1.10	16090.10	1.11	18108.67	1.09
33	फिरोजाबाद	14150.76	1.13	16698.54	1.15	17928.49	1.07
34	गोण्डा	13554.92	1.08	15399.50	1.06	16941.34	1.02
35	गाज़ीपुर	13409.68	1.07	14387.38	0.99	16793.65	1.01
36	हाथरस	10388.14	0.83	11381.83	0.79	16721.89	1.00
37	बहराइच	11797.86	0.94	14352.63	0.99	16636.82	1.00
38	रायबरेली	13347.42	1.07	13867.86	0.96	16164.14	0.97
39	मीरजापुर	11894.35	0.95	13995.97	0.97	16089.81	0.96
40	अयोध्या	11905.81	0.95	13321.58	0.92	15567.56	0.93
41	कन्नौज	11610.03	0.93	13647.49	0.94	15354.57	0.92
42	हापुड़	11410.35	0.91	13143.80	0.91	15220.40	0.91
43	सम्भल	10469.65	0.84	12006.06	0.83	14809.47	0.89

क्र.सं.	जिला/सम्भाग	वर्ष 2016–17	प्रतिशत अंश	वर्ष 2017–18	प्रतिशत अंश	वर्ष 2018–19 (अनन्तिम)	प्रतिशत अंश
1	2	3	4	5	6	7	8
44	देवरिया	11075.03	0.89	12752.60	0.88	14603.65	0.88
45	सोनभद्र	12530.68	1.00	15344.64	1.06	14377.61	0.86
46	जालौन	11018.57	0.88	11653.30	0.80	14291.70	0.86
47	सुल्तानपुर	11761.59	0.94	12660.38	0.87	14286.66	0.86
48	एटा	11738.92	0.94	12135.21	0.84	14244.54	0.85
49	बस्ती	11529.33	0.92	12603.16	0.87	13989.84	0.84
50	बलिया	11366.48	0.91	11799.13	0.81	13841.64	0.83
51	कानपुर देहात	10029.73	0.80	11287.79	0.78	13728.96	0.82
52	महाराजगंज	10707.50	0.86	12035.47	0.83	13573.06	0.81
53	प्रतापगढ़	10481.81	0.84	11482.38	0.79	13349.44	0.80
54	मैनपुरी	9665.47	0.77	10129.38	0.70	13222.21	0.79
55	सिद्धार्थनगर	8535.58	0.68	9808.86	0.68	13126.88	0.79
56	इटावा	10376.59	0.83	11119.67	0.77	12884.25	0.77
57	कासगंज	11943.78	0.96	12591.35	0.87	12474.43	0.75
58	बांदा	7318.93	0.59	8105.28	0.56	12372.26	0.74
59	अम्बेडकर नगर	8820.33	0.71	9895.59	0.68	12113.69	0.73
60	बागपत	10264.14	0.82	11580.16	0.80	12061.38	0.72
61	मऊ	9838.42	0.79	10504.92	0.73	12008.29	0.72
62	फर्रुखाबाद	10603.65	0.85	10964.58	0.76	11978.84	0.72
63	हमीरपुर	6897.97	0.55	7381.54	0.51	11769.30	0.71
64	अमेठी	8194.74	0.66	9507.70	0.66	11413.30	0.68
65	शामली	8738.36	0.70	9884.32	0.68	10984.83	0.66
66	ललितपुर	8383.47	0.67	8638.49	0.60	10399.10	0.62
67	चन्दौली	7443.44	0.60	8344.65	0.58	9762.02	0.59
68	कौशाम्बी	6780.98	0.54	7738.53	0.53	9548.77	0.57
69	भदोही	6362.41	0.51	8665.67	0.60	9522.66	0.57
70	बलरामपुर	6844.43	0.55	7801.58	0.54	9080.82	0.54
71	औरैया	7267.65	0.58	7622.45	0.53	8999.72	0.54
72	महोबा	8596.47	0.69	10086.16	0.70	8603.46	0.52
73	सन्त कबीर नगर	5411.87	0.43	5653.01	0.39	7723.78	0.46
74	चित्रकूट	3674.88	0.29	7038.52	0.49	5087.59	0.30
75	श्रावस्ती	3506.63	0.28	4002.76	0.28	4461.70	0.27
A	**पश्चिम सम्भाग**	**625279.88**	**50.01**	**743536.85**	**51.36**	**853280.78**	**51.15**
B	**पूर्वी सम्भाग**	**346931.49**	**27.75**	**389076.47**	**26.87**	**446634.42**	**26.77**
C	**केंन्द्रीय सम्भाग**	**214981.23**	**17.20**	**244508.04**	**16.89**	**285903.01**	**17.14**
D	**बुंदेलखण्ड सम्भाग**	**63020.79**	**5.04**	**70695.50**	**4.88**	**82411.03**	**4.94**
	उत्तर प्रदेश	**1250213.39**	**100.00**	**1447816.77**	**100.00**	**1668229.24**	**100.00**

नोटः– 1.उपर्युक्त अनुमान राज्य आय के वर्ष 2016–17, वर्ष 2017–18 संशोधित त्वरित अनुमान एवं वर्ष 2018–19

त्वरित अनुमान पर आधारित।

2.उपर्युक्त अनुमान वर्ष 2018–19 के आंकड़ों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित है।

निवल जिला घरेलू उत्पाद

आधार वर्ष 2011–12 प्रचलित भावों पर (करोड़ रू0)

क्र.सं.	जिला/सम्भाग	वर्ष 2016–17	प्रतिशत अंश	वर्ष 2017–18	प्रतिशत अंश	वर्ष 2018–19 (अनन्तिम)	प्रतिशत अंश
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गौतमबुद्ध नगर	79986.19	7.21	118055.78	9.22	136855.23	9.18
2	लखनऊ	39216.04	3.53	47943.97	3.74	55337.67	3.71
3	आगरा	37703.14	3.40	45605.77	3.56	50020.18	3.35
4	प्रयागराज	37973.98	3.42	41853.98	3.27	48019.42	3.22
5	मेरठ	35601.33	3.21	41694.88	3.25	47937.71	3.21
6	कानपुर नगर	34289.75	3.09	39243.42	3.06	46011.72	3.09
7	गाजियाबाद	28674.96	2.58	35386.02	2.76	41447.60	2.78
8	बरेली	33094.52	2.98	37186.71	2.90	39882.83	2.67
9	बुलन्दशहर	25169.12	2.27	28360.90	2.21	33228.05	2.23
10	अलीगढ़	21262.25	1.92	23305.32	1.82	28993.23	1.94
11	बिजनौर	21465.82	1.93	26204.39	2.05	28360.20	1.90
12	सहारनपुर	21698.75	1.96	24115.35	1.88	27906.96	1.87
13	मुरादाबाद	18224.74	1.64	21849.74	1.71	26910.86	1.80
14	खीरी	19333.14	1.74	21974.19	1.72	26507.19	1.78
15	गोरखपुर	19418.60	1.75	21888.68	1.71	25300.74	1.70
16	मुजफ्फर नगर	18829.81	1.70	21530.03	1.68	24674.41	1.65
17	सीतापुर	18909.53	1.70	20644.46	1.61	23930.82	1.60
18	वाराणसी	19491.42	1.76	19996.85	1.56	23556.83	1.58
19	बदायूँ	16219.54	1.46	17590.36	1.37	21642.28	1.45
20	बाराबंकी	15531.44	1.40	15845.34	1.24	21412.11	1.44
21	शाहजहाँपुर	16227.59	1.46	17451.72	1.36	20914.58	1.40
22	अमरोहा	15200.27	1.37	17935.57	1.40	20813.80	1.40
23	मथुरा	15844.57	1.43	16595.62	1.30	20471.29	1.37
24	रामपुर	15932.15	1.44	17952.19	1.40	19989.41	1.34
25	आज़मगढ़	15618.67	1.41	16918.81	1.32	19633.11	1.32
26	उन्नाव	14540.81	1.31	17038.46	1.33	19199.13	1.29
27	हरदोई	14650.44	1.32	17060.45	1.33	18486.98	1.24
28	झाँसी	15064.68	1.36	15551.24	1.21	17571.57	1.18
29	फतेहपुर	12447.67	1.12	13064.19	1.02	16591.51	1.11
30	हाथरस	9294.19	0.84	10132.11	0.79	16567.35	1.11
31	कुशीनगर	12170.97	1.10	13730.77	1.07	16483.47	1.11
32	जौनपुर	13200.88	1.19	15243.93	1.19	16243.44	1.09
33	पीलीभीत	12081.73	1.09	14143.05	1.10	16069.34	1.08
34	फिरोजाबाद	12630.49	1.14	14832.87	1.16	15731.02	1.05
35	गोण्डा	12083.92	1.09	13616.57	1.06	15109.22	1.01
36	बहराइच	10558.73	0.95	12722.93	0.99	14958.56	1.00
37	गाज़ीपुर	11762.93	1.06	12529.08	0.98	14792.07	0.99
38	रायबरेली	11820.09	1.07	12213.68	0.95	14394.85	0.97
39	मीरजापुर	10514.92	0.95	12313.96	0.96	14348.32	0.96
40	अयोध्या	10499.64	0.95	11674.80	0.91	13791.64	0.92
41	हापुड़	10269.80	0.93	11781.82	0.92	13776.24	0.92
42	कन्नौज	10286.77	0.93	12089.62	0.94	13771.98	0.92
43	सम्भल	9364.17	0.84	10673.20	0.83	13327.42	0.89

क्र.सं.	जिला/सम्भाग	वर्ष 2016–17	प्रतिशत अंश	वर्ष 2017–18	प्रतिशत अंश	वर्ष 2018–19 (अनन्तिम)	प्रतिशत अंश
1	2	3	4	5	6	7	8
44	एटा	10538.30	0.95	10822.26	0.84	13176.77	0.88
45	देवरिया	9694.43	0.87	11180.53	0.87	12890.15	0.86
46	सुल्तानपुर	10439.19	0.94	11197.40	0.87	12748.88	0.85
47	जालौन	9788.58	0.88	10293.76	0.80	12733.13	0.85
48	सोनभद्र	10969.72	0.99	13385.96	1.04	12614.01	0.85
49	बस्ती	10205.05	0.92	11089.03	0.87	12375.85	0.83
50	कानपुर देहात	8913.51	0.80	9992.79	0.78	12298.84	0.82
51	बलिया	10038.62	0.90	10352.98	0.81	12290.98	0.82
52	महाराजगंज	9461.36	0.85	10602.76	0.83	12019.83	0.81
53	मैनपुरी	8617.07	0.78	8939.31	0.70	11864.30	0.80
54	सिद्धार्थनगर	7594.07	0.68	8693.35	0.68	11844.67	0.79
55	प्रतापगढ़	9256.81	0.83	10087.14	0.79	11841.70	0.79
56	इटावा	9203.08	0.83	9772.89	0.76	11425.95	0.77
57	कासगंज	10843.58	0.98	11323.00	0.88	11373.48	0.76
58	बागपत	9306.86	0.84	10429.30	0.81	10997.82	0.74
59	बांदा	6438.78	0.58	7083.05	0.55	10883.31	0.73
60	अम्बेडकर नगर	7756.77	0.70	8667.29	0.68	10756.87	0.72
61	फर्रुखाबाद	9380.45	0.85	9659.60	0.75	10663.22	0.72
62	मऊ	8578.65	0.77	9152.81	0.71	10548.68	0.71
63	हमीरपुर	6111.00	0.55	6507.16	0.51	10442.89	0.70
64	अमेठी	7304.08	0.66	8405.59	0.66	10201.35	0.68
65	शामली	7903.24	0.71	8864.83	0.69	9943.06	0.67
66	ललितपुर	7445.02	0.67	7612.96	0.59	9264.87	0.62
67	चन्दौली	6566.92	0.59	7333.40	0.57	8665.86	0.58
68	कौशाम्बी	6088.73	0.55	6909.95	0.54	8582.17	0.58
69	भदोही	5632.14	0.51	7687.05	0.60	8519.17	0.57
70	बलरामपुर	6109.79	0.55	6904.98	0.54	8137.37	0.55
71	औरैया	6463.51	0.58	6759.41	0.53	8082.12	0.54
72	महोबा	7548.57	0.68	8763.35	0.68	7572.16	0.51
73	सन्त कबीर नगर	4832.33	0.44	5013.67	0.39	7035.74	0.47
74	चित्रकूट	3261.44	0.29	6477.23	0.51	4550.96	0.31
75	श्रावस्ती	3138.01	0.28	3546.51	0.28	3992.39	0.27
A	**पश्चिम सम्भाग**	**557317.97**	**50.23**	**661043.59**	**51.60**	**766818.72**	**51.42**
B	**पूर्वी सम्भाग**	**306960.85**	**27.66**	**342700.73**	**26.75**	**397301.75**	**26.64**
C	**केंन्द्रीय सम्भाग**	**189652.91**	**17.09**	**215020.95**	**16.78**	**254171.55**	**17.04**
D	**बुंदेलखण्ड सम्भाग**	**55658.07**	**5.02**	**62288.76**	**4.86**	**73018.90**	**4.90**
	उत्तर प्रदेश	**1109589.80**	**100.00**	**1281053.95**	**100.00**	**1491310.92**	**100.00**

नोटः– 1.उपर्युक्त अनुमान राज्य आय के वर्ष 2016–17, वर्ष 2017–18 संशोधित त्वरित अनुमान एवं वर्ष 2018–19

त्वरित अनुमान पर आधारित।

2.उपर्युक्त अनुमान वर्ष 2018–19 के आंकड़ों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित है।

परिशिष्ट–2

जिला घरेलू उत्पाद उत्तर प्रदेश

विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत जिला/ग्राम पंचायत स्तर की योजना निर्माण की महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। विभिन्न विकास संकेतांकों हेतु सुसंगत आँकड़ों की उपलब्धता अत्यावश्यक है। इन संकेतांकों में जिला आय अनुमान अथवा जिला घरेलू उत्पाद एक मुख्य संकेतांक है। राज्य के संतुलित आर्थिक विकास हेतु समय के साथ–साथ जिला आय अनुमानों की उपादेयता में उत्तरोतर वृद्धि हो रही है।

नियोजकों द्वारा अन्तर्जनपदीय विषमताओं का अध्ययन कर जिलों के विकास हेतु समुचित योजना निर्माण के लिए प्रति व्यक्ति जिला आय अनुमान एक महत्वपूर्ण संकेतांक है। जिला आय अनुमानों का विश्लेषण तथा इनका अन्तर्जनपदीय खण्डवार तुलनात्मक अध्ययन जिले के आर्थिक परिदृश्य एवं विकास की स्थिति दर्शाने के साथ ही साथ राज्य के निवेश प्रोत्साहन क्षेत्रों को समुचित प्रकार से चिन्हित करने में भी सहायक है। जिला आय अनुमानों की समय श्रृंखला का तुलनात्मक अध्ययन, जनपद विशेष की सम्बन्धित खण्ड में हुए विकास की दिशा के साथ ही विभिन्न जनपदों की अर्थव्यवस्था में हुए ढाँचागत परिवर्तनों को भी दर्शाता है। इस प्रकार यह सरकारों द्वारा किये जाने वाले पहल एवं हस्तक्षेप में सहायक है।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1968–69 में प्रथम बार जिला घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर तैयार किये गये। वस्तु उत्पादक खण्ड (कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्यन, खनन और उत्खनन तथा विनिर्माण) के अतिरिक्त अर्थव्यवस्था के शेष खण्डों में पर्याप्त आँकड़े उपलब्ध न होने के कारण तत्कालीन केन्द्रीय साँख्यिकीय संगठन (*वर्तमान राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय*) भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश द्वारा तत्समय वस्तु उत्पाद खण्डों से जिला आय अनुमान तैयार किये गये। इस क्रम में 1960–61, 1968–69 व 1970–71 से वर्ष 1973–74 तक स्थायी एव प्रचलित भावों पर जिला आय अनुमान तैयार किये गये। वर्ष 1996–97 तक जिला आय अनुमान केवल वस्तु उत्पाद खण्डों से तैयार किये गये।

अगस्त 1996 में अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक द्वारा संयुक्त रूप से अर्थव्यवस्था के सभी खण्डों (वस्तु उत्पादक एवं गैर वस्तु उत्पादक खण्डों) से जिला आय अनुमान तैयार करने की रीति विधान तैयार की गयी, जिसे तत्कालीन केन्द्रीय साँख्यिकीय संगठन (*वर्तमान राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय*) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। तत्पश्चात वर्ष 1993–94 व 1997–98 हेतु अर्थव्यवस्था के समस्त खण्डों से जिला घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार किये गये। उसी समय से अर्थव्यवस्था के सभी खण्डों से जिला घरेलू उत्पाद के अनुमान प्रतिवर्ष तैयार किये जा रहे हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय साँख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला आय अनुमान तैयार करने में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य है। समय के साथ–साथ मूलभूत आँकड़ों की उत्तरोत्तर उपलब्धता के अनुरूप नवीनतम आँकड़ों का समावेश तथा आर्थिक परिदृश्य के परिवर्तन के अनुरूप जिला आय अनुमानों के आधार वर्ष में परिवर्तन सुनिश्चित करने के दृष्टिगत इन अनुमानों के रीति विधान की निरन्तर समीक्षा की जाती रही है।

रीति विधानः

राज्य एवं जिला स्तर पर आय अनुमान, घरेलू उत्पाद के रूप में आंकलित किये जाते हैं। किसी क्षेत्र विशेष का घरेलू उत्पाद उस क्षेत्र में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों का कुल योग है। प्रस्तुत संकलन में आय अनुमानों की गणना में **सकल मूल्य वर्धन, उत्पाद कर, उत्पाद सब्सिडी, सकल घरेलू उत्पाद एवं निवल घरेलू उत्पाद** जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। जिसकी व्याख्या निम्नवत है।

सकल मूल्य वर्धनः सकल उत्पादन मूल्य में से माध्यमिक उपभोग (इन्टरमीडिएट कनसम्पशन) को घटाकर सकल मूल्य वर्धन के अनुमान आंकलित किये जाते है। यह (सकल मूल्य वर्धन के) अनुमान बुनियादी मूल्यों पर अर्थात् प्रोड्यूसर्स प्राइस पर तैयार किये जाते है।

सकल घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्यों पर) = सकल मूल्य वर्धन (बुनियादी मूल्यों पर) + उत्पाद कर – उत्पाद सब्सिडी

जनपद स्तर पर **उत्पाद कर** एवं **उत्पाद सब्सिडी** के आँकड़े क्रमशः राज्य स्तरीय उत्पाद कर एवं उत्पाद सब्सिडी के आंकड़ों को जनपद स्तरीय सकल मूल्य वर्धन के अनुपात में आंकलित किया जाता है।

निवल(शुद्ध) घरेलू उत्पादः

आर्थिक क्रियाकलाप/उत्पादन प्रक्रिया में वर्षान्तर्गत उपयोग किये गये पूँजीगत समान में टूट–फूट/घिसाव होता है, जिसके परिमाण का मापक **स्थायी पूँजी का उपभोग (मूल्य ह्रास/कनसम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल)** है। राज्य स्तर पर मूल्य ह्रास के अनुमान राष्ट्रीय साँख्यिकीय कार्यालय भारत सरकार से प्राप्त होते है। राज्य स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानों मे से मूल्य ह्रास को घटाकर निवल घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार किये जाते है। निवल घरेलू उत्पाद के राज्य स्तरीय अनुमानों को जनपद स्तरीय सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानों के अनुपात में वितरित करते हुए जनपद स्तरीय निवल घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार किये गये है।

राज्य एवं जिला आय अनुमान **इनकम ओरिजिनेटिंग अप्रोच**द्वारा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीयक खण्डों से तैयार किये जाते हैं। प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसलें, पशुधन, वानिकी, मत्स्यन तथा खनन और उत्खनन क्षेत्र आते है। माध्यमिक खण्ड के अन्तर्गत विनिर्माण, विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएँ तथा निर्माण कार्य आते हैं। तृतीयक खण्ड के अन्तर्गत व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह, परिवहन संग्रहण तथा संचार, वित्तीय सेवाएँ, स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएँ, लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएँ आती हैं।

लिमिटेशन्स (सीमाएँ):

जिला आय अनुमानों के वास्तविक आंकलन के लिए समस्त खण्डों हेतु पर्याप्त व उपयुक्त जनपद स्तरीय आँकड़ों की आवश्यकता है जो कि वर्तमान में सम्भव नहीं हो पा रहे है। इस संदर्भ में कतिपय प्रमुख खण्डों के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है–

(1) समस्त खण्डों के आय एवं प्रति व्यक्ति आय अनुमानों की गणना में प्रयुक्त होने वाले मार्केट चार्जेज, रिपेयर एण्ड मेन्टेनेन्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिजिम, कनसम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इत्यादि राष्ट्रीय साँख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा सभी प्रदेशों हेतु अलग–अलग उपलब्ध कराये जाते हैं, जिनमें आँकड़े जनपदवार उपलब्ध नहीं हैं।

(2) विनिर्माण, खनन, सेवा क्षेत्र सम्बन्धी निगमित क्षेत्र के व्यापक आच्छादन हेतु राज्य स्तर पर एम.सी. ए–21(कारपोरेट कार्य मंत्रालय की ई–अभिशासन पहल) डेटाबेस का प्रयोग किया गया है। इन खण्डों के राज्य अंश भी सभी प्रदेशों को राष्ट्रीय साँख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं, जिनमें आँकड़े जनपदवार उपलब्ध नहीं हैं।

(3) इसी प्रकार विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों के अनिगमित/असंगठित क्षेत्र हेतु राज्य स्तर पर रा.प्र.स. 67वीं आवृत्ति (इन्टरप्राइज सर्वे वर्ष 2010–11) से प्रति कर्मकर आवर्धित मूल्य तथा 68वीं आवृत्ति (इम्प्लॉयमेंट

अनइम्प्लॉयमेंट सर्वे वर्ष 2011–12) से विभिन्न कर्मकरों की संख्या का प्रयोग किया गया है। यह आँकड़े भी सभी प्रदेशों को राष्ट्रीय साँख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं, जिनमें आँकड़े जनपदवार उपलब्ध नहीं हैं।

(4) इसके अतिरिक्त कतिपय जनपद स्तरीय संकेतांकों हेतु प्रयुक्त आँकड़े यथा–जनगणना 2001 एवं 2011, आर्थिक गणना 2005 एवं 2013 तथा पशुगणना 2003 एवं 2012 के आधार पर प्रोजेक्टेड हैं।

मुख्य रूप से द्वितीयक एवं तृतीयक खण्ड से जनपद स्तर पर आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण प्रदेश स्तर के अनुमानों को प्रतिनिधि संकेतांक के आधार पर जनपद स्तर पर वितरित किया गया है। डेटा गैप के कारण राज्य अनुमानों को जनपद स्तर पर आवंटित/वितरित करने हेतु जिन संकेतांकों (**प्रॉक्सी इन्डीकेटर्स**) का प्रयोग किया जाता है उससे अर्थव्यवस्था के सम्बन्धित खण्ड का एक व्यापक संकेत ही प्राप्त होता है। साथ ही इन गणना/सर्वेक्षण वर्षों के आँकड़ों का प्रयोग कर उन्हीं वर्ष के लिये तैयार किये गये जिला आय अनुमान ही अपेक्षाकृत सुदृढ़ होते हैं। समय विशेष के आँकड़ों के आधार पर जनपदवार सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति निवल (शुद्ध) घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार किये गये हैं। अतएव सर्वे/गणना वर्षों से भिन्न वर्षों में अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन के वास्तविक आँकड़े वर्तमान में उपलब्ध न होने के कारण वास्तविक ग्रोथ मेजरमेंट हेतु आँकड़ों की और उपलब्धता सुनिश्चित करने की नितान्त आवश्यकता है। इस प्रकार यह अनुमान पूर्णतया अनन्तिम है। भविष्य में अधिक विश्वसनीय एवं सुदृढ़ आँकड़े प्राप्त होने की दशा में ही अर्थव्यवस्था के माध्यमिक एवं तृतीयक खण्डों के जिला आय अनुमान सृदृढ़ होंगे।

उपसंहारः

डेटा गैप को सुधारने हेतु निरन्तर प्रयास किया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर गठित नेशनल एकाउण्ट्स कमेटी की बैठकों के माध्यम से इस सम्बन्ध में बहुमूल्य सुझाव प्राप्त किये जा रहे हैं। भविष्य में इन अनुमानों को अधिक विश्वसनीय एवं सृदृढ़ बनाने के लिये निम्न प्रयास उपयोगी होंगे–

(1) जनपद स्तर पर समस्त आर्थिक गतिविधियों/क्रियाकलापों द्वारा जिले की अर्थव्यवस्था में किये जा रहे योगदान को रेखांकित करने हेतु समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा समुचित अध्ययन/सर्वेक्षण किया जाना।

(2) सभी आर्थिक क्रियाकलापों का अनिवार्य ''बिजनेस रजिस्ट्रेशन'' किया जाना।

(3) असंगठित/अनिगमित क्षेत्र के आँकड़ों के अनुमान हेतु राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से जो सैम्पल साइज (प्रतिदर्श आकार) लिया जाता है, वह राज्य स्तर के लिये पर्याप्त होता है। अतएव प्रदेश में जिलों की संख्या अधिक होने के कारण आर्थिक रूप से व्यवहार्यता को दृष्टि में रखते हुए 5 आर्थिक क्षेत्रवार अनुमान प्राप्त करने के लिये भविष्य में आवश्यकतानुसार सैम्पल साइज बढ़ाकर सर्वेक्षण किया जाना ।

❄❄❄❄

परिशिष्ट–3

आर्थिक जोनः

उत्तर प्रदेश के जनपदों की आर्थिक स्थिति व भौगोलिकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश को 04 आर्थिक जोन में बाँटा गया है, जिनका विवरण निम्नवत हैः–

क्र.सं.	आर्थिक जोन	जनपदों की संख्या	जनपदों के नाम
1	पूर्वांचल	28	प्रयागराज, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, चन्दौली, देवरिया, अयोध्या (फैजाबाद), गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, मउ, मिरजापुर, प्रतापगढ़, संतकबीरनगर, संतरविदासनगर (भदोही), श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, वाराणसी
2	मध्यांचल	10	लखनऊ, कानपुरनगर, खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, फतेहपुर, रायबरेली, कानपुरदेहात
3	पश्चिमांचल	30	सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, सम्भल, रामपुर, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, बदायूँ, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया
4	बुन्देलखण्ड	07	जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान,नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश

Website: http://updes.up.nic.in
E-mail : upesd@nic.in
फोन न0 – 0522–2238969